दिनांक 30 अगस्त, 2013 को अधिसूचित

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल दिनांक 07 अगस्त, 2013

मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

कुमांक / 2164 / म.प्र.वि.नि.आ / 2013. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36,वर्ष 2003) की धारा 181(2)(टी) सहपठित धारा 43(1),धारा 181(2एक्स) सहपठित धारा 44, धारा 48(बी) तथा धारा 50 एवं धारा 56 तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) की धारा 9(जे) के अंतर्गत प्रदत्त किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 को दिनांक 16.04.2004 को अधिसूचित किया गया था, जिसे तत्पश्चात समय—समय पर संशोधित किया गया। आयोग ने अब उपरोक्त संहिता की पुर्नसंरचना करने का निर्णय लिया है। अतएव, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद द्वारा निम्न विद्युत प्रदाय संहिता बनाता है, जिसे "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013" के नाम से जाना जाएगा।

अध्याय –1:संक्षिप्त शीर्षक,सीमा तथा प्रारंभ (Short Title, Extent and Commencement)

- 1.1 यह संहिता ''मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 [क्रमांक आरजी—I(i), वर्ष 2013]" कहलायेगी।
- 1.2 यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के शासकीय राजपत्र में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू होगी।
- 1.3 यह संहिता सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में लागू होगी ।
- 1.4 यह संहिता ऐसे समस्त व्यक्ति, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 14 के अंतर्गत विद्युत पारेषण तथा प्रदाय के व्यवसाय में संलग्न है, के साथ—साथ विद्युत उपभोक्ताओं पर भी लागू होगी ।

अध्याय – 2 परिभाषाऐं (Definitions)

- 2.1 इस संहिता में, जब तक संदर्भ अन्यथा न हो :
- (ए) ''अधिनियम(Act)'' से तात्पर्य है विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) जैसा कि इसे समय—समय पर प्रवृत्त किया जाए;
- (बी) ''अनुबंध (Agreement)'' से तात्पर्य अपने व्याकरणिक विभेदों और समीपी अभिव्यक्तियों के साथ इस संहिता के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के मध्य किये गये अनुबंध से है;
- (सी) ''उपकरण (Apparatus)'' से तात्पर्य विद्युत उपकरण से है और इसमें सभी यंत्र, आवश्यक यंत्र, उपसाधन और उपकरण सम्मिलित हैं जिनमें विद्युत चालकों (Conductors) का प्रयोग किया जाता है ;
- (डी) "विद्युत प्रदाय का क्षेत्र (Area of Supply)" का तात्पर्य उक्त भौगोलिक क्षेत्र से है जिसके अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी को उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा विद्युत प्रदाय के लिये प्राधिकृत किया गया है;
- (ई) "प्राधिकृत भार (Authorised Load)" का तात्पर्य किसी निम्नदाब उपभोक्ता के संबंध में अनुभानित भार (estimated load) से है जिसका उपयोग किसी उपभोक्ता द्वारा किसी माह के दौरान उपभोक्ता परिसर में विद्युत संयोजन से किया जा सकता है। इसे 0.5 किलोवाट के गुणज (multiple) में अभिव्यक्त किया जाएगा तथा 75 यूनिट प्रति आधा किलोवाट प्रतिमाह खपत पर आधारित होगा। प्राधिकृत भार उपभोक्ता परिसर में स्वीकृत भार (sanctioned load) से कम अथवा इससे अधिक हो सकता है तथा इस पर निम्नदाब परिसर के अन्तर्गत कुल संयोजित भार को प्राक्कित करने के प्रयोजन से विचार नहीं किया जाएगा;
- (एफ) ''प्राधिकृत अधिकारी (Authorised Officer)'' से तात्पर्य है राज्य सरकार / आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत इस संबंध में प्राधिकृत कोई अधिकारी;
- (जी) ''बिलिंग मांग (Billing demand)''किसी श्रेणी के लिये इसकी गणना मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत—दर आदेश (Tariff order) में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;
- (एच) ''बिलिंग माह (Billing month)''से तात्पर्य दो मापयन्त्र (मीटर) वाचनों के मध्य तिथियों के अंतर्गत दिवस संख्या की अवधि से है जिसे उपभोक्ता को बिलिंग के प्रयोजन से एक माह की अवधि पर विचार करते हुए माना गया है;
- (आई) ''व्यवधान (Breakdown)'' से तात्पर्य है विद्युत तन्तुपथ (लाइन) सहित विद्युत प्रदाय प्रणाली के उपकरण से संबंधित कोई घटना जो इसकी सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करती हो :
- (जे) ''संहिता (Code)'' से तात्पर्य है मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, जैसा कि वह समय—समय पर प्रवृत्त हो ;
- (कं) "आयोग (Commission)" से तात्पर्य है मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission);
- (एल) 'चालक (Conductor)' से तात्पर्य है ऐसा कोई तार / तन्तु (wire), केबल (cable), छड़ (bar), निलका (tube), पटरी (rail) या पट्टी (plate) जिसे विद्युत ऊर्जा के चालन में प्रयुक्त किया जाता हो तथा जिसे इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता हो कि उसे वैद्युतिक रूप से प्रणाली से संयोजित किया जा सके ;
- (एम) ''संयोजित भार (Connected Load)'' का तात्पर्य उपभोक्ता के परिसर में निर्माता द्वारा निर्धारित क्षमता के अनुसार स्थापित ऊर्जा खपत के उन सभी विद्युत उपकरणों के विद्युत भार के कुल योग से है जिन्हे एक साथ उपयोग

किया जा सकता हो। इसकी अभिव्यक्ति किलोवॉट (KW),किलोवोल्ट एम्पीयर (KVA) या अश्वशक्ति (HP) इकाईयों में की जायेगी और इसका निर्धारण संहिता की 'स्थापनाओं की विद्युत क्षमता का निर्धारण' संबंधी खण्ड में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा;

- (एन) ''उपभोक्ता (Consumer)'' से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय किया गया हो एवम् इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जिसके परिसर को अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रणाली से तात्कालिक रूप से संयोजित किया गया हो या ऐसा व्यक्ति जिसने विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया हो या ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा विद्युत प्रदाय की सुविधा उपलब्धता की विधिवत सूचना के उपरान्त भी विद्युत प्रदाय की सुविधा प्राप्त न की गई हो, या जिसका विद्युत प्रदाय विच्छेदित किया गया हो । कोई भी उपभोक्ता
 - (i) 'निम्नदाब उपभोक्ता (L.T.Consumer)' होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से निम्न वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो,
 - (ii) 'उच्चदाब उपभोक्ता (H.T.Consumer)' होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो,
 - (iii) 'अति उच्चदाब उपभोक्ता (E.H.T.Consumer)' होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से अति उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो;
- (ओ) ''उपभोक्ता की स्थापना (Consumer's installation)'' से तात्पर्य है कोई भी संयुक्त विद्युत इकाई जिसमें विद्युत तन्तु / तार, फिटिंग, मोटरें, उपकरण, चितत या स्थायी रूप से शामिल है जिसे उपभोक्ता या उसके लिये उपभोक्ता के परिसर में तन्तुपथ प्रणाली के माध्यम से स्थापित किया गया हो ;
- (पी) "संविदा मांग(Contract demand)"से तात्पर्य है यथास्थिति किलोवॉट या किलोवोल्ट एम्पीयर या अश्वशक्ति में अधिकतम भार (maximum load) जिसे प्रदाय किए जाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी सहमत हुआ हो और जिसके लिये उपभोक्ता ने अनुबंध निष्पादित किया हो एवम् जैसा कि वह अनुबंध में उल्लेखित हो ;
- (क्यू) "कट-आउट(Cut-out)" से तात्पर्य है कोई उपकरण / साधन जो विद्युत तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत-प्रवाह (current) की पूर्व निर्धारित मात्रा से अधिक होने की दशा में स्वचालित रूप से विद्युत प्रदाय को अवरूद्ध करता है एवम् इसमें गलने वाले तार का कट-आउट (fusible cut-out) भी सम्मिलित होगा;
- (आर) "विद्युत प्रदाय प्रारम्भ करने की तिथि (Date of commencement of supply)" से तात्पर्य उस तिथि से है जो इच्छुक उपभोक्ता को दी गई विद्युत प्रदाय की उपलब्धता के बारे में सूचना—पत्र में सूचित की गई अन्तिम तिथि के उपरान्त पड़ने वाली प्रथम तिथि अथवा विद्युत प्रदाय की वास्तविक तिथि, इन में से जो भी पहले घटित हो;
- (एस) "वितरण प्रसंवाही (Distribution main)" से तात्पर्य है विद्युत वितरण प्रणाली का वह भाग जिससे सेवा—तन्तुपथ (service line)" को जोड़ा गया है या जोड़ा जाना प्रस्तावित है;
- (टी) ''वितरण प्रणाली(Distribution system)'' से तात्पर्य पारेषण प्रणाली या विद्युत उत्पादक स्टेशन संयोजन (connection) के वितरण बिन्दुओं (delivery points) तथा उपभोक्ताओं के संयोजन बिन्दु के बीच तन्तुपथ प्रणाली (system of wires) तथा संबद्ध सुविधाओं से है;
- (यू) "भू—योजित या भूमि से संयोजित (Earthed or Connected with earth)" से तात्पर्य है विद्युत प्रणाली को सामान्य भूमि के द्रव्यमान (mass) से इस प्रकार संयोजित करना कि विद्युत प्रवाह की उन्मुक्ति (discharge) तत्काल एवं प्रभावी रूप से बगैर किसी संकट के हो सके ;

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

(व्ही) ''विद्युत तन्तुपथ (Electric line)''से तात्पर्य ऐसे तन्तुपथ (line) / केबल से है जिसका उपयोग विद्युत—प्रवाह के लिये किया जाता है एवं इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

- (i) ऐसे तन्तुपथ हेतु कोई भी आलम्ब (support) जैसे कोई संरचना, स्तंभ (tower), खंभा (pole) या कोई अन्य वस्तु, जिस पर, जिसके द्वारा या जिससे ऐसे तन्तुपथ (लाईन) को आधार प्रदान किया गया हो या ले जाया गया हो या लटकाया गया हो, और
- (ii) कोई उपकरण (apparatus) जिसे ऐसी लाईन से विद्युत प्रवाह के वहन हेतु संयोजित किया गया हो;
- (डब्ल्यु) ''विद्युत निरीक्षक (Electrical Inspector) अथवा निरीक्षक (Inspector)'' से तात्पर्य है विद्युत निरीक्षक जैसा कि इसे विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36,वर्ष 2003) की धारा 2(21) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया हो ;

(एक्स) ''ऊर्जा(Energy)'' से तात्पर्य है ऐसी विद्युत ऊर्जा–

- (i) जो किसी भी प्रयोजन के लिए उत्पादित, पारेषित अथवा प्रदाय की जा रही हो, अथवा
- (ii)जो किसी संदेश के संप्रेषण को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही हो ;
- (वाय) ''ऊर्जा प्रभार(Energy charge)'' का तात्पर्य उस प्रभार से है जिसे उपभोक्ता को प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा {विद्युत—दर के अनुसार किलोवॉट घंटा (kWh) या किलोवोल्ट एम्पीयर घंटा (kVAh)} के आधार पर आरोपित किया जा रहा हो;
- (ज़ंड) ''अति उच्च वोल्टेज(Extra High Voltage)'' का तात्पर्य उस वोल्टेज से है जो 33,000 वोल्ट से अधिक है, जो तथापि, इस संहिता में अनुज्ञेय किये गये प्रतिशत विचलन के अध्यधीन होगाः
- (एए) वित्तीय संस्था (Financial Institution) का तात्पर्य निम्न से है :
 - (i) ''बैंकिंग कम्पनी (Banking Company)'' का तात्पर्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10, वर्ष 1949) की धारा 5 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत इस हेतु निर्धारित अभिप्राय से है ;
 - (ii) कोई सार्वजनिक वित्तीय संस्था जो कम्पनी अधिनियम 1956 (क्रमांक 1, वर्ष 1956) की धारा 4ए के अभिप्राय के अन्तर्गत आती हो ;
 - (iii) बैंको तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (क्रमांक 51, वर्ष 1993) की धारा 2 के खण्ड (एच) के उपखण्ड (ii) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई संस्था ;
 - (iv) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (प्रास्थिति, उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार) अधिनियम 1958 (क्रमांक 42, वर्ष 1958) के अन्तर्गत स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ; तथा
 - (v) अन्य कोई संस्था या गैर—बैंककारी वित्तीय कम्पनी जैसा कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (क्रमांक 2, वर्ष 1934) की धारा 45—I के खण्ड (एफ) में परिभाषित किया गया है, जैसा कि इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के प्रयोजन से निर्दिष्ट किया जाए।
- (बीबी) ''स्थाई प्रभार (Fixed Charge)'' किसी बिलिंग अविध के संदर्भ में तात्पर्य संविदा मांग (contract demand) या अधिकतम मांग (maximum demand) पर उपभोक्ता आधारित आरोपित प्रभारों से है तथा इसकी गणना आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत—दर आदेश (Tariff Order) में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

(सीसी) ''समूह प्रयोक्ता (Group user)'' का तात्पर्य म.प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी समूह गृह निर्माण संस्था या उसके कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी व्यक्ति से है;

- (डीडी) "हारमोनिक्स (Harmonics)" से तात्पर्य किसी आवर्ती तरंग (periodic wave) के घटक से है जिसकी आवृत्ति (frequency) 50 हर्ट्ज आवृत्ति आधारभूत विद्युत प्रदाय तन्तुपथ का समाकलन गुणज (integral multiple) है जो वोल्टेज या विद्युत—प्रवाह के पूर्ण शिरानालाभ तरंग आकार (pure sinusoidal wave form) में विकृति निमित्त करती है तथा इसे आईईईई एसटीडी 519—1992, नामतः "IEEE Recomended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems" जो विद्युत ऊर्जा प्रणाली में हार्मोनिक नियन्त्रण के अनुशंसित संव्यवहार तथा अर्हताओं से संबद्ध है, के तत्संबंधी मानकों से है जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 185 की उपधारा (2) के खण्ड (सी) के अनुसार निर्दिष्ट किया गया है;
- (ईई) "उच्च वोल्टेज(High Voltage-HV)" से तात्पर्य सामान्य परिस्थितियों में 50 चक्रों (cycles) पर 650 वोल्ट से अधिक तथा 33,000 वोल्ट तक के वोल्टेज से है जो, तथापि, इस संहिता में अनुज्ञेय किये गये प्रतिशत विचलन के अध्यधीन होगा;
- (एफएफ) 'अनुबंध की प्रारंभिक अविध (Initial period of agreement)' का तात्पर्य विद्युत प्रदाय प्रारम्भ करने की तिथि से माह के अन्त तक की अविध से है जिस हेतु अनुबन्ध निष्पादित किया जाता है ;
- (जीजी) ''स्थापना (Installation)'' से तात्पर्य ऐसी संयुक्त विद्युत इकाई से है जिसे विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, रूपांतरण, पारेषण, परिवर्तन अथवा उपभोग के प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जाता हो;
- (एचएच) ''अनुज्ञप्तिप्राप्त विद्युत ठेकेदार (Licensed Electrical Contractor)'' से तात्पर्य उस ठेकेदार से है जिसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 29 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है:
- (आईआई) ''निम्नदाब वोल्टेज (Low Voltage-LV)''से तात्पर्य उस वोल्टेज से है जो सामान्य परिस्थितियों में 50 साईकल्स प्रति सेकण्ड के अन्तर्गत 650 वोल्ट से अधिक न हो जो, तथापि, इस संहिता में अनुज्ञेय किये गये प्रतिशत विचलन के अध्यधीन होगा ;
- (जेजे) 'अधिकतम मांग (Maximum Demand)' की गणना किसी उपभोक्ता श्रेणी के संबंध में वितरण तथा खुदरा विद्युत—दर आदेश (Tariff Order) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;
- (केके) "मापयन्त्र (Meter)" से तात्पर्य है वह उपकरण, जिसे विद्युत मात्राओं जैसे कि ऊर्जा को किलोवॉट घंटे (kWh) या किलोवोल्ट एम्पीयर घंटे (kVAh) में, उच्चतम मांग को किलोवाट या किलोवोल्ट एम्पीयर में, प्रतिक्रिय ऊर्जा (reactive energy) को रियेक्टिव किलोवोल्ट एम्पीअर घंटे (kVAR hours) इत्यादि के मापन के लिये उपयोग किया जाता है एवं जहां इन्हें करन्ट ट्रांसफार्मर (CT), पोटेंशियल ट्रांसफार्मर (PT) जैसे सहायक उपकरण, केबल तथा मापयन्त्र (मीटर) के साथ प्रयुक्त किया गया हो, शामिल होंगे जहां इसका उपयोग मापयन्त्र को रखने के लिये या स्थापित करने के लिये प्रयुक्त बॉक्स या इससे संबंधित सहायक उपकरण जैसे कि स्विच, एमसीबी /भार नियन्त्रक (load limiter) या सुरक्षा एवं परीक्षण हेतु लगाये गये अन्य उपकरण या द्राव्य (फ्यूज) इत्यादि के साथ प्रयोग किया गया हो;

(एलएल) ''अधिभोगी (Occupier)'' का तात्पर्य किसी परिसर के स्वामी या उसके अधिभोगी या उस व्यक्ति से है जिसके परिसर में विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा हो या उपयोग किया जाना प्रस्तावित हो ;

(एमएम) ''शिरोपरि तन्तुपथ (Overhead line)'' से तात्पर्य है विद्युत प्रदाय का ऐसा तन्तुपथ (line) जिसे भूमि से ऊपर तथा खुले वायुमण्डल में स्थापित किया गया है लेकिन रेलवे कर्षण प्रणाली (rail traction system) की विद्युन्मय रेलें इसमें शामिल नहीं होंगी ;

- (एनएन) ''व्यक्ति(Person)'' से तात्पर्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा किसी परिसर अथवा स्थान के अधिवासी अथवा धारक से है जो उपभोक्ता या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है तथा इस श्रेणी में सम्मिलित होंगे कोई कंपनी अथवा निगमित निकाय अथवा संघ अथवा व्यक्तियों का निकाय जो निगमित अथवा अनिगमित हो अथवा विधिसम्मत विधिक व्यक्ति हो:
- (ओओ) "ऊर्जा—कारक (Power Factor)" का तात्पर्य औसत मासिक ऊर्जा—कारक (Power Factor) से है तथा इसे माह के दौरान प्रदाय किये गये कुल किलोवाट घंटे तथा कुल किलोवोल्ट एम्पीयर घंटे के अनुपात में प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाएगा; इस प्रतिशत को दशमलव के दो पूर्णांकों में व्यक्त किया जाएगा जिसके अनुसार दशमलव के तीसरे स्थान पर 5 या इससे अधिक की संख्या होने पर इसे दशमलव के दूसरे स्थान पर स्थित अंक से एक अंक अधिक कर पूर्णांक किया जाएगा। ऐसे प्रकरण में जहां किलोवाट घंटे या किलोवाट एम्पीयर घंटे का वाचन उपलब्ध न हो तो किलोवोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव घंटे के वाचन के आधार पर ऊर्जा कारक की गणना की जाएगी, यदि मापयंत्र (मीटर) में किलोवोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव घंटे उभिलेखित करने की सुविधा उपलब्ध हो;
- (पीपी) ''सेवा—तन्तुपथ (Service-line)'' का तात्पर्य ऐसे विद्युत प्रदाय तन्तुपथ (electric supply-line) से है, जिससे विद्युत प्रदाय निम्नलिखित को किया जा रहा हो या किया जाना प्रस्तावित हो :—
 - (i) विद्युत प्रदायकर्ता के परिसर से सीधे या वितरण प्रसंवाही(distribution main) से किसी एकल उपभोक्ता को, या
 - (ii) एक ही परिसर में स्थित उपभोक्ताओं के समूह को किसी वितरण प्रसंवाही (distribution main) से या वितरण प्रसंवाही के एक ही बिन्दु से सटे हुए परिसरों को;
- (क्यूक्यू) ''प्रणाली(System)'' का तात्पर्य ऐसी विद्युत प्रणाली से है, जिसमें समस्त संवाहक(conductors) और उपकरण (apparatus) एक विद्युत प्रदाय के सांझे स्त्रोत से वैद्युतिक तौर पर संयोजित किये गये हों;
- (आरआर) ''विद्युत की चोरी(Theft of Electricity)'' का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत नियत किया गया हो।
 - 2.2 उपर्युक्त परिभाषाओं के अतिरिक्त जो भी परिभाषिक एवं अन्य शब्द इस संहिता में प्रयुक्त किये हैं, परन्तु इस संहिता में परिभाषित नहीं किये गये हैं, का तात्पर्य अधिनियम में इनसे संबंधित दी गई परिभाषा से होगा। अन्य परिभाषिक शब्द जो इस संहिता में उपयोग किये गये हैं, परन्तु इस संहिता या अधिनियम में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किये गये हैं, परन्तु यदि उन्हें संसद द्वारा किसी अन्य विधि में परिभाषित किया गया हो, जो राज्य में विद्युत उद्योग को लागू हो एवं टैरिफ आदेश में वर्णित हो, का तात्पर्य ऐसी विधि में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा।

अध्याय-3 :विद्युत प्रदाय प्रणाली और उपभोक्ताओं का वर्गीकरण (System of Supply and Classification of Consumers)

विद्युत प्रदाय प्रणाली (System of Supply)

- 3.1 प्रत्यावर्ती विद्युत प्रवाह(Alternating Current-AC) की घोषित आवृत्ति (Frequency) 50 साईकल प्रति सेकण्ड होगी ।
- 3.2 प्रत्यावर्ती विद्युत प्रवाह प्रदाय की घोषित वोल्टेज निम्नानुसार होगी :
 - (अ) निम्नदाब(Low Tension-LT)
 - (i) एकल फेज(Single Phase) : फेज और अनाविष्ट(neutral) के मध्य 230 वोल्ट
 - (ii) तीन फेज(Three Phase) : फेजों के मध्य 400 वोल्ट
 - (ब) उच्चदाब(High Tension-HT)—तीन फेज(Three Phase): फेजों के मध्य 11िकलोवोल्ट या 33 किलोवोल्ट.
 - (स) अति उच्चदाब(Extra High Tension-EHT)—तीन फेज (Three Phase): फेजों के मध्य 33 किलोवोल्ट से अधिक।

रेलवे कर्षण (Railway Traction) के लिए दो फेज पर विद्युत प्रदाय किया जा सकेगा।

- 3.3 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण प्रणाली का रूपांकन तथा संचालन पारेषण प्रणाली के सहयोजन अनुसार किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय के बिन्दु पर वोल्टेज की घोषित मात्रा को निम्नानुसार दी गई सीमा से अनाधिक तक का अंतर अनुज्ञेय नहीं करेगा, अर्थातः
 - (अ) निम्नदाब वोल्टेज के प्रकरण में—दोनो पक्षों की ओर 6 प्रतिशत से अनाधिक तक
 - (ब) उच्चदाब वोल्टेज के प्रकरण में 33 किलोवोल्ट तक— उच्च पक्षीय तौर पर 6 प्रतिशत से अनाधिक तक एवं निम्न पक्षीय तौर पर 9 प्रतिशत से अनाधिक तक
 - (स) अति उच्चदाब वोल्टेज के प्रकरण में —उच्च पक्षीय तौर पर 10 प्रतिशत से अनाधिक तक तथा निम्नपक्षीय तौर पर 12.5 प्रतिशत से अनाधिक तक

उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय की वोल्टेज(Voltage of Supply to Consumers)

3.4 विभिन्न संविदा मांगों के लिए विद्युत प्रदाय की वोल्टेज सामान्यतः निम्नानुसार होगीः

विद्युत प्रदाय वोल्टेज (Supply Voltage)	न्यूनतम संयोजित भार (Minimum Connected Load)	उच्चतम संयोजित भार अथवा संविदा मांग (Maximum Connected Load or Contract Demand)
230 वोल्ट	_	3 किलोवॉट

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

विद्युत प्रदाय वोल्टेज(Supply	न्यूनतम संयोजित भार	उच्चतम संयोजित भार अथवा
Voltage)	(Minimum Connected	संविदा मांग(Maximum
	Load)	Connected Load or Contract
		Demand)
400 वोल्ट	2 किलोवॉट से अधिक	(i) मॉग आधारित टैरिफ*:
		150 अश्वशक्ति (HP) (112
		किलोवाट) संविदा मांग
		संयोजित भार की बिना किसी
		उच्चतम सीमा के, जो
		संयोजित भार पर आधारित
		विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार
		के भुगतान के अध्यधीन होगा
		(i) संयोजित भार आधारित
		ें टैरिफ:
		150 अश्वशक्ति (HP)
		संयोजित भार

* नोट : 150 अश्वशक्ति तक की संविदामांग में वृद्धि करने पर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार देय नहीं होंगे, जो उस संयोजित भार तक सीमित होंगे जिसके लिये विद्युत उपलब्धता प्रभारों का पूर्व में भुगतान कर दिया गया हो।

विद्युत प्रदाय वोल्टेज	न्यूनतम संविदा मांग	अधिकतम संविदा मांग
11 किलोवोल्ट	50 किलोवोल्ट एम्पीअर	300 किलोवोल्ट एम्पीअर
33 किलोवोल्ट	100 किलोवोल्ट एम्पीअर	10,000 किलोवोल्ट एम्पीअर
132 किलोवोल्ट	5000 किलोवोल्ट एम्पीअर	50000 किलोवोल्ट एम्पीअर
220 किलोवोल्ट या इससे	40000 किलोवोल्ट एम्पीअर	_
अधिक		

परन्तु, यदि अनुज्ञप्तिधारी सन्तुष्ट हो कि उपरोक्त उल्लेखित मानदण्डों से विचलन के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है तथा इस प्रकार किया गया विचलन तकनीकी तौर पर साध्य है तो वह इसके लिये कारणों को लिखित में अभिलेखित करते हुए इसे स्वीकृति प्रदान कर सकेगा।

उपभोक्ताओं का वर्गीकरण (Classification of Consumers)

3.5 प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ताओं का वर्गीकरण, विद्युत—दर (टैरिफ) तथा विद्युत प्रदाय की शर्तें, आयोग द्वारा समय—समय पर विद्युत—दर आदेश में अथवा अन्यथा निधारित किये जाएंगे।

अध्याय-4 नवीन विद्युत प्रदाय (New Power Supply)

अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत प्रदाय संबंधी दायित्व (Licensee's Obligation to Supply)

- 4.1 अनुज्ञप्तिधारी उसके विद्युत प्रदाय क्षेत्र में स्थित किसी परिसर के स्वामी (Owner)अथवा अधिभोगी(Occupier) से आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे परिसर को इस संहिता में विर्निदिष्ट अविध के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय करेगा, जबकि
- (अ) विद्युत प्रदाय तकनीकी रूप से साध्य हो,
- (ब) उपभोक्ता द्वारा इस संहिता में विर्निदिष्ट प्रक्रिया का परिपालन किया गया हो, तथा
- (स) उपभोक्ता द्वारा इस संहिता में विनिर्दिष्ट किये गये विद्युत प्रदाय तथा सेवाओं का मूल्य वहन करने के लिए सहमत व्यक्त की गई हो।

अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत वितरण प्रणाली के विस्तार का दायित्व तथा उपभोक्ता का लागत में अंशदान (Licensee's obligation to extend the Distribution System and Consumers Share in the Cost)

- 4.2 अनुज्ञप्तिधारी सामान्यतः अपने वार्षिक राजस्वों अथवा उसके द्वारा व्यवस्था की गई निधि के माध्यम से वर्तमान उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि की पूर्ति के लिए प्रणाली के सशक्तीकरण / उन्नयन की लागत को वहन करेगा और इस लागत की वसूली उपभोक्ताओं से विद्युत—दर (टैरिफ) के माध्यम से की जाएगी।
- 4.3 नवीन उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति के लिए वितरण प्रसंवाही (distribution main) के विस्तार और / या तथा प्रणाली के विस्तार / उन्नयन की लागत का उपभोक्ता द्वारा भुगतान मय विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges) आदि के मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में किये गये उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।
- 4.4 उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय के बिन्दु तक स्थापित की गई अधोसंरचना जो मापयन्त्र बिन्दु (metering point) तक उपभोक्ता के परिसर के बाहर या अन्दर स्थित हो, भले ही इसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को किया गया हो, समस्त प्रयोजनों के लिये अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी। अनुज्ञप्तिधारी इसका संधारण (रख—रखाव) अपने स्वयं के व्यय पर करेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह इस सेवा संयोजन (service connection) का उपयोग इसके विस्तार (extension) द्वारा या निकासी (tapping) द्वारा इनकी क्षमता में आवर्धन (augmentation) द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को विद्युत प्रदाय के उद्देश्य से करे परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार किया गया विस्तार या निकासी या आवर्धन विद्यमान उपभोक्ताओं हेतु विद्युत प्रदाय की विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता या सेवा की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करता हो।
- 4.5 जब अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रसंवाही (distribution main) का विस्तार कार्य पूर्ण करता है और विद्युत प्रदाय के लिए तैयार हो, तो वह अनुबन्ध में किये गये उल्लेखानुसार निर्दिष्ट अवधि के भीतर विद्युत आपूर्ति की प्राप्ति हेतु उसे एक सूचना—पत्र तामील करेगा । यदि उपभोक्ता सूचना—पत्र की अवधि के भीतर

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने में चूक करता है तो सूचना—अवधि की समाप्ति की तिथि के दूसरे दिन से अनुबंध प्रभावशील हो जायेगा तथा तत्पश्चात उपभोक्ता अनुबंध की शर्तों के अनुसार समस्त प्रभारों के भुगतान का देनदार होगा।

उपभोक्ताओं द्वारा निष्पादित कराया गया सेवा संयोजन / विस्तार कार्य (Service Connection/Extension Work got done by Consumers)

- उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से अपने परिसर तक सेवाप्रदाय 4.6 तन्तुपथ (service line) स्थापित करने का कार्य "सी" श्रेणी या इससे उच्च श्रेणी के अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार तथा उच्च वोल्टेज तन्तुपथ, वितरण या उच्चदाब उपकेन्द्र और निम्नदाब सेवा तन्तुपथ के विस्तार का कार्य "ए" श्रेणी के अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन तथा अनुमोदित नक्शे के अनुसार निर्दिष्ट समयावधि के अन्तर्गत करवा सकता है। ऐसी स्थिति में, उपभोक्ता को स्वयं सामग्री की अधिप्राप्ति करनी होगी। सामग्री सुसबद्ध भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों या इसके समतुल्य के अनुरूप होनी चाहिए तथा, जहां लागू हो, आई.एस.आई. चिन्हित होनी चाहिए। इस के लिये अनुज्ञप्तिधारी उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच के लिए लिखित साक्ष्य की मांग भी कर सकेगा। उपभोक्ता को पर्यवेक्षण प्रभारों (supervision charges) का भूगतान मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग(विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेत् व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में निर्दिष्ट अनुसार करना होगा।
- 4.7 यदि उपभोक्ता निर्दिष्ट समय—सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करने में चूक करता हो तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को 15 दिवस की सूचना देकर विद्युत आपूर्ति का आवेदन निरस्त कर सकेगा तथा ऐसा होने पर उपभोक्ता को पुनः इस हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

विद्युत प्रदाय हेतु आवेदन (Requisition for Supply)

- 4.8 विद्युत ऊर्जा के नवीन प्रदाय अथवा अतिरिक्त प्रदाय का निर्दिष्ट आवेदन प्ररूप (परिशिष्ट—1 और परिशिष्ट—2) अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क भुगतान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसे उपभोक्ता द्वारा दो प्रतियों में जमा करना होगा। उपभोक्ता द्वारा कोरे आवेदन प्ररूप की छायाप्रतियों या अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाईट से प्राप्त किए गए आवेदन प्ररूप का उपयोग भी किया जा सकता है, जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
- 4.9 परिसर, जिसके लिए विद्युत की आपूर्ति किया जाना अपेक्षित है, के अधिभोगी द्वारा विद्युत प्रदाय के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा आवेदन में उसका पूरा नाम, पता तथा दूरभाष क्रमांक (यदि उपलब्ध हो) और अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार, जिसके द्वारा विद्युत तन्तुपथ स्थापना (Wiring) की जाएगी, का नाम व पता भी दर्शाया जाएगा, किन्तु अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार के माध्यम से विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है। आवेदन—पत्र भरने में उपभोक्ता द्वारा चाही गई आवश्यक किसी प्रकार की सहायता या जानकारी, अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

4.10 उपभोक्ता को अपने विद्युत प्रदाय आवेदन—पत्र के साथ वांछित अभिलेख, संलग्न सूची के अनुसार प्रस्तुत करने होंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापन के उद्देश्य से आवेदक से मूल अभिलेखों की भी मांग की जा सकती है। उपभोक्ता को अपने आवेदन में यह भी सूचित करना होगा कि सेवा तन्तुपथ (service line) और विस्तार कार्य यदि कोई हो, का क्रियान्वयन उपभोक्ता द्वारा स्वयं कराया जायेगा अथवा इसे अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

- 4.11 ऐसे प्रकरणों में जहां घरेलू और एकल—फेज गैर—घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा नवीन संयोजन की स्थापना के प्रयोजन हेतु आवेदक द्वारा परिसर के विधिसम्मत अधिभोगी होने का प्रमाण दिया जाना संभव न हो तो संबंधित विद्युत वितरण वृत्त के प्रभारी द्वारा ऐसे प्रमाण की अर्हता को, इसके कारणों को लिखित में दर्ज कर, समाप्त किया जा सकता है । तथापि, ऐसे उपभोक्ताओं को ऐसे प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय द्वारा उनकी नब्बे (90) दिन की अनुमानित औसत् खपत के आधार पर प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit) की निर्धारित राशि जमा करनी होगी। इस प्रकार के परिसरों में प्रदाय किये गये विद्युत संयोजनों (या इससे संबंधित अभिलेखों) को परिसर पर किसी भी प्रकार उसके कानूनी अधिकार होने या किसी अन्य कानूनी प्रमाण के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा। भविष्य में भी, यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा परिसर का अधिभोग अवैध रूप से किया जा रहा है तो विद्युत संयोजन को तुरन्त स्थाई तौर पर विच्छेदित किया जा सकेगा।
- 4.12 यदि उपभोक्ता किसी पूर्ववर्ती अनुबंध जो उसके नाम में या उस फर्म या कंपनी जिसके साथ वह पूर्व में भागीदार, निदेशक या प्रबंध निदेशक अथवा परिसर के अधिवासी या स्वामी के रूप में संबद्ध रहा हो, पर विद्युत प्रदाय की बकाया या परिसर संबंधी अन्य कोई बकाया राशि है, जिस के लिये एक नवीन संयोजन (कनेक्शन) हेतु आवेदन किया गया हो तथा ऐसी बकाया राशि अनुज्ञप्तिधारी को देय हो, तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय के आवेदन पर तब तक कोई विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसके द्वारा बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता । तथापि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीन संयोजन का अनुमोदन निम्न प्रकरणों में अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा:
 - (i) यदि राज्य शासन द्वारा किसी भी कारण से पट्टे (lease deed) को निरस्त किया जा चुका हो तथा इसे किसी नवीन पक्षकार / उपभोक्ता को आवंटित कर दिया गया हो, तो ऐसी दशा में नवीन पक्षकार / उपभोक्ता को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना होगा ।
 - (ii) यदि सम्पित्त की कुर्की अथवा उसका विक्रय आयकर विभाग / वाणिज्यिक कर विभाग अथवा ऐसे किसी अन्य शासकीय विभाग द्वारा उसकी बकाया राशि की वसूली बाबत् किया गया हो तो ऐसी दशा में नवीन क्रेता को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना होगा ।
 - (iii)यदि सम्पत्ति की कुर्की अथवा उसकी बिक्री राज्य अधिनियम / केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गई वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनकी बकाया राशि की वसूली बाबत् की गई हो तो ऐसी दशा में क्रेता को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना होगा ।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

(iv)यदि किसी कर्मचारी द्वारा स्थानांतरण पर रिक्त किये गये शासकीय आवास-गृह / फलेट के विद्युत प्रभारों की राशि बकाया छोड दी जाती है तो ऐसी दशा में नवीन अधिवासी को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भूगतान नहीं करना होगा ।

- (v) यदि न्यायालय द्वारा परिसर के संबंध में बकाया राशि की वसूली न किये जाने बाबत कोई विशिष्ट आदेश जारी किया गया हो।
- विद्युत प्रदाय के निबन्धनों तथा शर्तों के प्रयोजन से, परिसर में कोई भी भूमि, 4.13 भवन अथवा संरचना शामिल होगी जिस हेत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार विद्युत प्रदाय हेतृ सहमति व्यक्त की गई हो। तथापि, किसीँ भी परिसर को पृथक परिसर माना जाएगा तथा प्रत्येक परिसर को पृथक विद्युत प्रदाय बिन्दु प्रदान किया जाएगा, यदि
 - (अ) वे सुस्पष्ट स्थापना तथा अमला धारित करते हों; अथवा
 - वे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व या पट्टे पर धारित किये जा रहे हों;
 - जो ऐसी किसी विधि के अन्तर्गत अलग–अलग अनुज्ञप्तियों या पंजीकरणों के अंतर्गत आते हों, जहां यह प्रक्रिया लागू हो अथवा स्थानीय प्राधिकारियों से सुसंबद्ध अभिलेख धारित करते हों, जो उन्हें पृथक से सुरपष्ट परिसर (घरेलू श्रेणी परिवारों हेतू) के रूप में चिन्हांकित करते हों।

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय (Supply to different categories of Consumers)

किसी भी उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञप्तिधारी की अर्हता के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष एक आवेदन निर्दिष्ट प्ररूप में पूर्ण रूप से भरकर निर्दिष्ट अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

निम्नदाब पर विद्युत प्रदाय (Supply at LT) (ए)

- अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्राप्त करते समय आवेदन तथा उसके साथ संलग्न 4.14 अभिलेखों का सत्यापन करेगा। आवेदक को तत्काल एक लिखित अभिरिवीकृति प्रदान की जाएगी। आवेदन अपूर्ण पाए जाने की स्थिति में आवेदन में पाई गई किमयों के बारे में आवेदक को लिखित रूप में तीन कार्यदिवसों के भीतर सुचित किया जाएगा तथा आवेदक से पूर्ण किया गया आवेदन प्राप्त होते ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसकी लिखित पावती तत्काल आवेदक को प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात, दो दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदक को स्थल निरीक्षण की प्रस्तावित् दिनांक की सूचना दी जाएगी जो शहरी क्षेत्रों के लिए आगामी पांच दिवस तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आगामी दस दिवस के भीतर होगी ।
- निरीक्षण के दौरान, आवेदक या उसका प्रतिनिधि अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार 4.15 (licensed contactor)के साथ स्थल पर उपस्थित रहेगा। निरीक्षण के दौरान अनुज्ञप्तिधारी :
 - (i) विद्युत प्रदाय प्रारंभ करने का बिन्दु तथा मापयन्त्र (मीटर) एवं कट-आऊट / एमसीबी लगाने का स्थान निर्धारित करेगा।

(ii) विद्युत प्रदाय के बिन्दु तथा निकटतम वितरण प्रसंवाही (distribution main) जहां से विद्युत प्रदाय किया जा सके, के मध्य की दूरी का आकलन करेगा तथा प्रस्तावित तन्तुपथों (लाईनों) व उपकेन्द्रों की स्थापना का स्थान व विन्यास (layout) निर्धारित करेगा ।

(iii) किसी स्थान पर विद्युत प्रदाय हेतु विद्युत तन्तुपथ यदि किसी तृतीय पक्ष की संपत्ति के ऊपर से होकर गूजरता हो तो इसकी भी जांच करेगा ।

(iv) आवश्यकतानुसार, आवेदन—पत्र में दिये गये अन्य विवरणों का सत्यापन भी करेगा।

- उपभोक्ता के परिसर का अग्रभाग मार्ग पर स्थित न होने पर तथा अनज्ञप्तिधारी 4.16 के वितरण प्रसंवाही (distribution main) से स्थापित किये जाने वाले सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) के लिये या अन्य किसी प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति के लगे हुए परिसर से, उसके ऊपर या नीचे से (लगा हुआ परिसर उपभोक्ता एवं ऐसे उस व्यक्ति के संयुक्त स्वामित्व में हो अथवा न भी हो) उपभोक्ता अपने स्वयं के व्यय पर वितरण तन्तुपथ का निर्माण करने या सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) स्थापित करने के लिये आवश्यक पहुंच-मार्गाधिकार (way leave), अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की व्यवस्था करेगा और अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करेगा। जब तक मार्गाधिकार (way leave) अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की व्यवस्था नहीं हो जाती, अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय प्रारंभ नहीं करेगा। मार्गाधिकार (way leave), अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की शर्तों के अनुसार विद्युत प्रदाय की स्थापना में किया गया अतिरिक्त व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा। मार्गाधिकार (way leave) अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति के निरस्त होने अथवा वापस लिये जाने की स्थिति में सेवा तन्तुपथ (service line) के किसी परिवर्तन अथवा नवीन सेवा तन्तुपथ के प्रावधान, जो इस परिस्थिति में अपरिहार्य हो, की व्यवस्था उपभोक्ता को अपने स्वयं के व्यय पर करनी होगी या उपभोक्ता के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य किये जाने की स्थिति में इस कार्य की पूर्ण लागत को उपभोक्ता द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
- 4.17 उपभोक्ता द्वारा प्राप्त किये मार्गाधिकार (way leave), अनुज्ञप्ति या स्वीकृति के सत्यापन अथवा पर्याप्तता की पुष्टि करने का पूर्ण दायित्व स्वयं उपभोक्ता का होगा।
- 4.18 विद्यमान प्रसंवाही (mains) से विद्युत प्रदाय किया जाना संभव होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit) की राशि, सेवा तन्तुपथ स्थापित करने की राशि, एवं अन्य लागू प्रभारों की राशि का एक मांग—पत्र उपभोक्ता को निरीक्षण के सात दिवस के भीतर प्रेषित किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध निष्पादित करने की सूचना भी दी जाएगी। उपभोक्ता द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने पर ही कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।
- 4.19 यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से वितरण प्रसंवाही (distribution main) का विस्तार करना या उपकेन्द्र क्षमता का आवर्धन करना आवश्यक हो तो वितरण प्रसंवाही के विस्तार की राशि, प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit), सेवा तन्तुपथ (service line) स्थापित करने की राशि तथा लागू अन्य प्रभारों का एक मांग—पत्र अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्रों में 15 दिवस एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिवस के भीतर उपभोक्ता को प्रेषित करेगा एवं

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

उपभोक्ता को किन्हीं अन्य अतिरिक्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने की आवश्यकता की सूचना भी उपभोक्ता को प्रेषित करेगा। ऐसे प्रकरणों में जहां वितरण प्रसंवाही व सेवा तन्तुपथ इत्यादि के विस्तार का कार्य उपभोक्ता द्वारा कराया जाना अपेक्षित हो, उपभोक्ता द्वारा देय शुल्क में वितरण प्रसंवाही एवं सेवा तन्तुपथ के विस्तार कार्य पर पर्यवेक्षण शुल्क एवं अन्य लागू प्रभार शामिल होंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को निर्धारित प्रपन्न में अनुबंध निष्पादित करने की सूचना भी दी जाएगी। उपभोक्ता द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने पर ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को विनिर्दिष्ट प्ररूप में परीक्षण—प्रतिवेदन (test report) प्रस्तुत करने हेतु सूचित करेगा।

- 4.20 उपभोक्ता द्वारा 15 दिनों में औपचारिकताएं पूर्ण करने में चूक किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी अगले 15 दिनों में औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु उसको सूचना देगा, जिसका परिपालन न किये जाने पर उसका विद्युत आपूर्ति का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। तत्पश्चात, विद्युत प्रदाय अथवा अतिरिक्त विद्युत प्रदाय, जैसा भी प्रकरण हो, के लिए उपभोक्ता को पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- 4.21 उपभोक्ता द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने तथा यह सूचित करने के बाद कि सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाईन) तथा विस्तार कार्य पूर्ण किया जा चुका है, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को तीन दिवस में स्थापना का परीक्षण करने की तिथि की सूचना देगा। उपभोक्ता द्वारा यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि परीक्षण के दौरान अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार, जिसने तन्तुपथ स्थापना (वायरिंग) का कार्य किया है, स्थल पर उपस्थित रहे।
- 4.22 उपभोक्ता की स्थापना का परीक्षण करने पर यदि अनुज्ञप्तिधारी परीक्षण के परिणामों से संतुष्ट है तो अनुज्ञप्तिधारी कट—आउट या मिनियेचर सर्किट ब्रेकर सिंहत मापयन्त्र (मीटर) स्थापित करने की व्यवस्था करेगा, उपभोक्ता की उपस्थिति में मापयंत्र को सील करेगा और विद्युत प्रदाय प्रारंभ करेगा। संतुष्ट नहीं होने पर, अनुज्ञप्तिधारी तन्तुपथ स्थापना (वायरिंग) में पाई गई किमयों (short comings) की लिखित सूचना उपभोक्ता को देगा। आवेदक को त्रुटियों का सुधार कराना होगा। तत्पश्चात्, निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुनः स्थापना का परीक्षण किया जाएगा।
- (बी) बहु—उपभोक्ता संकुल सहित् वाणिज्यिक संकुलों में निम्नदाब विद्युत प्रदाय (LT Supply to Multi Consumer Complex Including Commercial Complexes)
- 4.23 नवीन विद्युत प्रदाय के उद्देश्य से ऐसा भवन अथवा भवनों का समूह जिसमें एक से अधिक संयोजन (connection) हों एवं कुल विद्युत भार 50 किलोवॉट या उससे अधिक हो, को बहुउपभोक्ता संकुल माना जायेगा।
- 4.24 किसी बहु—उपभोक्ता संकुल को विद्युत प्रदाय हेतु, वाछित विस्तार कार्य की लागत को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारी की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम 2009 में विनिर्दिष्ट अनुसार

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

विकासक (Developer) / भवन निर्माता (Builder) / समिति (Society) / उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा।

- 4.25 विकासक (Developer) / भवन निर्माता (Builder) / सिमिति (Society) / उपभोक्ता में ऐसे अभिकरण, भले ही वे शासकीय, स्थानीय निकाय या निजी संस्थाएं हों, शामिल होंगे जो बहु—उपभोक्ता संकुलों का निर्माण करते हैं।
- 4.26 इस संहिता में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार मापयन्त्र (मीटर) सामान्यतः भूतल पर ही स्थापित किये जाएंगे। वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र एवं मापयंत्र (मीटर) स्थापना के लिए आवश्यक भूमि/कमरा विकासक/भवन निर्माता/सिमिति/ उपभोक्ता द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी प्रकार के भाड़े या अधिमूल्य (प्रीमियम) का भुगतान नहीं किया जायेगा। ट्रांसफार्मर अधिभानतः खुले स्थानों में रखे जाने चाहिये। वैधानिक नियमों एवं विनियमों के अनुसार सुरक्षा के सभी उपाय विकासक/भवन निर्माता/सिमिति/उपभोक्ताओं द्वारा उनके स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किये जाने चाहिये।
- 4.27 उत्थापक (lift), जल उद्घाहकों (water pumps) इत्यादि हेतु सार्वजनिक उपयोग के संयोजन (connection) विकासक / भवन निर्माता / समिति के नाम पर प्रदान किये जायेंगे। यदि पलैट स्वामियों की ओर से विद्युत आपूर्ति बाबत आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो विकासक / भवन निर्माता / समिति के नाम पर संयोजन प्रदान किये जा सकते हैं। ऐसे संयोजन बाद में, इस बारे में निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर, वैयक्तिक रूप से पलैट स्वामी / अधिवासी के नाम पर स्थानांतरित किये जा सकते हैं। ऐसे वैयक्तिक संयोजन का अनुबंध तद्नुसार निष्पादित किया जायेगा।
- 4.28 अधोसंरचना के विकास के प्रयोजन से विद्युत वितरण प्रसंवाहियों (distribution mains) के विस्तार हेतु, बहुउपभोक्ता संकुल (Complex) के भार की गणना निम्न आधार पर की जाएगी (क्षेत्रफल वैयक्तिक इकाई का निर्मित क्षेत्रफल (built up area) दर्शाता है}:

<u>क्षेत्रफल</u> <u>भार</u>

(ए) 500 वर्ग फीट तक 2 किलोवॉट

(बी) प्रत्येक अतिरिक्त 500 वर्ग फीट या 500 वर्ग से अधिक उसके भाग के निर्मित क्षेत्रफल के लिए आधा (0.5) किलोवॉट भार जोड़ा जाएगा।

उत्थापक (lift), जल उद्वाहक (water pump),पार्कंग प्रकाश व्यवस्था, इत्यादि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का भार विकासक/भवन निर्माता/समिति/ उपभोक्ता द्वारा घोषित भार के अनुसार लिया जायेगा । तत्पश्चात, यदि भवन निर्माता/डेवलपर/सिति/उपभोक्ता मकानों या भवनों का निर्माण विक्रय हेतु करते हैं तो भार का पुनर्आकलन उपरोक्त उल्लेखित दिशा—निर्देशों के अनुसार किया जाएगा तथा भवन निर्माता/विकासक/सिति/उपभोक्ता को प्रयोज्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges) अथवा अन्य प्रयोज्य प्रभारों का भुगतान समय—समय पर पुनर्आंकलित भार पर आधारित पूर्व

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

में भुगतान किये गये प्रभारों को घटा कर, यदि वे लागू हों, इस मद के अन्तर्गत किया जाएगा।

बहुउपभोक्ता संकुलों के भार निर्धारण के बारे में भार आकलन की उपरोक्त उल्लेखित प्रक्रिया विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges) अथवा अन्य प्रयोज्य प्रभारों की समय—समय पर वसूली में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से है। तथापि, प्रतिभूति निक्षेप की गणना वैयक्तिक उपभोक्ता को संयोजन प्रदान करते समय उसके द्वारा घोषित भार एवं संलग्न परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर की जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पुर्नवास/पुर्नव्यवस्थापन के उद्देश्य से विकसित बहुउपभोक्ता संकुलों को उपरोक्त प्रावधानों में भार संबंधी गणना के प्राक्कलन से छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे बहुउपभोक्ता संकुलों हेतु भार पर विचार आवेदक द्वारा आवेदित भार के आधार पर किया जाएगा।

4.29 भवन निर्माता / विकासक / सिमति / उपभोक्ता से बहुउपभोक्ता संकुलों अथवा वाणिज्यिक संकुलों में विद्युत प्रदाय हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन्हें विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से संबंधित कार्यवाही उपरोक्त उल्लेखित निम्नदाब विद्युत प्रदाय हेतु निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

(सी) आवासीय कालोनियों को निम्नदाब विद्युत प्रदाय (LT Supply to Housing Colonies)

- 4.30 आवासीय कालोनी के भवन निर्माता / विकासक / सिमिति / उपभोक्ताओं द्वारा विस्तार कार्य की लागत मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारी की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट अनुसार वहन की जाएगी। विकासक / भवन निर्माता / सिमिति / उपभोक्ता में ऐसे अभिकरण, भले ही वे शासकीय संस्थाएं, स्थानीय निकाय या निजी संस्थाएं हो, शामिल होंगे जो भवन / कालोनी का निर्माण करते हैं।
- 4.31 अधोसंरचना के विकास के प्रयोजन से विद्युत वितरण प्रसंवाहियों (distribution mains) के विस्तार हेतु आवासीय कालोनी के भार की गणना निम्न आधार पर की जायेगी (क्षेत्रफल भूखण्ड का क्षेत्रफल दर्शाता है):

क्षेत्रफल भार

- (बी) प्रत्येक अतिरिक्त 500 वर्ग फीट या 500 वर्ग फीट से अधिक उसके भाग के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्रफल के लिये एक किलोवाट भार जोड़ा जाएगा
- (सी) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) के लिये प्लाट या मकान हेत्1.0 किलोवॉट
- (डी) अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector)(आरक्षित गंदी बस्ती क्षेत्र) 0.5 किलोवॉट हेतु प्रति संयोजन

उत्थापक (lift), जल,उद्वाहक (waterpump), पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, पथ—प्रकाश व्यवस्था आदि जैसी सार्वजिनक सुविधाओं का भार विकासक/भवन निर्माता/ समिति/उपभोक्ता द्वारा घोषित् भार के अनुसार लिया जा सकेगा। तत्पश्चात, यदि

भवन निर्माता / डेवलपर / सिमिति / उपभोक्ता उपरोक्त भूखण्डों के विक्रय के स्थान पर मकानों या भवनों का निर्माण विक्रय हेतु करते हैं तो भार का पुनर्आकलन उपरोक्त कण्डिका 4.28 में प्रदत्त दिशा—निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा भवन निर्माता / विकासक / सिमिति / उपभोक्ता को प्रयोज्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges) अथवा अन्य प्रयोज्य प्रभारों का भुगतान समय—समय पर पुनर्आंकलित भार पर आधारित पूर्व में भुगतान किये गये प्रभारों को घटा कर, यदि वे लागू हों, इस मद के अन्तर्गत किया जाएगा।

भार के आकलन की उपरोक्त उल्लेखित प्रक्रिया, वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या तथा क्षमता, वांछित उच्चदाब/निम्नदाब तन्तुपथ लाइनों की लंबाई निर्धारित करने तथा विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges) अथवा समय—समय पर लागू अन्य प्रयोज्य प्रभारों की वसूली में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से है। तथापि, प्रतिभूति निक्षेप की गणना वैयक्तिक उपभोक्ता को संयोजन प्रदान करते समय उसके द्वारा घोषित भार एवं परीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित भार के आधार पर की जायेगी। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास/पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से विकसित कालोनियों को उपरोक्त प्रावधानों में भार संबंधी गणना के प्राक्कलन से छूट प्रदान की जाएगी। ऐसी कालोनियों हेतु भार पर विचार आवेदक द्वारा आवेदित भार के आधार पर किया जाएगा।

- 4.32 भवन निर्माता / विकासक / समिति / उपभोक्ता से आवासीय कालोनी के लिये विद्युत प्रदाय हेतु आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराने संबंधी कार्यवाही निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जाएगी।
- (डी) कृषि / सिंचाई पंप सेटों को निम्नदाब विद्युत प्रदाय (LT Supply for Agriculture/Irrigation Pump sets)
- 4.33 जहां वितरण प्रसंवाही (distribution mains) का विस्तार और/अथवा वितरण द्रांसफार्मर की क्षमता का विस्तार आवश्यक न हो वहां निम्नदाब प्रदाय के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन कृषि/सिंचाई पम्प सेटों को विद्युत प्रदाय हेतु किया जायेगा।
- 4.34 पंजीकृत सहकारी समिति अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मान्यताप्राप्त किसानों के समूह को भी कृषि / सिंचाई पम्प सेट हेतु एकल बिन्दु पर भी विद्युत प्रदाय की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
- 4.35 परिसर का निरीक्षण करने पर यदि यह पाया जाता है कि वितरण प्रसंवाही (distribution mains) का विस्तार और / अथवा वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किया जाना अपेक्षित है तो शासन या वित्तीय संस्था, जैसे कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आदि से उपलब्ध वित्तीय सहायता से कार्य निष्पादन की संभावना का परीक्षण किया जायेगा। लाईन का विस्तार आवश्यक न होने की दशा में, निरीक्षण से दस दिवस में तथा तन्तुपथ (लाईन) का विस्तार आवश्यक होने की दशा में निरीक्षण से 30 दिनों में उपभोक्ता को यह सूचना दी जायेगी कि अनुज्ञिप्तिधारी उपलब्ध अन्य स्त्रोतों से कार्य का निष्पादन कर सकेगा अथवा उपभोक्ता द्वारा कार्य की लागत का पूर्ण भुगतान करने के उपरांत कार्य निष्पादन किया जा सकेगा। यदि उपभोक्ता द्वारा अनुमानित व्यय के भुगतान के बाद ही कार्य किया जाना संभव हो तो अनुज्ञिप्तिधारी उपभोक्ता को राशि की

जानकारी से अवगत करायेगा। यदि विद्युत प्रदाय विस्तार कार्य अपेक्षित हो तो ऐसे पम्प सेट(ों) जिसके/जिनके कार्य की पूर्ण लागत का भुगतान उपभोक्ता(ओं) द्वारा किया जाना अपेक्षित हो, के विद्युतीकरण का कार्य उपभोक्ता(ओं) द्वारा निर्धारित राशि जमा करने पर ही प्रारंभ किया जायेगा। संयोजन संबंधी नवीन कार्य 'प्रथम आएं प्रथम पाएं' के व्यापक सिद्धांत के आधार पर प्रारंभ किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने से 3 कार्यकारी दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को स्थापना के परीक्षण हेतु दिनांक सूचित करेगा तथा उपभोक्ता(ओं) से परीक्षण-प्रतिवेदन (test report) प्रस्तुत करने का आग्रह करेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत परीक्षण प्रतिवेदन एवं परिसर की वायरिंग से संतुष्ट हो तो निरीक्षण दिनांक से 3 दिवस के भीतर संयोजन प्रदान कर दिया जायेगा।

4.36 कृषि उपभोक्ता, यदि इच्छुक हो तो वह प्रयोज्य प्रभारों के भुगतान के उपरान्त, अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदन से अपने परिसर के अन्दर अपने संयोजन का स्थान परिवर्तित कर सकेगा।

(ई) सार्वजनिक पथ-प्रकाश व्यवस्था को निम्नदाब विद्युत प्रदाय (LT Supply to Public Street Lighting)

- 4.37 नवीन अथवा अतिरिक्त सार्वजिनक पथ—प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युत प्रदाय के आवेदन निर्धारित प्ररूप में अनुज्ञिप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में नगरपालिक निगम या नगरपालिका या म्यूनिसिपल बोर्ड या ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय या शासकीय विभाग या सार्वजिनक पथ—प्रकाश व्यवस्था के रख—रखाव हेतु शासन द्वारा उत्तरदायी बनाये गये किसी अन्य संगठन {िजसे सार्वजिनक पथ—प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में आगे ''स्थानीय निकाय (local body)'' कहा गया है द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा ।
- 4.38 पथ—प्रकाश बित्तियों के आवेदन के साथ स्थानीय निकाय का संकल्प एवं जहां पथ—प्रकाश बित्तियों की आवश्यकता है, वहां के विद्यमान या नवीन खंभों की संख्या दर्शाते हुये मानचित्र प्रस्तुत करना होगा ।
- 4.39 फिटिंग्स, ब्रेकेट्स तथा विशेष फिटिंग्स भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित मापदण्डों या इसके समतुल्य के अनुरूप होंगे तथा विद्यमान विनियमों / नियमों के अन्तर्गत सुरक्षात्मक दूरी पर स्थापित किये जाएंगे। समस्त फिटिंग्स व ब्रेकेट्स सहित, सार्वजनिक पथ—प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युत प्रदाय की व्यवस्था की पूर्ण लागत स्थानीय निकाय को वहन करनी होगी। किसी विशेष फिटिंग्स को स्थापित किये जाने की स्थिति में स्थानीय निकाय द्वारा ही इसकी व्यवस्था की जाएगी।
- 4.40 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थल निरीक्षण के 15 दिवस के भीतर शहरी क्षेत्रों में तथा 30 दिवस के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में, विस्तार कार्य की लागत की लिखित सूचना स्थानीय निकाय को दी जाएगी। स्थानीय निकाय द्वारा वांछित राशि का भुगतान एवं अनुबन्ध निष्पादित करने के बाद ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

4.41 विद्युत मीटर एवं पथ—प्रकाश बत्ती स्विच/एमसीबी/टाईमरों की स्थापना के लिये एक समुचित द्विखंडीय मौसम रोधी धातु का बक्सा (Double Compartment Weather Proof Metal Box) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थानीय निकाय के व्यय पर स्थापित किया जायेगा।

4.42 पथ—प्रकाश बत्ती के खंभों एवं विद्युत तन्तुपथों (लाईनों) का रखरखाव अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान के आधार पर किया जायेगा तथा स्थानीय सूर्यास्त के समय से 15 मिनट पूर्व चालू करने एवं स्थानीय सूर्योदय के समय से 15 मिनट पूर्व इसे बंद करने की व्यवस्था भी उसके द्वारा की जाएगी। पथ—प्रकाश बत्ती उपभोक्ताओं के निवेदन पर खंभों पर लगे फिक्सचर्स / बल्बों (वर्तमान में लगे हुए विद्युत भार के अनुरूप ही) को बदलने का कार्य भी स्थानीय निकाय से फिक्सचर्स, बल्ब इत्यादि प्राप्त होने के सात दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्पन्न किया जाएगा। ऐसी समस्त सेवायें मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारी की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम, 2009 के अनुसार प्रभारणीय होंगी।

(एफ) अस्थायी विद्युत प्रदाय (Temporary Power Supply)

- 4.43 कोई व्यक्ति जिसे दो वर्षों से कम अविध के लिये विद्युत प्रदाय की आवश्यकता हो निर्दिष्ट प्ररूप (परिशिष्ट 1 व 2) में अस्थाई विद्युत प्रदाय के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अस्थाई संयोजन की समय—अविध को भवन निर्माण गतिविधियों तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा उनकी इकाईयों स्थापित किये जाने के प्रयोजन से उपकरणों की स्थापना के लिये पाँच वर्षो तक बढ़ाया भी जा सकता है। आवेदन पत्र सामान्यतः विद्युत प्रदाय की आवश्यकता की तिथि से सात दिवस पूर्व जहां भार 10 किलोवाट तक हो तथा उच्चतर भारों के लिये 30 दिवस पूर्व प्रस्तुत किये जाएंगे।
- 4.44 उपभोक्ता, जहां अस्थायी संयोजन की आवश्यकता है, उक्त स्थान संबंधी, अधिवास का प्रमाण अथवा स्थानीय निकाय या परिसर के स्वामी की स्वीकृति, जैसा प्रकरण में लागू हो, प्रस्तुत करेगा। यदि अस्थायी विद्युत प्रदाय की आवश्यकता ऐसे परिसर / स्थान में हो जहां 100 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की संभावना हो, वहां उपभोक्ता को अधिनियम की धारा 54 में निहित प्रावधानों का परिपालन करना होगा। पूर्व—भुगतान मापयन्त्रों (Pre-paid meters) की उपलब्धता होने का दशा में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन्हे ऐसे उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 4.45 यदि विद्युत प्रदाय दिया जाना संभव हो तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को विस्तार कार्य, जैसे कि सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाईन), मापयन्त्र (मीटर), कट—आउट/एमसीबी आदि को स्थापित करने व हटाने की लागत, प्रदाय की अवधि की आकलित खपत के प्रभारों और उपस्कर एवं सामग्री का भाड़ा सहित भुगतान किए जाने वाले प्रभारों की सूचना देगा। उपभोक्ता को ऐसे समस्त प्रभारों का भुगतान अग्रिम रूप से करना होगा।
- 4.46 विद्युत प्रदाय के विच्छेदन के पश्चात् उपभोक्ता के लिये यह विकल्प उपलब्ध रहेगा कि वह वापस निकाली गई सामग्री को प्राप्त करे अथवा वह सामग्री, जो अच्छी स्थिति में निकाली जाकर भण्डार में वापस की जाए, के मूल्य का

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

समायोजन उसके उक्त अस्थायी कनेक्शन के अंतिम देयक में प्रचलित नियमानुसार प्राप्त करे ।

- 4.47 यदि उपभोक्ता को 90 दिवस से अधिक की अवधि के लिए अस्थाई प्रदाय की आवश्यकता हो तो अनुज्ञप्तिधारी 90 दिवस की आकलित खपत के प्रभारों के अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर सकेगा और मासिक खपत के देयकों को प्रेषित कर सकेगा। यदि उपभोक्ता विद्युत देयकों का भुगतान समय पर करने में चूक करता हो तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लिया गया अग्रिम बाकी बची समयावधि के लिये अपर्याप्त हो, तो ऐसी दशा में अस्थाई विद्युत प्रदाय का विच्छेदन भी किया जा सकेगा।
- 4.48 यदि कृषि उपभोक्ता चाहे तो, कृषि उपयोग हेतु अस्थायी संयोजन के लिये आवेदन कर सकता है । ऐसी स्थिति में, उपभोक्ता को प्रस्तावित संयोजन की अविध की भुगतानयोग्य सम्पूर्ण देयक राशि का अग्रिम भुगतान करना होगा। अस्थायी संयोजनों पर लागू समस्त प्रभार तथा अन्य शर्ते प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार लागू होंगे। इस प्रावधान में निहित किसी बकाया राशि का भुगतान न करने का दोषी पाये जाने पर उपभोक्ता को पुराने बकायों का निपटान होने तक नया संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी इस प्रावधान के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय के लिये विशेष रूप से स्थापित उपकरण को प्रदाय अविध समाप्त होने के उपरान्त, हटाये जाने हेतु पूर्णतया अधिकृत होगा ।
- 4.49 उपभोक्ता द्वारा भुगतान करने व अन्य आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने पर अनुज्ञप्तिधारी 10 किलोवाट भार तक तीन दिवस के अन्दर व अन्य प्रकरणों में सात दिवस में विद्युत प्रदाय प्रारंभ करेगा। उपभोक्ता द्वारा तन्तुपथ विस्तार कार्य (line extension work) उपयुक्त अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित कराया जाना अनिवार्य है।
- 4.50 यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक खपत के प्रभार अग्रिम भुगतान से अधिक न हों, अस्थाई संयोजन की अवधि के दौरान मापयंत्र वाचन (meter reading) किया जा सकेगा।
- 4.51 अस्थाई विद्युत प्रदाय की अवधि पूरी होने पर तथा विद्युत प्रदाय के विच्छेदन के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी अन्तिम देयक तैयार करेगा तथा विद्युत प्रदाय विच्छेदन की दिनांक से 30 दिवस के भीतर इसे उपभोक्ता को प्रेषित करेगा तथा वापसी योग्य शेष राशि, यदि कोई हो, को उपभोक्ता से मूल भुगतान रसीद प्राप्त करने अथवा उसके द्वारा क्षतिपूरक बन्धपत्र (indemnity bond) प्रस्तुत करने के 30 दिवस के अन्दर प्रत्यर्पण करेगा। इस अवधि से अधिक विलम्ब के दिनों की संख्या के लिए, अनुज्ञप्तिधारी को वापसीयोग्य बकाया राशि पर एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान आनुपातिक दर से, भुगतान के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि से अधिक विलंब दिवसों के लिये करना होगा। ऐसे प्रकरणों में जहां उपभोक्ता उसके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, का भुगतान देयक जारी होने से तीस दिवस के भीतर नहीं करता है तो उसे वितरण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट अनुसार अधिभार का भुगतान करना होगा।

(जे) तत्काल योजना (Tatkal Yojana) :

4.52 यदि तकनीकी रूप से साध्य हो, तो अनुज्ञप्तिधारी, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम 2009 में विनिर्दिष्ट अनुसार उपभोक्ता के अनुरोध पर उससे अतिरिक्त शुल्क का भुगतान प्राप्त कर 24 घंटे की सूचना पर अस्थायी विद्युत प्रदान कर सकेगा।

(एच) उच्चदाब पर विद्युत प्रदाय (Supply at HT) :

- उच्चदाब पर विद्युत प्रदाय के संबंध में, उपभोक्ता से विनिर्दिष्ट प्ररुप में. मय 4.53 वांछित अभिलेखों के, आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय की साध्यता की सूचना के संबंध में निरीक्षण की तिथि की सूचना लिखित में पन्द्रह दिवस के भीतर उपभोक्ता को प्रदान की जाएगी। उपभोक्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि निरीक्षण के समय उपस्थित रहेगा। अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय की साध्यता की जांच करेगा तथा साध्य पाये जाने पर विद्युत प्रदाय का बिन्द निर्धारित करेगा। उपभोक्ता को अपने परिसर में वांछित क्षमता का ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र स्वयं के व्यय पर स्थापित करना होगा। निम्नदाब से उच्चदाब संयोजन में परिवर्तन किये जाने की दशा में उपभोक्ता को वांछित क्षमता का पृथक ट्रांसफार्मर उपभोक्ता परिसर के भीतर स्थापित करना होगा तथा उसे पूर्वे में स्थापित किये गये ट्रांसफार्मर / निम्नदाब तथा उच्चदाब तन्तुपथ (लाईन) सम्पत्ति पर दावा किये बगैर, इन्हें स्वयं के व्यय पर हटाना होगा। अनुज्ञप्तिधारी जहां उचित समझे, लाईन के अंतिम छोर पर विस्तार (span) के लिये 'एरियल बन्च्ड केबल (Aerial Bunched Cable)' के उपयोग के लिये जोर दे सकता है जिसका व्यय उपभोक्ता को स्वयं वहन करना होगा।
- 4.54 सामान्यतः, उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय केवल उद्योगों के लिये प्रयोज्य, संभरकों (feeders) के माध्यम से ही किया जाएगा। सतत प्रसंस्करण उद्योग (continuous process industry) धारित करने वाले उपभोक्ताओं के प्रकरणों में विद्युत प्रदाय निकटतम 33/11 केवी या अति उच्चदाब उपकेन्द्र से एक पृथक संभरक के माध्यम से विद्युत प्रदाय को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 4.55 नये उच्चदाब उपभोक्ताओं (दोनों 11 केवी या 33 केवी पर) को सामान्यतः ग्रामीण संभरकों से विद्युत प्रदाय नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि किसी तकनीकी कारण से ग्रामीण संभरक से विद्युत प्रदाय किया जाता है तो उपभोक्ता को इस बारे में सूचित किया जायेगा कि ग्रिंड की परिस्थितियों के अनुसार ग्रामीण संभरकों के विद्युत प्रदाय को प्रतिबंधित एवं विनियमित किया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय के प्रतिबंधों के बारे में अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्तिधारी पर क्षतिपूर्ति का कोई दायित्व न होने का एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, निष्पादित अनुबंध के अंतर्गत इस स्थिति के बारे में विशेष कंडिका के अन्तर्गत इस तथ्य का उल्लेख भी किया जाएगा।
- 4.56 अनुज्ञप्तिधारी विस्तार कार्य की लागत, यदि कोई हो, प्रतिभूति निवेश की राशि के साथ—साथ भुगतान की जाने वाली अन्य राशि की सूचना निरीक्षण तिथि से

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

पन्द्रह दिवस के भीतर उपभोक्ता को सूचित करेगा। इसी के साथ-साथ वह अनुबंध के प्रारुप की प्रतिलिपि भी अग्रेषित करेगा।

4.57 प्रभारों, प्रतिभूति निक्षेप (security deposit), विस्तार कार्य की लागत के भुगतान, यिद कोई हो, तथा अनुबंध के निष्पादन के बाद अनुज्ञिप्तिधारी प्रसंवाही (mains) के विस्तार का कार्य प्रारंभ करेगा। उपभोक्ता यिद इच्छुक हो तो वह अनुज्ञिप्तिधारी को आवश्यक पर्यवेक्षण प्रभारों का भुगतान कर, स्वयं निष्पादन उपयुक्त श्रेणी के अनुज्ञिप्तिधारक ठेकेदार के माध्यम से कर सकता है। कार्य को निर्धारित कार्याविध के अंदर पूर्ण किया जायेगा। मापयन्त्र (मीटर), मापयन्त्र उपस्कर की स्थापना के तुरन्त बाद, अनुज्ञिप्तिधारी विद्युत प्रदाय की उपलब्धता के बारे में तीन माह की सूचना उपभोक्ता को जारी करेगा। उपभोक्ता अनुज्ञिप्तिधारी को विद्युत निरीक्षक से स्थापना के ऊर्जीकरण की अनुमित प्रस्तुत करेगा। खदानों के प्रकरण में, खदान निरीक्षक की अनुमित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वांछित अनुमित(यों) के प्राप्त होने पर अनुज्ञिप्तिधारी उपभोक्ता की उपस्थिति में यथोचित परीक्षण के उपरांत मापयन्त्र (मीटर) को सील करेगा तथा संयोजन प्रदान करेगा।

(आई) अति उच्चदाब पर विद्युत प्रदाय (Supply at Extra High Tension) :

- 4.58 अति उच्चदाब पर विद्युत प्रदाय के लिए निर्धारित प्ररूप में आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में विद्युत प्रदाय की साध्यता की जांच करने हेतु स्थल निरीक्षण की तिथि निर्धारित कर सूचना देगा। अनुज्ञप्तिधारी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण करेंगे। उपभोक्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहेगा। उपर्युक्त दोनों अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता की जांच करेंगे तथा उपभोक्ता हेतु विद्युत प्रदाय साध्य पाये जाने पर विद्युत प्रदाय का बिन्दु निर्धारित करेंगे।
- 4.59 अनुज्ञप्तिधारी विस्तार कार्य की लागत, यदि कोई हो, प्रतिभूति निक्षेप तथा अन्य प्रभारों की राशि यदि कोई हो, सिहत भुगतान किये जाने वाली राशि की सूचना उपभोक्ता को देगा। उसके द्वारा, साथ ही में, अनुबंध का प्रारूप भी प्रेषित किया जाएगा।
- 4.60 उपभोक्ता द्वारा प्रभारों की राशि, मय प्रतिभूति निक्षेप के भुगतान के बाद तथा अनुबंध निष्पादित करने के उपरान्त, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराने के लिए विस्तार कार्य करने के संबंध में अनुरोध किया जायेगा। यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो वह अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान के बाद स्वयं इस कार्य का निष्पादन कर सकेगा।
- 4.61 मापयन्त्र (मीटर) तथा मापयन्त्र उपस्कर की स्थापना के तुरन्त बाद अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय की उपलब्धता के बारे में तीन माह का नोटिस जारी करेगा। इसी प्रकार, उपभोक्ता द्वारा आन्तरिक विद्युत कार्य का निष्पादन किये जाने के पश्चात वह अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत निरीक्षक से स्थापना के उर्जीकरण की स्वीकृति प्रस्तुत करेगा। खदानों के प्रकरण में, खदान निरीक्षक की स्वीकृति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वांछित प्रतिवेदनों के प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

उपभोक्ता की उपस्थिति में, यथोचित परीक्षण के उपरान्त मापयन्त्र को सील करेगा तथा संयोजन प्रदान करेगा।

- 4.62 ऐसे प्रकरणों में, जहां विस्तार कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी एक माह के भीतर विद्युत प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करेगा {जो आकस्मिक परिस्थितियों से संबंधित शर्तों (Force Majeure Conditions) के अध्यधीन होगा} जैसा कि इसे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43(1) में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसका क्रियान्वयन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वांछित विनिर्दिष्ट प्ररूप में सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन के साथ आवश्यक प्रभारों के भुगतान तथा अन्य अनुपालन संबंधी अभिलेखों के प्राप्त होने पर किया जाएगा।
- 4.63 ऐसे प्रकरणों में जिनमें तन्तुपथ (line) अथवा उपकेन्द्र (Sub-station) का विस्तार अथवा संयंत्र की स्थापना अथवा ट्रांसफार्मर की स्थापना अथवा उपकेन्द्र की रूपान्तरण क्षमता (transformation capacity) में वृद्धि अथवा तन्तुपथों की क्षमता में वृद्धि किया जाना अपेक्षित हो, संयोजन को निम्न तालिका में दर्शाई गई समय सीमाओं के अन्तर्गत संयोजन प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा (जो आकिस्मक पिरिश्वितयों से संबंधित शर्तों (Force Majeure conditions) के अध्यधीन होगा जिसका क्रियान्वयन सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति तथा आवश्यक प्रभारों के भुगतान तथा समस्त औपचारिकताएं, जैसे कि अनुबंध के निष्पादन, आदि के पूर्ण किये जाने पर किया जाएगा।

सेवा संयोजन का प्रकार	उपभोक्ता को सेवा संयोजन प्रदान
	करने हेतु निर्धारित समय–सीमा
निम्नदाब संयोजन (LT Connection)	
(अ) कृषि संयोजन को छोड़कर बाकी समस्त	(अ) आवेदन की प्राप्ति से 60
संयोजन	दिवस के भीतर
(ब) कृषि संयोजन, ऐसे मौसम में जब कृषि भूमि	(ब) आवेदन की प्राप्ति से 90
के लिये स्पष्ट पहुंच उपलब्ध हो	दिवस के भीतर
(स) कृषि संयोजन, ऐसे मौसम में जब कृषि भूमि	(स) पहुंच उपलब्ध कराये जाने पर,
के लिये स्पष्ट पहुंच उपलब्ध नहीं हो	90 दिवस के भीतर
उच्चदाब संयोजन (HT Connection)	पहुंच उपलब्ध कराये जाने पर, 90
	दिवस के भीतर
अति उच्चदाब संयोजन (EHT Connection)	पहुंच उपलब्ध कराये जाने पर, 180
	दिवस के भीतर

4.64 आयोग, कारणों को लिखित रूप में अभिलेखित कर, उपरोक्त निर्धारित की गई समयसीमाओं से विचलन कर सकेगा यदि आयोग के मतानुसार विचलन हेतु ऐसे परिस्थितिजन्य कारण हों। ऐसे निर्देश आयोग के समक्ष अनुज्ञप्तिधारी द्वारा याचिका दायर करने पर आयोग के एक आदेश के माध्यम से जारी किये जाएंगे। यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित समयसीमा के भीतर विद्युत प्रदाय करने में चूक करता हो तो उसे अधिनियम धारा 43 (3) के अन्तर्गत अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

4.65 समूह प्रयोक्ता को विद्युत प्रदाय संबंधी निबंधन तथा शर्तें (Terms and conditions of supply to Group user):

किसी समूह प्रयोक्ता की योग्यता : समूह प्रयोक्ताओं को वितरण अनुज्ञप्तिधारी से आवासीय प्रयोजन हेतु किसी एकल बिन्दु पर विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

- 4.66 विद्युत आपूर्ति का उपयोग प्राथमिक तौर पर आवासीय प्रयोजन के लिये समूह प्रयोक्ता के सामान्य सार्वजनिक सुविधाओं संबंधी भारों को सम्मिलित कर, जैसे कि, उत्थापक व्यवस्था (lift), जलप्रदाय की उद्वहन व्यवस्था हेतु पंपों के उपयोग एवं सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था के लिये किया जाएगा। समूह प्रयोक्ता संयोजित भार के साथ—साथ सामान्य सार्वजनिक सुविधाओं का विवरण अनुज्ञप्तिधारी को संयोजन प्राप्ति के समय अथवा संविदा मांग (Contract Demand) में वृद्धि करते समय सूचित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त भार का भौतिक सत्यापन कर सकेगा। यदि सत्यापन के समय गैर—आवासीय गतिविधि का उपयोग होना पाया जाता है जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्व में अनुज्ञेय नहीं किया गया था तो ऐसी दशा में इसे विद्युत का अनिधकृत उपयोग माना जाएगा तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत इस संबंध में उपयुक्त अधिकारी द्वारा समुचित कार्यवाही की जा सकेगी।
- 4.67 आवेदक समूह प्रयोक्ता से मांग—पत्र प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी प्राप्त किये गये आवेदन तथा उसके साथ संलग्न अभिलेखों का सत्यापन करेगा। किसी सहकारी समूह गृह—निर्माण समिति के प्रकरण में, आवेदक सहकारी समूह गृह—निर्माण समिति, जो एकल बिन्दु पर विद्युत प्रदाय की इच्छुक हो, द्वारा पंजीयन संबंधी सत्यापित प्रति भी आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी।
- 4.68 समूह प्रयोक्ता के आवेदन बाबत् एकल बिन्दु उच्चदाब प्रदाय के संबंध में अनुसरण की जाने वाली क्रियाविधि अन्य उच्चदाब उपभोक्ता के अनुरूप होगी।
- 4.69 विद्युत प्रदाय तथा मापयन्त्र (मीटरिंग) प्रणाली : प्रदाय की प्रणाली विनिर्दिष्ट संविदा मांग की सीमाओं के अनुरूप इस संहिता में विनिर्दिष्ट अनुसार उच्चदाब अथवा अति उच्चदाब होगी।
- 4.70 समूह प्रयोक्ता हेतु उच्चदाब या अति उच्चदाब मापयन्त्र व्यवस्था (metering) की स्थापना प्रदाय बिन्दु पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रित यूनिटों को अभिलेखित (रिकार्ड) करने तथा समूह प्रयोक्ता को देयक प्रस्तुत करने के प्रयोजन से की जाएगी।
 - (अ) वितरण उपकेन्द्र तथा अन्य आवश्यक अधोसंरचना, यथा, वैयक्तिक मापयन्त्रों (मीटरों) तथा सेवा तन्तुपथों (service lines) हेतु निम्नदाब तन्तुपथों (LT lines), केबल्स, संभरक स्तम्भों (feeder pillars) मापयन्त्र पैनलों (metering panels) को आवेदक समूह प्रयोक्ता द्वारा स्थापित किया जाएगा तथा वह ऐसी समस्त परिसंपत्तियों का स्वामित्व—प्राधिकार (ownership) धारित करेगा।
 - (ब) समूह प्रयोक्ता विद्युत प्रदाय बिन्दु के बाद की सम्पूर्ण अधोसंरचना प्रणाली (network) के संधारण हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। समूह प्रयोक्ता

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

उसके द्वारा प्रतिधारित तथा निष्पादित समस्त परिसंपत्तियों एवं कार्यों संबंधी निर्माण हेतु तथा सुरक्षा मानकों को संधारित किये जाने के संबंध में भी उत्तरदायी होगा।

- 4.71 समूह प्रयोक्ता विद्युत वितरण से संबंधित विभिन्न वाणिज्यिक एवं तकनीकी गतिविधियों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
- 4.72 समूह प्रयोक्ता के विद्युत प्रदाय बिन्दु तक के तन्तुपथों (लाईनों) के विस्तार तथा प्रणाली की उन्नयन संबंधी संपत्ति का भले ही भुगतान समूह प्रयोक्ता द्वारा किया गया हो, के बावजूद इसका स्वामित्व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ही धारित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ही इस व्यवस्था का संधारण किया जाएगा तथा उसके पास ही इसी सेवा संयोजन के किसी अन्य व्यक्ति हेतु विद्युत प्रदाय के विस्तार द्वारा उपयोग किये जाने का अधिकार भी निहित होगा परन्तु इस प्रकार से किया गया विस्तार अथवा सेवा संयोजन समूह प्रयोक्ता को, जिसके द्वारा वितरण प्रदाय प्रणाली (नेटवर्क) के विस्तार का भुगतान किया गया था, को विद्युत प्रदाय प्रतिकृल तौर पर प्रभावित नहीं करेगा।
- 4.73 समूह प्रयोक्ता विद्युत प्रदाय बिन्दु से वैयक्तिक परिसर हेतु उसके स्वयं की वितरण व्यवस्था (नेटवर्क) के विस्तार कार्य का निष्पादन उचित श्रेणी के अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार से करा सकेगा तथा उच्चदाब तन्तुपथ (लाईन) और / अथवा उच्चदाब उपकेन्द्र एवं निम्नदाब तन्तुपथों (लाईनों) का विस्तार कार्य 'ए' श्रेणी ठेकेदार से करा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में समूह प्रयोक्ता को स्वयं सामग्री की अधिप्राप्ति व्यवस्था (procure) करनी होगी।
- 4.74 प्रदाय बिन्दु पर मापयन्त्र व्यवस्था की स्थापना (installation of metering) हेतु वांछित भूमि / व्यवस्थापन (accomodation) की व्यवस्था समूह प्रयोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को निशुल्क प्रदान की जाएगी जिस हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भाड़े अथवा अधिमूल्य (प्रीमियम) का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 4.75 समूह प्रयोक्ता द्वारा किसी मानदण्ड पर विचार—विमर्श के प्रयोजन की दृष्टि से, अधोसंरचना के विकास हेतु तथा अनुज्ञिप्तिधारी द्वारा प्रभारों की वसूली हेतु भार गणनाओं के प्रयोजन हेतु, यदि कोई हों, आवासीय कालोनी / बहुप्रयोक्ता संकुल (multi user complex) के उपभोक्ता हेतु भार की गणना, उसी आधार पर की जाएगी जैसा कि इसे संहिता में आवासीय कालोनियों के बहुप्रयोक्ता संकुल हेतु निम्नदाब विद्युत प्रदाय हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है।
- 4.76 समूह प्रयोक्ता को प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा का उपयोग समूह प्रयोक्ता द्वारा ऐसी रीति से नहीं किया जाएगा जो अनुज्ञप्तिधारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले तथा समस्त किया जा रहा उपयोग अनुबंध के उपबंधों तथा लागू अधिनियमों के अनुसार ही किया जाएगा।
- 4.77 समूह प्रयोक्ता ऊर्जा के उपयोग को अनुबंध में उल्लेखित प्रयोजन के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु व्यपवर्तित (divert) नहीं कर सकेगा। समूह प्रयोक्ता विद्युत प्रदाय को उस क्षेत्र के अतिरिक्त, जिस हेतु इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत किया गया था, उसके परिसर से परे विस्तारित नहीं कर सकेगा जब

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

तक ऐसे व्यपवर्तन (diversion) अथवा विस्तार (extension) हेतु इसकी पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली गई हो।

अनुबंध (Agreement)

- 4.78 समूह प्रयोक्ता द्वारा ऐसे मानचित्र जो स्पष्ट रूप से प्लाट/भवन तथा विद्युत वितरण व्यवस्था (नेटवर्क) के साथ—साथ प्रत्येक खंभे (पोल) व ट्रांसफार्मर अथवा अन्य कोई उपकरण का सूचीकरण दर्शाते हों तथा जिन पर प्रयोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परस्पर सहमति व्यक्त की गई हो तथा हस्ताक्षरित कर लिये गये हों, अनुबंध का भाग होंगे।
- 4.79 यदि अनुज्ञप्तिधारी एवं समूह प्रयोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध में किसी परिवर्तन / संशोधन की आवश्यकता हो तो इसे अनुपूरक अनुबंध (Supplementary Agreement) के माध्यम से निष्पादित किया जा सकेगा।
- 4.80 इस संहिता की अन्य समस्त शर्तें समूह प्रयोक्ता को भी लागू होंगी।

प्रयोज्य विद्युत-दर (Applicable Tariff) :

4.81 अनुज्ञप्तिधारी, समूह प्रयोक्ता को, विक्रित यूनिटों से संबंधित विद्युत देयकों को, लागू विद्युत—दर (टैरिफ) के अनुसार प्रेषित करेगा।

सहकारी समूह गृह—निर्माण समिति द्वारा विक्रित अथवा पट्टे पर दी गई किसी आवासीय इकाई के किसी रहवासी द्वारा क्षेत्रीय अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्रदाय की मांग की जाना (Demand of supply from the Licensee of the area by any person residing in the housing unit sold or leased by Cooperative Group Housing Society):

- 4.82 इस संहिता के उपबंध सहकारी समूह गृह—निर्माण सिमिति द्वारा रहवासी को विक्रित की गई या पट्टे पर प्रदान की गई किसी इकाई के संबंध में क्षेत्रीय वितरण अनुज्ञप्तिधारी से किसी भी प्रकार से सीधे विद्युत मांग किये जाने संबंधी अधिकार को निम्न निबंधन एवं शर्तों के अन्तर्गत वंचित नहीं कर सकेंगे :
- (i) सहकारी समूह गृह—निर्माण सिमिति को सिमिति के किसी भी व्यक्ति को सीधे वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु अनुमित प्रदान करनी होगी। सहकारी समूह गृह—निर्माण सिमिति को निम्नांकित के संबंध में कोई आपित्ति न होगी:
 - (अ) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को विद्युत आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत वितरण प्रणाली (नेटवर्क) से की जाएगी।
 - (ब) ऐसे व्यक्ति को विद्युत आपूर्ति किये जाने के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पर्याप्त रूप से वितरण प्रणाली का विस्तार समूह प्रयोक्ता के स्वयं के व्यय पर किया जाएगा।
 - (स) उपभोक्ता हेतु सेवा दायित्व का निर्वहन बिना किसी व्यवधान निष्पादित किये जाने के प्रयोजन से अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि को समूह प्रयोक्ता के परिसर में स्थापित की गई प्रणाली तक किसी भी समय पहुंच दिये

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

जाने हेतु प्रवेश व्यवस्था के साथ-साथ प्रदाय बिन्दु पर भी इसे सुलभ कराना होगा।

(ii) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मापयन्त्र (मीटर) की स्थापना ऐसे उपभोक्ता के परिसर में एक उपयुक्त स्थान पर की जाएगी तथा ऐसे व्यक्ति को विद्युत प्रदाय के मापयन्त्र का वाचन तथा विद्युत प्रदाय के देयक की वितरण व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित की जाएगी।

(iii) ऐसे व्यक्ति से विद्युत खपत के प्रभारों की वसूली अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत प्रयोज्य घरेलू दरों पर की जाएगी।

* * * * * * * * * *

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

अध्याय - 5

विद्युत प्रदाय बिन्दु एवं परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण (Point of Supply and Licensee's equipment in Premises)

विद्युत प्रदाय बिन्दु (Point of Supply)

- 5.1 जब तक किसी अन्य प्रकार से सहमित न हो विद्युत प्रदाय का प्रारंभिक बिन्दु अनुज्ञप्तिधारी के बहिर्गामी टर्मिनल (outgoing Terminal) पर निम्नानुसार अवस्थित होगा :
 - (अ) निम्नदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में कट आउट (cut out) पर, तथा
 - (ब) उच्चदाब अथवा अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में कंट्रोल स्विचिगयर पर जिसकी स्थापना अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपभोक्ता के परिसर में उनकी परस्पर सहमति से की जा सकेगी।
- 5.2 उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय उपभोक्ता परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के कट—आउट / एमसीबी / कंट्रोल स्विचिगयर से पूर्वप्रवेशी टिर्मिनल (Incoming Terminal) पर एकल बिन्दु पर किया जाएगा। भिन्न—भिन्न परिसरों में भिन्न—भिन्न संयोजन प्रदान किये जायेंगे। कोयला खदानों के प्रकरण में विशेष तौर पर, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की स्थापना के भौतिक अभिन्यास (physical lay out) तथा अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये उपभोक्ता की स्थापना में एक से अधिक बिन्दुओं पर भी विद्युत प्रदाय कर सकेगा।
- 5.3 उच्चदाब / अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में, विद्युत प्रदाय का बिन्दु इस प्रकार स्थापित किया जाएगा कि वह मार्ग से दृष्टिगोचर हो तथा वहां आसानी से भी पहुंचा जा सके।

समर्पित संभरक (Dedicated Feeder)

5.4 यदि किसी उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक सामान्य संभरक (feeder) के अतिरिक्त उसके अनुरोध किये जाने पर पृथक संभरक से भी विद्युत प्रदाय किया जाता है तो ऐसे अतिरिक्त पृथक संभरक को "समर्पित संभरक" कहा जाएगा। इस प्रकार के अनुरोध संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता परिसर में समर्पित संभरक को स्थापना हेतु गुण—दोष (merit) के आधार पर इसकी साध्यता का परीक्षण करेगा। यदि साध्य हो तो उपभोक्ता को समर्पित संभरक प्रदाय किया जाएगा एवं उपभोक्ता को इसके लिये म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम 2009 में निर्दिष्ट अनुसार अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान भी करना होगा। समर्पित संभरक का विस्तार विद्युत उपकेन्द्र से उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय के प्रारम्भिक बिन्द् तक किया जाएगा।

उपभोक्ता परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण की स्थापना (Licensee's Equipment in Consumer's Premises)

5.5 उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता के स्वामित्व की आवश्यक भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायेगा तथा उपभोक्ता के लिये सेवाप्रदाय हेतु न केवल अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से सीधे केबल (Direct Cable) या शिरोपरि तन्तुपथ (overhead

गा विवास मसम्प्र मंदिस ००४०

lines) को लाने के लिये उचित सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करायेगा वरन् इसके अलावा भी उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को अन्य उपभोक्ताओं के लिये भी आवश्यक स्विचिगयर एवं संयोजनों की स्थापना हेतु भी अपने परिसर में अनुमित प्रदान करेगा, जिससे यदि आवश्यक हो तो अन्य उपभोक्ताओं को भी उपभोक्ता परिसर में स्थित केबल तथा टर्मिनलों से विद्युत प्रदाय किया जा सके, परन्तु इस हेतु अनुज्ञप्तिधारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके (अनुज्ञप्तिधारी) मतानुसार कथित उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय अनुचित रूप से प्रभावित न होगा।

- 5.6 अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व वाले मापयन्त्र (मीटर) / कटआउट(cutout) / एमसीबी (MCB), सेवा प्रसंवाही (service mains) तथा अन्य उपकरणों के हस्तालन अथवा हटाये जाने संबंधी कार्यवाही केवल अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत कर्मचारी / प्रतिनिधि द्वारा ही की जा सकेगी। सील जो मापयन्त्र (मीटर) मापयन्त्र उपकरणों (metering equipments), भार—नियन्त्रकों (load limiters) तथा अनुज्ञप्तिधारी के अन्य उपकरण पर लगी हो, की किसी भी कारण से छेड़—छाड़ (tamper), नष्ट (damage) तथा तोड़ी (break) नहीं जाएगी। उपभोक्ता के परिसर में स्थापित किये गये अनुज्ञप्तिधारी के उपकरणों तथा मापयन्त्रों / मापयन्त्र उपकरणों पर स्थापित की गई सील की सुरक्षा का दायित्व उपभोक्ता स्वयं का होगा।
- 5.7 यदि उपभोक्ता या उसके किसी कर्मचारी / प्रतिनिधि की किसी क्रिया (act), उपेक्षा (neglect) अथवा त्रुटि (default) से उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित उपकरणों को कोई क्षिति पहुंचती है तो उसकी लागत, जिस का दावा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाए, का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मांग किये जाने पर यदि उपभोक्ता उक्त राशि का भुगतान नहीं करता है तो इसे विद्युत प्रदाय अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा तथा उपभोक्ता को विधिवत सूचना देने के बाद उसके विद्युत प्रदाय को विच्छेदित किया जा सकेगा। तथापि, उपभोक्ता को अनुबन्ध की अवशेष प्रारंभिक अवधि के लिये प्रभारों का भृगतान करना अनिवार्य होगा।
- 5.8 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मापयन्त्रों (मीटरों) तथा मापयन्त्र उपकरणों, जिनके माध्यम से उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय किया जाता है, का संधारण / रख–रखाव किया जाएगा।

द्राव्यतन्तु (पयूज) / विद्युत प्रदाय व्यवस्था का भग होना (Failure of Fuse/Supply) :

- 5.9 यदि किसी भी समय अनुज्ञप्तिधारी को सेवा प्रदाय के तन्तुपथ (line) में स्थापित द्राव्यतन्तु (fuse/fuses) व्यवस्था भंग हो जाती है, तो उपभोक्ता द्वारा त्रुटि के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिये। केवल ऐसे प्राधिकृत कर्मचारी जिनके पास अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान किया गया फोटो पहचान—पत्र हो, को ही अनुज्ञप्तिधारी के कट—आउट में स्थापित द्राव्यतन्तु (पयूज) को बदलने की अनुमित होगी । उपभोक्ताओं को इन द्राव्यतन्तुओं (पयूज) को बदलने की अनुमित नहीं होगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने कर्मचारियों को उपभोक्ता की निजी स्थापना में सुधार कार्य करने की अनुमित प्रदान नहीं की जानी चाहिए।
- 5.10 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को ऊर्जा की निरन्तर आपूर्ति लिये सभी युक्तियुक्त सावधानियाँ बरतेगा लेकिन वह विशेष आकरिमक परिस्थितियों (Force Majeure

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

Conditions) के कारण हुये विद्युत प्रदाय में व्यवधानों से उपभोक्ता या उसके संयन्त्र व यंत्रों (Plant and Machinery) को पहुंची क्षति के लिये उत्तरदायी न होगा।

5.11 अनुज्ञप्तिधारी सदैव उसकी विद्युत प्रणाली के संधारण / रखरखाव से संबद्ध उद्देश्यों या अन्य कारणों से भी विद्युत प्रदाय में ऐसी अवधि के लिए जो आवश्यक हो, को अस्थायी रूप से विच्छेदित करने हेतु अधिकृत होगा, जिसके लिये उसके द्वारा उपभोक्ता को पूर्व सूचना दी जाएगी तथा ऐसा उपभोक्ता को न्यूनतम असुविधा निमित्त होने के उद्देश्य से किया जाएगा।

अध्याय --6

उपभोक्ता परिसर में तन्तुपथ प्रणाली तथा उपकरण की स्थापना (Wiring and Apparatus in Consumer Premises)

उपभोक्ता परिसर में तन्तुपथ प्रणाली की स्थापना (Wiring in Consumer's Premises)

- 6.1 उपभोक्ता तथा सामान्य रूप से आम जनता की सुरक्षा के लिये भी यह आवश्यक है कि उपभोक्ता के परिसर में तन्तुपथ प्रणाली की स्थापना (वायरिंग कार्य) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 तथा समय—समय पर यथासंशोधित एवं अन्य सुरक्षा नियमों के अनुरूप हो तथा तन्तुपथ स्थापना प्रणाली संबंधी कार्य को अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार द्वारा कार्यान्वित किया जाए। तन्तुपथ स्थापना में उपयोग की गई सामग्री भारतीय मानक ब्यूरों के मानदण्डों या इसके समतुल्य के अनुसार होगी। तन्तुपथ प्रणाली में उपयोग की जाने वाली समस्त सामग्री, जहां लागू हो, आईएसआई चिन्हित होगी। जैसे ही उपभोक्ता की विद्युत स्थापना का कार्य सभी प्रकार से पूर्ण हो जाता है तथा उपभोक्ता के ठेकेदार द्वारा इसका परीक्षण कर लिया जाता है, उपभोक्ता को उसके ठेकेदार द्वारा प्रदान किया गया परीक्षण—प्रतिवेदन अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करना होगा। इस उद्देश्य हेतु उपभोक्ता द्वारा परीक्षण—प्रतिवेदन प्ररूप अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
- 6.2 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 में की गई अर्हताओं के अनुसार बत्ती (लैम्प), पंखे, द्राव्यतन्तुयों (पयूज), स्विचों, तथा स्थापनाओं के अन्य संघटक भागों को बदले जाने को छोड़कर, विद्यमान विद्युत स्थापना का कार्य जिसमें परिवर्धन, परिवर्तन और मरम्मत कार्य तथा विद्यमान स्थापना में समायोजन निहित हो, जो स्थापना की क्षमता अथवा स्वरूप को किसी भी प्रकार से परिवर्तित न करता हो, किसी उपभोक्ता द्वारा परिसर में नहीं किया जायेगा। इस संबंध में यह कार्य केवल राज्य शासन द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार तथा सक्षमता प्रमाण–पत्र धारक व्यक्ति या राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अनुज्ञा–पत्र (परिमट) धारी व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में किया जाएगा।
- 6.3 उपभोक्ता की विद्युत स्थापना के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 में निहित उपबन्धों का परिपालन किया जाएगा। संयोजित स्विच (linked switch) जो भू—योजित एवं विद्युन्मय संवाहकों (Live conductors) का संचालन एक साथ करें, के अतिरिक्त ऐसे कट—आउट, संयोजन या स्विच को अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के अनाविष्ट संवाहक (Neutral Conductor) से जोड़ने के लिये अन्तर्स्थापित नहीं किया जाएगा।

तन्तुपथ प्रणाली स्थापना की सामान्य शर्ते (General Wiring Conditions)

प्रसंवाही (Mains)

6.4 सभी प्रकरणों में, उपभोक्ता के प्रसंवाही (मेन्स) को अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय बिन्दु तक वापस लाया जायेगा तथा इसे अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण से जोड़ने के लिये पर्याप्त मात्रा में केबल उपलब्ध कराई जायेगी ।

स्विच तथा द्राव्यतन्तु (पयूस) (Switches and Fuses)

6.5 उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय के प्रारंभिक बिन्दु के निकट समुचित क्षमता के संयोजित त्विरत—विच्छेद मुख्य स्विच (लिंक्ड क्यूईक—ब्रेक मेन स्विच) की व्यवस्था प्रत्येक संवाहक (conductor) में विद्युत धारा के प्रवाह तथा उसे विच्छेद करने हेतु की जायेगी। उपभोक्ता परिसर के स्विच विद्युन्मय तन्तुपथ (live wire) पर होंगे, तथा अनाविष्ट तन्तुपथ (neutral wire) को इस प्रकार चिन्हित किया जायेगा, जहां वह उपभोक्ता के मुख्य स्विच (main switch) से निकल कर मापयन्त्र (meter) में संयोजन के लिये जाता है। किसी भी अनाविष्ट संवाहक (neutral conductor) में एकल खंभा स्विच (Single Pole Switch) कट—आउट अन्तर्स्थापित नहीं किया जायेगा।

भार का सन्तुलन (Balancing of load)

6.6 तीन फेज् विद्युत प्रदाय से संबद्ध उपभोक्ताओं को प्रत्येक फेज् पर भार को सन्तुलित करना होगा ।

भू—योजन (Earthing)

6.7 भू—योजन के प्रयोजन के लिये किसी भी स्थिति में गैस तथा जलप्रदाय संबंधी नलिकाओं (Pipes) का उपयोग नहीं किया जाएगा। यथासंभव समस्त तन्तुपथ प्रणाली (wiring) को गैस तथा जलप्रदाय नलिकाओं से दूर रखा जाएगा।

घरेलू उपकरण (Domestic Appliances)

6.8 उपभोक्ता के परिसर में तन्तुपथ प्रणाली (वायरिंग) की सुरक्षा के लिये बत्ती तथा पंखे के भारों को छोडकर हीटर, गीजर, वातानुकूलन यंत्रों (Air conditioners), ओवन (Oven) के लिये उपभोक्ता के मुख्य वितरण बोर्ड से पर्याप्त क्षमता (size) के तारों का पृथक सर्किट स्थापित किया जाएगा। घरेलू उपकरणों के सर्किट के लिये उपयोग किये जाने वाले दीवार—प्लग (Wall plugs) 3—पिन प्रकार (3-Pin type) के होंगे तथा तीसरे पिन को भूयोजित (earthed) किया जाएगा। दो पिन वाले प्लगों के उपयोग की अनुमित प्रदान नहीं की जाएगी। आर्द्र स्थलों पर स्थापित किये जाने वाले समस्त उपकरणों को उपभोक्ता के परिसर में प्रभावी रूप से भू—योजित (earth) किया जाएगा।

प्लग (Plugs)

6.9 सभी प्लगों के स्विच विद्युन्मय तन्तुपथ (Live wire) से जुड़े रहेंगे न कि अनाविष्ट (neutral) तन्तुपथ प्रणाली से।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से हस्तक्षेप करने वाले उपकरण (Apparatus interfering with Licensee's system)

6.10 यदि उपभोक्ता अपनी विद्युत प्रदाय व्यवस्था में कोई ऐसा यंत्र या उपकरण स्थापित करता है, जिसके कारण दूसरे उपभोक्ताओं के विद्युत प्रदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो अनुज्ञप्तिधारी उसके विद्युत प्रदाय को विच्छेदित कर सकेगा। ऐसे कारणों का निराकरण अनुज्ञप्तिधारी की सन्तुष्टि के अनुसार होने पर उक्त उपभोक्ता की विद्युत प्रदाय व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा।

ए.सी.मोटर की स्थापनाएं (A.C. Motor Installation)

6.11 मोटर की स्थापना नियन्त्रण गियर (control gear) के साथ की जायेगी, ताकि उपभोक्ता की स्थापना का प्रारंम्भिक विद्युत—प्रवाह (current) किसी भी स्थिति में नीचे दी गई अनुसूची में दी गई सीमा से अधिक न हो :

आपूर्ति का	स्थापना का आकार	प्रारंम्भिक विद्युत प्रवाह
प्रकार		(current) (करेंट) की सीमा
एकल फेज	एक ब्रेक अश्वशक्ति (BHP) तक	कुल भार के अनुरूप विद्युत
		प्रवाह (current) का छः गुना
तीन फेज	1 ब्रेक अश्वशक्ति (BHP) से अधिक	कुल भार के अनुरूप विद्युत
	एवं 10 ब्रेक अश्वशक्ति (BHP) तक	प्रवाह (current) का तीन गुना
	10 ब्रेक अश्व शक्ति (BHP) से	कुल भार के अनुरूप विद्युत
	अधिक एवं 15 ब्रेक अश्वशक्ति	प्रवाह (current) का दुगुना
	(BHP) तक	
	15 ब्रेक अश्व शक्ति (BHP) से	कुल भार के अनुरूप विद्युत
	अधिक	प्रवाह (current) का डेढ़ गुना

उपरोक्त दर्शाये विनियमों का परिपालन न करने पर उपभोक्ता के संयोजन को तत्काल विच्छेदित किया जा सकेगा।

उपभोक्ता के उपकरण (Consumer's Apparatus)

6.12 उपभोक्ता द्वारा उपयोग किये जाने वाले उपकरण(Apparatus) / उपस्कर (Appliances) / छोटे यंत्र (Gadgets) भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित मानकों तथा मापदण्ड या समतुल्य के अनुरूप होंगे।

उपकरणों का ऊर्जा कारक (Power Factor of Apparatus) : वेल्डिंग ट्रांसफार्मर (Welding Transformer)

6.13 समस्त निम्नदाब स्थापनाएं जिनमें वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों का संयोजित भार कुल संयोजित भार के 25 प्रतिशत से अधिक हो उनमें उचित क्षमता के संधारित्र (Capacitor) का होना अनिवार्य है, तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऊर्जा—कारक (पावर फेक्टर) 80 प्रतिशत से कम न हो। ऊर्जा कारक संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में उपभोक्ता को आयोग द्वारा समय—समय पर निश्चित किये गये अधिभार का भुगतान करना होगा। जब तक पर्याप्त क्षमता के संधारित्र (कैपेसिटर) की स्थापना नहीं कर दी जाती है, किसी भी संयोजन को स्थापित नहीं किया जा सकेगा।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

निम्नदाब शन्ट संधारित्र (Low Tension Shunt Capacitor)

5.14 सिंचाई पम्प सैट वाले उपभोक्ता सिहत ऐसा प्रत्येक निम्नदाब उपभोक्ता, जिसके संयोजित भार में 3 ब्रेक अश्वशिक्त (BHP) अथवा इससे अधिक की क्षमता वाली इन्डक्शन मोटर सिम्मिलित है, स्वयं के व्यय पर निम्नदाब वाले शन्ट संधारित्र (Shunt Capacitor) स्थापित करने को अपनी मोटर के टर्मिनलों के बीच नीचे दी गई सूची के अनुसार स्थापित करने की व्यवस्था करेगा । वह उपभोक्ता जिसके निम्नदाब संयोजन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय किये गये मीटर में ऊर्जा कारक अभिलेखन वैशिष्ट्य (फीचर) विद्यमान नहीं है, वह निम्न क्षमता (रेटिंग) में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार संधारित्रों (Capacitors) को स्थापित किया जाना सुनिश्चित करेगा । तथापि, निम्न तालिका में दर्शाये गये संधारित्रों की क्षमता किसी भी उपभोक्ता को 0.8 न्यूनतम औसत ऊर्जा कारक के परिपालन को सुनिश्चित करने हेतु अधिकृत होने से नहीं रोकेगी:

क्रमांक	इन्डक्शन मोटर की क्षमता (रेटिंग)	निम्नदाब संधारित्र की
		के.व्ही.ऐ.आर. क्षमता
		(रेटिंग)
1	3 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक	1
	तथा ५ ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	
2	5 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक	2
	तथा ७.५ ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	
3	7.5 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक	3
	तथा 10 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	
4	10 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक	4
	तथा 15 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	
5	15 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक	5
	तथा २० ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	
6	20 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक	6
	तथा ३० ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	
7	30 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक	7
	तथा ४० ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	
8	40 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक	8
	तथा 50 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	
9	50 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक	9
	तथा 100 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक	

वह उपभोक्ता जिसके निम्न—दाब संयोजन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय किये गये मापयन्त्र (मीटर) ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) अभिलेखन वैशिष्ट्य (फीचर) विद्यमान हैं, वह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा स्थापित किये गये संधारित्र (कैपेसीटर) 80 प्रतिशत तथा इससे अधिक ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) संधारित रखें।

ऐसे निम्न—दाब संयोजन(i) पर जहां 3 ब्रेक अश्वशक्ति या उससे अधिक क्षमता की इंडक्शन मोटर / मोटरें स्थापित की गई हैं, को विद्युत प्रदाय तब तक अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा, जब तक उनमें ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) में सुधार लाने हेतु उचित क्षमता के संधारित्र स्थापित न कर दिये जाएं।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

6.15 उपरोक्त वर्णित उपभोक्ताओं के अलावा ऐसे सभी निम्नदाब उपभोक्ता, जिनका भार 50 किलोवॉट या इससे अधिक है, समुचित क्षमता का संधारित्र (कैपिसिटर) स्थापित करेंगे, तािक समय—समय पर जारी विद्युत वितरण तथा खुदरा प्रदाय विद्युत—दर (टैरिफ) में किये गये उल्लेख अनुसार 80 प्रतिशत या इससे अधिक ऊर्जा कारक सुनिश्चित किया जा सके। ऊर्जा कारक सन्तोषजनक न पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ता को आयोग द्वारा समय—समय पर निर्धारित किये गये अर्थदण्ड (Penalty) का भुगतान करना होगा।

- 6.16 कोई निम्नदाब उपभोक्ता जिसके संबंध में स्थापित किये गये मापयन्त्र (मीटर) में ऊर्जा—कारक (पावर फेक्टर) अभिलेखन वैशिष्ट्य (फीचर) विद्यमान नहीं है तथा जो पूर्व में निर्दिष्टानुसार निम्नदाब संधारित्र (कैपेसीटर) स्थापित नहीं करता है अथवा इन संधारित्रों (कैपेसीटरों) को चालू स्थिति में संधारित नहीं करता है, उसे एक अधिभार का भुगतान करना होगा, जैसा कि इसे समय—समय पर जारी विद्युत—दर (टैरिफ) आदेश में निर्दिष्ट किया जाए । कोई निम्नदाब उपभोक्ता, जिसके प्रकरण में, स्थापित किये गये मापयन्त्र (मीटर) में ऊर्जा—कारक (पावर फेक्टर) अभिलेखन वैशिष्ट्य विद्यमान है, परन्तु समुचित संधारित्रों (कैपेसीटरों) के स्थापित किये जाने पर भी मापयन्त्र में किये गये अभिलेख अनुसार विनिर्दिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत ऊर्जा—कारक (पावर फेक्टर) संधारित नहीं करता है उसे एक अधिभार का भुगतान करना होगा, जैसा कि मापयन्त्र (मीटर) द्वारा अभिलिखित किया गया हो तथा जैसा कि इसे समय—समय पर जारी टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट किया जाए।
- 6.17 यदि औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) 70 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी 15 दिवस की उचित सूचना के पश्चात किसी भी विद्युत स्थापना को विद्युत प्रदाय विच्छेदित कर सकेगा, तथापि, विद्युत प्रदाय के विच्छेदन की अवधि में अनुज्ञप्तिधारी का उपभोक्ता से प्रचलित मांग प्रभार / न्यूनतम प्रभार आरोपित करने का अधिकार किसी भी प्रकार से प्रभावित न होगा।

उच्चदाब / अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिये अन्य शर्ते (Other Conditions for HT/EHT Consumers)

- 6.18 उच्चदाब उपभोक्ता / अति उच्चदाब उपभोक्ताओं द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के उपबन्धों के अनुसार सुरक्षात्मक उपाय (Protections) स्थापित करने होंगे।
- 6.19 उपभोक्ता की स्थापना के सभी ट्रांसफार्मर, स्विचिगयर (switchgears) तथा अन्य विद्युत उपकरण तथा वे उपकरण भी, जो अनुज्ञप्तिधारी के संभरकों तथा तन्तुपथों (लाईनों) से सीधे जुड़े हों उचित रूपांकन के होंगे तथा उपभोक्ता द्वारा इनका संधारण अनुज्ञप्तिधारी की यथोचित संतुष्टि के अनुसार किया जायेगा। उपभोक्ता के नियन्त्रण गियर (control gear) के द्राव्यतन्तु (फ्यूज) तथा नियन्त्रण गियर का विन्यास (सेटिंग) तथा उसके किसी भी सर्किट ब्रेकर की विदीर्ण क्षमता (rupturing capacity) उपकरण के सुरक्षित तथा दक्ष संचालन के लिये पर्याप्त तथा अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदन के अध्यधीन होगी।
- 6.20 इस संहिता के प्रावधानों के होते हुए भी यह आवश्यक है, कि उपभोक्ता प्रचलित विधियों / नियमों / विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षात्मक उपकरणों अथवा

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

सर्किट ब्रेकरों की उपयुक्तता के संबंध में विद्युत निरीक्षक का अग्रिम अनुमोदन प्राप्त कर ले ।

6.21 उपभोक्ता को न्यूनतम औसत ऊर्जा कारक जैसा कि आयोग द्वारा अपने खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट किया जाए, संधारित करना होगा। निर्दिष्ट ऊर्जा कारक के विचलन के कारण उपभोक्ता को अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा अथवा उसे प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होगी, जैसा कि आयोग द्वारा इसे समय—समय पर निर्दिष्ट किया जाए। ऐसी किसी स्थापना, जहां औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) 70 प्रतिशत से कम हो, का विद्युत प्रदाय (रेलवे तथा कोयला खदानों से संबंधित उपभोक्ताओं को छोड़कर) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता 15 दिवस की विधिवत सूचना के उपरांत विच्छेदित किया जा सकेगा। तथापि, संयोजन की विच्छेदित अविध के दौरान अनुज्ञप्तिधारी के प्रयोज्य मांग प्रभार/न्यूनतम प्रभार को आरोपित करने संबंधी अधिकार प्रभावित न होंगे।

उपभोक्ता की स्थापना का निरीक्षण एवं परीक्षण (Inspection and Testing of Consumer's Installation)

- 6.22 इसके पूर्व कि निम्नदाब उपभोक्ता के संबंध में कोई तन्तुपथ प्रणाली (wiring) या उपकरण तथा उच्चदाब उपभोक्ता के संबंध में कोई ट्रांसफार्मर, स्विचिगयर या अन्य विद्युत उपकरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से संयोजित किया जाये, अनुज्ञप्तिधारी का निरीक्षण अनिवार्य होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदन के बिना संयोजन प्रदान नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, समस्त उच्चदाब स्थापनाओं के लिये विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन अनिवार्य होगा जबिक खदानों की विद्युत स्थापनाओं के लिये खदान निरीक्षक का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
- 6.23 परीक्षण—प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को स्थापना के निरीक्षण एवं परीक्षण का समय एवं तिथि सूचित करेगा। उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित किया गया अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि, जो तकनीकी रूप से सुयोग्य हो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मांगी गई स्थापना से संबंधित कोई भी जानकारी प्रस्तुत करने के लिये निरीक्षण के समय उपस्थित रहे । अनुज्ञप्तिधारी, उसके द्वारा स्थापना के निरीक्षण / परीक्षण के प्रतिवेदन की प्रति उपभोक्ता को प्रदान करेगा एवं उपभोक्ता से इसकी पावती प्राप्त करेगा ।
- 6.24 यदि आवश्यक समझा जाए तो समस्त उच्चदाब अथवा अति उच्चदाब उपकरणों के संबंध में विनिर्माता (manufacturer) के परीक्षण प्रमाण–पत्र (test certificate) प्रस्तुत किये जाएंगे।
- 6.25 अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिसर के संवाहकों (conductors) तथा फिटिंग्स को उसके किसी कार्य से संयोजित नहीं करेगा, जब तक वह युक्तियुक्त रूप से सन्तुष्ट नहीं हो जाए कि संयोजन करने के समय स्थापना या उपकरण से इतने परिमाण का कोई रिसाव (leakage) न हो, जो सुरक्षा की दृष्टि से संकटमय हो।
- 6.26 यदि उपभोक्ता की स्थापना संयोजन की दृष्टि से असुरक्षित पायी जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को दोषों के संबंध लिखित में सुधार किये जाने के बारे

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

में सूचित करेगा। दोषों में सुधार होने की सूचना प्राप्त हो जाने पर अनुज्ञप्तिधारी स्थापना का पुनः परीक्षण करेगा।

6.27 अनुज्ञप्तिधारी प्रथम परीक्षण के लिये कोई शुल्क आरोपित नहीं करेगा। प्रारंम्भिक परीक्षण में पाये गये दोषों के कारण वांछित अनुवर्ती परीक्षणों का शुल्क आयोग द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार प्रभारित किया जायेगा। उपभोक्ता के परिसर में तन्तुपथ प्रणाली (वायरिंग) के संधारण अथवा परीक्षण के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगा।

विस्तार तथा परिवर्तन (Extensions and Alterations)

- 6.28 उपभोक्ता के परिसर में उपभोक्ता द्वारा विद्युत स्थापना का कोई भी कार्य, जिसमें परिवर्धन, परिवर्तन, मरम्मत तथा समायोजन कार्य सम्मिलित हैं, केवल बल्ब, पंखे, द्राव्यतन्तुओं (फ्यूज), स्विच, निम्न दाब घरेलू उपकरण एवं ऐसी अन्य फिटिंग्स को छोड़कर जो किसी भी प्रकार से संयोजन की क्षमता या स्वरूप में बदलाव न करते हों, निष्पादित नहीं किया जाएगा । इस प्रकार का बदलाव केवल अनुज्ञप्तिधारी विद्युत ठेकेदार एवं ऐसा व्यक्ति, जिसके पास सक्षमता प्रमाण–पत्र हो, के सीधे पर्यवेक्षण में ही किया जाएगा । उच्चदाब /अति उच्चदाब स्थापना में विस्तार या भार परिवर्तन इत्यादि का अनुमोदन विद्युत निरीक्षक से करवाया जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार, खदानों की विद्युत स्थापना में विस्तार अथवा परिवर्तन के प्रकरणों में खदान निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 6.29 यदि ऐसे प्रस्तावित विस्तार एवं परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उपभोक्ता के संयोजित भार या संविदा मांग में स्वीकृत संयोजित भार या संविदा मांग से वृद्वि की संभावना हो तो उपभोक्ता अतिरिक्त विद्युत प्रदाय हेतु अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने संबंधी कदम उठायेगा। संविदा मांग या संयोजित भार में वृद्वि का नियमितीकरण न कराये जाने के फलस्वरूप अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियमानुसार न केवल दाण्डिक उच्चतर दर पर बिलिंग की जायेगी, वरन् विधिवत सूचना देने के उपरांत संबंधित उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय को विच्छेदित भी किया जा सकेगा।

उपभोक्ता की स्थापना के निरीक्षण के प्रयोजन से उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश सुविधा (Access to Consumer's Premises for Inspection of Consumer's Installation)

6.30 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किसी भी उचित समय पर तथा अधिवासी को अपने उद्देश्यों के बारे में सूचना देकर उपभोक्ता के परिसर में स्थापना के निरीक्षण, मापयन्त्र वाचन (मीटर रीडिंग), विद्युत प्रदाय के विच्छेद, अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण का परीक्षण, मरम्मत, प्रतिस्थापन व परिवर्तन हेतु निकालने एवं अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति के रखरखाव एवं फेरबदल या ऐसे सभी आवश्यक कार्य जो उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय को सुचारू रूप से जारी रखने या संधारण के लिये अनिवार्य या सुसंगत हों, के लिये उपभोक्ता के परिसर, जिसमें विद्युत प्रदाय किया जा रहा हो, में प्रवेश करने की पात्रता रखते हैं। ऐसे समस्त अधिकृत व्यक्ति जो उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश करेगे, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किये गये फोटो पहचान—पत्र (Photo Identity Card) धारित करेंगे तथा उन्हें ये पहचान—पत्र उपभोक्ता /अधिवासी को परिसर में प्रवेश करने के पूर्व दिखाने होंगे। यदि उपभोक्ता को ऐसे प्रतिनिधियों की विश्वसनीयता पर संदेह हो, तो उसे तुरन्त अनुज्ञप्तिधारी से सम्पर्क करना चाहिये।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

- 6.31 अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपभोक्ता को जानकारी देने के पश्चात् उसके परिसर में अनिधकृत विद्युत उपयोग की जांच, उपकरण में अनिधकृत वृद्वि एवं फेर—बदल, विद्युत की चोरी तथा दुरूपयोग, विद्युत विचलन (power diversion), मापयन्त्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह न करते हुए बाह्य मार्ग से प्रवाहित करने (meter by-pass) या मापयन्त्र से छेड़छाड़ अथवा सामान्य निरीक्षण या परीक्षण के लिये तत्काल प्रवेश करने की पात्रता रखते हैं। ऊर्जा के अनिधकृत उपयोग, उपकरण में अनिधकृत वृद्धि एवं फेरबदल, विद्युत की चोरी तथा दुरूपयोग, विद्युत के विचलन मीटर से छेड़छाड़ या बाईपास (by-pass) मिलने पर अनुज्ञप्तिधारी प्रचलित कानूनों के अनुसार कार्रवाई कर सकेगा।
- 6.32 यदि वांछित परिसर के अधिवासी वयस्क पुरूष उपस्थित न हों तो, किसी भी घरेलू स्थल अथवा परिसर का निरीक्षण, परीक्षण या जांच, सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्यकाल के दौरान नहीं किया जाएगा।
- 6.33 यदि उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त उल्लेखित कारणों से परिसर में प्रवेश करने के लिये युक्तियुक्त सुविधा प्रदान नहीं करता हो तो अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय विच्छेदित करने के लिये परिसर में प्रवेश करने के उद्देश्य से उपभोक्ता को 24 घंटे की लिखित सूचना देगा । इसके बावजूद भी यदि उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी प्रतिनिधि को प्रवेश करने की सुविधा प्रदान नहीं करता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता का संयोजन विच्छेदित करने हेतू प्राधिकृत होगा।
- 6.34 यदि उपभोक्ता की स्थापना का विसंवहन प्रतिरोध (insulation resistance) इतना न्यून पाया जाता हो, जिससे ऊर्जा का सुरक्षित उपयोग प्रभावित होता हो, तो अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति 48 घंटे की सूचना देने के बाद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय), विनियम, 2010 के अनुसार तथा विधि के अनुसार भी, अनुज्ञप्तिधारी के अन्य अधिकारों को प्रभावित किये बिना, दोषों के निराकरण होने तक उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय विच्छेदित करने हेतु प्राधिकृत होगा।

स्थापनाओं की विद्युत क्षमता का निर्धारण (Rating of Installations) –

- 6.35 घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के संयोजित भार का निर्धारण उपकरणों के भार विवरणों के आधार पर किया जायेगा । तथापि, यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण विद्यमान हों कि कोई विशेष घरेलू संयोजन अथवा घरेलू संयोजनों का समूह विद्युत की अनिधकृत निकासी (abstraction) में सिन्निहित हैं, तो प्रभारी अधिकारी, उपभोक्ता के परिसर का सर्वेक्षण संचालित कर सकेगा।
- 6.36 अनुज्ञप्तिधारी इस प्रकार के परिसरों का निरीक्षण करने, भार का आकलन करने तथा तदनुसार उपभोक्ता को इस बारे में सूचित करने के लिये स्वतन्त्र होगा। संविदा मांग/संयोजित भार से वास्तविक भार अधिक पाये जाने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी नियमों तथा विनियमों के अनुसार अनुवर्ती कदम उठायेगा।
- 6.37 उपभोक्ताओं की घरेलू श्रेणी के अतिरिक्त, अन्य सभी श्रेणियों का संयोजित भार, एक साथ उपयोग किये जा सकने वाले सभी ऊर्जा खपत करने वाले उपकरणों

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

के विनिर्माता द्वारा निर्धारित क्षमता (रेटिंग) का योग होगा । इसे किलोवाट (kW), केवीए (kVA) या अश्वशक्ति (HP) में व्यक्त किया जायेगा । संयोजित भार निर्धारित करने की प्रक्रिया के दौरान यदि निर्माता द्वारा दी गई क्षमता (रेटिंग) उपलब्ध न हो तो अनुज्ञप्तिधारी उक्त उपकरण के भार का निर्धारण करने के लिये उपयुक्त जांच—उपकरण का उपयोग कर सकेगा। यदि वातानुकूलन संयन्त्र (Air Conditioner) तथा कमरा गर्म रखने वाला यन्त्र (room heater) दोनों एक ही परिसर में पाये जाते हैं तो दोनों में से अधिक क्षमता (रेटिंग) वाले उपकरण के भार को ही गणना के लिये मान्य किया जाएगा। ऐसे उपकरण जो विक्रय/सुधार या वास्तव में अतिरिक्त रूप से किसी विद्यमान संयोजित उपकरण के त्रुटियुक्त होने की दशा में उसके बदले में उपयोग करने के लिये भंडारित किये गये हों, के विद्युत भार की गणना, संयोजित भार का निर्धारण करने के लिये नहीं की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी पथ—प्रकाश व्यवस्था का समय—समय पर सर्वेक्षण करायेगा तथा उपयोग की जा रही बित्तयों के प्रकार तथा उनके भार का अभिलेखन करेगा।

- 6.38 घरेलू श्रेणी के अलावा सभी अन्य प्रकार के उपभोक्ताओं की स्थापनाएं अनुज्ञप्तिधारी के क्षमता निर्धारण (Rating) / पुनः क्षमता निर्धारण (Rerating) की पात्रता रखेंगी। यदि उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित क्षमता—निर्धारण (Rating) से संतुष्ट न हो तो वह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपकरण का भार निर्धारित करने हेतु अनुमोदित किये गये शासकीय अभियांत्रिकी संस्थानों में से किसी एक से अपने उपकरण का क्षमता—निर्धारण (रेटिंग) करा सकेगा। भार निर्धारित करने की प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी, दोनों ही अपने प्रतिनिधि को संस्थान में उपस्थित रहने के लिये प्राधिकृत कर सकेंगे। संस्थान द्वारा प्रदान किये जाने वाले अन्तिम प्रतिवेदन के साथ किये गये परीक्षण(ों) का विवरण संलग्न किया जाएगा। संस्थान द्वारा निर्धारित की गई क्षमता (रेटिंग) अंतिमतः मान्य होगी तथा उपभोक्ता और अनुज्ञप्तिधारी दोनों को स्वीकार करनी होगी।
- 6.39 यदि किसी कारण से किसी स्थापना के संबंध में उसकी अधिकतम मांग, ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) या कोई अन्य विद्युत मात्रा का निर्धारण संभव न हो, तो अनुज्ञप्तिधारी समय—समय पर इनकी मात्राओं के बारे में क्षमता निर्धारण (Rating) / पुनःक्षमता निर्धारण (rerating) कर सकेगा, जो उपभोक्ता के लिये बन्धनकारी होगा ।

उपभोक्ता की स्थापना में विद्युत उत्पादक संयत्र (जनरेटर) का होना तथा अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रदाय प्रणाली के साथ उसका समानान्तर संचालन किया जाना (Generation in the Consumer's Installation and Parallel Operation with the Supply System of the Licensee)

- 6.40 उपभोक्ता द्वारा स्वयं स्थापित किये गये विद्युत उत्पादक संयन्त्र (जनरेटर) के अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के साथ समानान्तर संचालन की अनुमित केवल अनुज्ञप्तिधारी की लिखित सहमित से प्रदान की जायेगी । अनुज्ञप्तिधारी आयोग से अनुमोदन प्राप्त कर समानान्तर संचालन प्रभारों को आरोपित कर सकेगा।
- 6.41 जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी कोई सहमित प्रदान न की गई हो वहां उपभोक्ता स्वयं की उत्पादन इकाईयों के संयन्त्र, मशीन तथा उपकरण जिनमें उनका परिवर्तन या विस्तार शामिल हो, पृथक विधि द्वारा (isolated mode) संचालित

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

करेगा तथा विद्युत उत्पादक संयन्त्र को किसी भी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रणाली से संयोजित नहीं करेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को सूचित कर परिसर में प्रवेश द्वारा उपभोक्ता व्यवस्था का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया जा सकता है कि उपभोक्ता का विद्युत उत्पादक संयन्त्र अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रणाली से किसी समय संयोजित तो नहीं किया जा रहा है।

- 6.42 जहां समानान्तर संचालन के लिये सहमित प्रदान कर दी गई हो, वहां उपभोक्ता अपनी स्थापना को अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के विक्षेभों (डिस्टरबेंसेस) से सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेगा। उपभोक्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसकी विद्युत प्रदाय व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी की चालू प्रणाली से त्रुटिपूर्ण प्रकार से संबंद्ध न की जाए। अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी समानान्तर संचालन अथवा उसके कारण हुए किसी प्रतिकूल परिणाम के लिये उपभोक्ता के संयन्त्र, मशीन व उपकरण को हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। ग्रिड के साथ समानान्तर संचालन के लिये उपभोक्ता को मध्य प्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता तथा अन्य सुसंबद्ध विनियमों में निहित प्रावधानों का पालन करना होगा। वास्तविक प्रचालन राज्य पारेषण इकाई तथा अनुज्ञप्तिधारी, दोनों के समन्वयन से किया जाएगा।
- 6.43 ऐसे प्रकरण में जहां उपभोक्ता की विद्युत प्रदाय व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी के समुचित अनुमोदन के बिना ही उपभोक्ता के किसी विद्युत उत्पादक संयन्त्र (जनरेटर), इन्व्हर्टर या किसी अन्य स्त्रोत से अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से संयोजित हो जाती हो जिसके कारण अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण को क्षित पहुंचे अथवा जनहानि में निमित्त हो, तो उपभोक्ता ही इसके लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा उसे अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी के अन्य उपभोक्ताओं को हुई हानि की विधिवत क्षतिपूर्ति करनी होगी।

हारमोनिक्स (Harmonics)

6.44 यदि अनुज्ञप्तिधारी को यह पता चलता है तथा उपभोक्ता को यह प्रमाणित करता है कि उपभोक्ता की प्रणाली से हारमोनिक्स उत्पादित हो रहे हैं तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उचित क्षमता के हारमोनिक छानक (फिल्टर) लगाने हेतु निर्देश देगा। उपभोक्ता को ऐसे छानक (फिल्टर) छः माह की अवधि में स्थापित करने होंगे, जिसका परिपालन न किये जाने पर संयोजन के विच्छेदन के साथ–साथ आयोग के निर्णयानुसार अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता पर अर्थदण्ड भी आरोपित किया जा सकेगा।

अध्याय - 7

संविदा मांग तथा अनुबन्ध (Contract Demand and Agreement)

संविदा मांग (Contract Demand)

उच्चतम मांग आधारित (द्वि—भाग) विद्युत—दर (टैरिफ) रहित निम्नदाब उपभोक्ता {LT consumers without Maximum Demand (MD) based (two part) tariff}

7.1 उच्चतम मांग आधारित (द्वि—भाग) विद्युत—दर रहित निम्नदाब उपभोक्ताओं (टैरिफ) की संविदा मांग उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार परिसर के कुल संयोजित भार के अनुरूप होगी।

उच्चतम मांग आधारित विद्युत—दर (टैरिफ) वाले निम्नदाब उपभोक्ता एवं समस्त उच्चदाब एवं अति उच्चदाब उपभोक्ता (LT consumers with MD based tariff and all HT and EHT consumers)

7.2 ऐसे उपभोक्ताओं की संविदा मांग अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के अनुरूप होगी। तथापि, निम्नदाब संयोजन जो मांग आधारित विद्युत—दर (टैरिफ) से युक्त हों, के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी को दोनों संयोजित भार तथा संविदा मांग का उल्लेख अनुबंध में करना अनिवार्य होगा।

संविदा मांग/संयाजित भार में वृद्धि के संबंध में प्रक्रिया (Procedure for Enhancement of Contract Demand/Connected Load)

- 7.3 विद्युत भार में वृद्धि के लिये आवेदन दो प्रतियों में तथा निर्धारित प्ररूप में (पिरिशिष्ट 1 तथा 2) अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट पंजीकरण शुल्क की राशि के साथ जमा किये जाएंगे।
- 7.4 तीस दिवस के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी बढ़े हुए भार के लिये विद्युत प्रदाय की साध्यता का परीक्षण करेगा एवम् उपभोक्ता को निम्नानुसार सूचित करेगा :
 - (अ) कि क्या अतिरिक्त विद्युत मात्रा की मांग विद्यमान वोल्ट्रेज स्तर पर या फिर इससे अधिक वोल्ट्रेज स्तर पर प्रदाय की जा सकती है ?
 - (ब) प्रणाली में परिवर्धन या परिवर्तन, यदि कोई हो, जिनका क्रियान्वयन आवश्यक हो तो उपभोक्ता द्वारा इसके लिये वहन की जाने वाली राशि की जानकारी ।
 - (स) अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप, अतिरिक्त अधोसंरचना की लागत तथा प्रणाली सुदृढ़ीकरण प्रभार (System Strengthening Charges) या क्षमता निर्माण प्रभार (Capacity Building Charges) की राशि यदि कोई हों, जिन्हें उसे जमा करना होगा।
 - (द) उपभोक्ता के वर्गीकरण में परिवर्तन, यदि ऐसा किया जाना आवश्यक हो ।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

7.5 यदि उपभोक्ता पर अनुज्ञप्तिधारी को किये जाने वाले भुगतान की राशि बकाया हो तो संविदा मांग में वृद्धि हेतु उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । तथापि, यदि किसी न्यायालय द्वारा उपभोक्ता पर बकाया राशि के भुगतान पर स्थगन आदेश जारी किया गया हो, तो आवेदन स्वीकार किया जा सकता है ।

- 7.6 यदि बढ़े हुए भार का विद्युत प्रदाय किया जाना साध्य पाया जाता है तो उपभोक्ता :
 - (अ) जहां स्थापना में परिवर्तन किया जाना सन्निहित हो, वहां वह अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के पूर्ण होने का प्रमाण—पत्र (completion certificate) तथा परीक्षण प्रतिवेदन (test report) प्रस्तुत करेगा।
 - (ब) यदि आवश्यक हो तो वह उच्चदाब / अति उच्चदाब संयोजन के प्रकरण में विद्युत स्थापना हेतु विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन—पत्र (letter of approval) प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार, खदानों की विद्युत स्थापना में अतिरिक्त भार हेतु खदान निरीक्षक का अनुमोदन—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - (स) अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप, प्रणाली में आवश्यक परिवर्धन तथा परिवर्तन (addition and alteration) की लागत, यदि लागू हो, तथा अन्य प्रयोज्य प्रभारों का भुगतान करेगा ।
 - (द) एक अनुपूरक अनुबंध (Supplementary Agreement) निष्पादित करेगा।
 - (ई) ऐसे प्रकरणों में जहां निम्नदाब मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) प्रयोज्य हो तथा उपभोक्ता उसके संयोजित भार में संविदा मांग में बिना किसी परिवर्तन के अभिवृद्धि करना चाहे, वहां वह अनुज्ञप्तिधारी को विद्यमान उपकरणों तथा संयोजित किये जाने वाले प्रस्तावित उपकरणों का विवरण दर्शाते हुए एक आवेदन अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण करेगा तथा संयोजित भार को 15 दिवस के भीतर सत्यापित करेगा तथा उपभोक्ता को सचित करेगा कि क्या संयोजित भार उपभोक्ता को प्रयोज्य विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा के अंतर्गत है। यदि टैरिफ की प्रयोज्यता के बारे में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर उपभोक्ता को लिखित में सूचित करेगा। यदि अनुबंध मांग तथा प्रयोज्य विद्युत-दर (टैरिफ) में कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक न हो, तो अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता संयोजित भार में अभिवृद्धि के संबंध में एक अनुबंध निष्पादित करेंगे तथा उपकरणों की सूची, संयोजित भार का विवरण दर्शाते हुए, अनुबंध का एक भाग होगी। ऐसे प्रकरण में, उपभोक्ता को किसी अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप का भूगतान नहीं करना होगा। तथापि, उपभोक्ता को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गर्ये संयत्र हेत् व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 के अनुसार विद्युत प्रदाय उपलब्धता (supply affording charges) के आवश्यक प्रभारों का भूगतान करना होगा।
- 7.7 नवीन / वैकल्पिक मापयन्त्र व्यवस्था सहित यदि प्रणाली में कोई परिवर्धन या परिवर्तन किया जाना आवश्यक न हो तो बढ़ा हुआ भार, आवश्यक

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने के बाद तत्काल स्वीकार किया जायेगा। यदि प्रणाली में किसी परिवर्तन अथवा परिवर्धन की आवश्यकता हो तो नवीन कनेक्शन हेत् निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

- 7.8 ऐसे प्रकरण में जहां उपभोक्ता इस संहिता में विनिर्दिष्ट की गई अधिकतम अनुज्ञेय सीमा से भी अधिक संविदा मांग में वृद्धि करने का इच्छुक हो तो उसे उच्चतर वोल्टेज स्तर के लिये अन्तरण करना होगा या फिर यदि वह उच्चतर वोल्टेज में अन्तरण विद्यमान संविदा माग के अन्तर्गत जो उच्चतर वोल्टेज भार सीमाओं की अर्हता रखता हो, की प्राप्ति का इच्छुक हो तो उसे मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये सयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम 2009 में निर्दिष्ट उक्त उच्चतर वोल्टेज के अन्तर्गत, उच्चतर वोल्टेज भार सीमाओं हेतु योग्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges) तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करना होगा।
- 7.9 'रेलवे कर्षण' के प्रकरण में, यदि उपभोक्ता द्वारा छः सप्ताह पूर्व, संविदा मांग में परिवर्तन हेतु लिखित में सूचना दी गई हो तो उपभोक्ता को उसकी अनुबंधित संविदा मांग से अतिरिक्त विद्युत प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता की सहमित अनुसार की जा सकती है। तथापि, संविदा मांग में अभिवृद्धि के संबंध में प्रभावी तिथि, रेलवे विभाग द्वारा पूर्ण की जाने वाली औपचारिकताएं, जैसे कि अनुबन्ध के निष्पादन, आवश्यक प्रभारों के भूगतान, आदि से पूर्व न होगी।

संविदा मांग में कमी किये जाने के संबंध में प्रक्रिया (Procedure for Reduction of Contract Demand)

- 7.10 यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के दौरान संविदा मांग में एक ही बार कमी को अनुज्ञेय किया जा सकेगा । संविदा मांग में कमी, संविदा मांग, जो आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदित की गई हो, के 50% (पचास प्रतिशत) तक ही सीमित की जा सकेगी, परन्तु कम की गई संविदा मांग इस संहिता के अध्याय—3 में विनिर्दिष्ट की गई विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी के अन्तर्गत न्यूनतम संविदा मांग से कम न होगी । एक बार भुगतान किये गये विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (supply affording charges) तथा अन्य प्रयोज्य प्रभार लौटाये नहीं जाएंगे।
- 7.11 उपभोक्ता द्वारा संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी आवेदन निर्दिष्ट प्ररूप में अनुज्ञप्तिधारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा । जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संविदा मांग में कमी की जाना अनुज्ञेय किया गया हो, वहां उपभोक्ता को एक सक्षम अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार से परीक्षण प्रतिवेदन (टेस्ट रिपोर्ट) भी प्रस्तुत करना होगा।
- 7.12 संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्न कदम उठाये जाएंगे :
 - (अ) अनुज्ञप्तिधारी आवेदन में उल्लेख किये गये कारणों पर विचार करेगा तथा आवेदन को स्वीकृति प्रदान करेगा अन्यथा आवेदन पर विचार न किये जाने पर आवेदक को तद्नुसार आवेदन पर विचार न किये जाने संबंधी कारण दर्शाते हुए 15 पूर्ण दिवस की अवधि के भीतर लिखित में उसे सूचित करेगा ।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

(ब) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन पर उपरोक्त उल्लेखित 15 पूर्ण दिवस के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है तो उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को लिखित नोटिस देकर उसका ध्यान आकृष्ट कर सकेगा तथा तदोपरांत भी यदि उपभोक्ता को निर्णय की सूचना 15 पूर्ण दिवस के भीतर प्रदान नहीं की जाती है तो संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी, जो ऐसे नोटिस अवधि की समाप्ति के उपरान्त आगामी दिवस से प्रारंभ होगी।

- (स) ऐसे प्रकरण में जहां संविदा मांग में कमी किये जाने को अनुज्ञेय किया जा चुका हो, वहां संविदा मांग में कमी की जाना उक्त माह के उपरान्त माह की प्रथम तिथि से प्रभावशील हो जाएगी जब संविदा मांग में कम किये जाने संबंधी निर्णय आवेदक को सूचित किया गया हो।
- 7.13 प्रारंभिक अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद, उपभोक्ता अपने स्वयं के संयोजन की संविदा मांग इस संहिता में विनिर्दिष्ट की गई विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी हेतु न्यूनतम संविदा मांग तक कम किये जाने बाबत् अधिकृत होगा तथा इस प्रकार किया गया अनुरोध समस्त औपचारिकताएं जैसे कि अनुबंध का निष्पादन, आदि पूर्ण किये जाने की तिथि से प्रभावशील हो जाएगा। संविदा मांग में कमी किये जाने हेतु कोई अनुवर्ती मांग की जा सकती है जो ऐसी कमी की जाने की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के प्रभावशील होने के उपरान्त ही अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 7.14 जब अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संविदा मांग में कमी किये जाने को स्वीकृति प्रदाय कर दी जाती है, तो उपभोक्ता द्वारा एक अनुपूरक अनुबंध (Supplementary Agreement) का निष्पादन किया जाएगा । संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी प्रभाव को अनुबन्ध को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात उपभोक्ता को अन्तरित कर दिया जाएगा।
- 7.15 उपभोक्ता के संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी अनुरोध को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि उक्त संयोजन के विरूद्ध बकाया राशि का भुगतान किया जाना लंबित है ।
- 7.16 उपभोक्ता द्वारा इस प्रकार से संविदा मांग में कमी किये जाने के कारण उसे नवीन संयोजन प्रभारों (new connection charges) / विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges) का प्रत्यर्पण (refund) प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। तथापि, यदि उपभोक्ता संविदा मांग में कमी किये जाने के पश्चात अनुवर्ती तौर पर पुनः संविदा मांग में वृद्धि का इच्छुक हो, तो ऐसी दशा में उसे विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों आदि का भुगतान करना अनिवार्य होगा, जैसा कि वे ऐसा अनुरोध करते समय प्रयोज्य थे।

अनुबन्ध (Agreement)

7.17 आवेदक द्वारा एक मानक प्ररूप (standard format) में निर्दिष्ट मूल्य के स्टाम्प-पत्र (stamp paper) पर नवीन संयोजन की प्राप्ति हेतु तथा संविदा मांग में परिवर्तन या मानदण्डों (parameters) के संबंध में अन्य किसी सहमत किये गये परिवर्तन के लिये अनुबंध निष्पादित किया जायेगा । किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में, उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी दोनों की सहमति से, अनुबन्ध में कुछ विशिष्ट खण्डों (clauses) को जोड़ा जा सकेगा यदि उक्त खण्ड विद्युत

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

अधिनियम 2003, (क्रमांक 36, वर्ष 2003) एवं प्रभावशील अन्य नियम व शर्तों के प्रतिकूल न हों । ये विशिष्ट खण्ड अनुबन्ध का भाग होंगे । समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने के पश्चात निष्पादित किये गये अनुबन्ध की एक प्रति उपभोक्ता को प्रदान की जायेगी । उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय आवेदन के साथ जमा किया गया ले—आऊट या विन्यास (मानचित्र) जिस पर उपभोक्ता एवम् अनुज्ञप्तिधारी की सहमति एवं हस्ताक्षर हो, अनुबन्ध का भाग होगा।

- 7.18 अनुबंध के मानक प्रपत्र, इस संहिता के साथ संलग्न निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु परिशिष्ट—3 तथा उच्चदाब /अति उच्चदाब उपभोक्ताओं हेतु परिशिष्ट—4 के अनुसार होंगे। निम्नदाब घरेलू व निम्नदाब एकल फेस गैर—घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर जिनके लिये अनुबन्ध की कोई प्रारंभिक अवधि नहीं होगी, अन्य समस्त उच्चदाब तथा निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु अनुबंध की प्रारंभिक अवधि दो वर्ष होगी।
- 7.19 कोई भी उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसको प्रदाय की जा रही विद्युत ऊर्जा को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं करेगा ।
- 7.20 यदि अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रदाय प्रणाली में व्यवधान आता है तो परिस्थितियों के औचित्य के अनुसार विद्युत प्रदाय में कटौती (curtail) की जा सकेगी, या पृथक—पृथक कालखण्डों में व्यवधान के साथ (stagger) प्रदाय की जा सकेगी या बंद भी की जा सकेगी। अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय प्रणाली के नियतकालिक रखरखाव हेतु भी उपभोक्ताओं को उचित सूचना देने के पश्चात् उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय की कटौती, पृथक—पृथक कालखण्डों में व्यवधान के साथ प्रदाय या पूर्णतया अवरूद्ध करके भी कर सकेगा।
- 7.21 उपभोक्ता को प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा का उपभोक्ता द्वारा किसी भी प्रकार से अनुज्ञप्तिधारी के हितों के विपरीत दुरूपयोग नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उपयोग लागू विद्युत अधिनियम, 2003 तथा अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार ही किया जायेगा।
- 7.22 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की जा रही विद्युत ऊर्जा का उपयोग किसी भी उपभोक्ता द्वारा केवल स्वयं के उपयोग के लिये अनुबंध में निहित प्रावधानों तथा प्रयोजन के अनुसार ही किया जाएगा तथा इसका किसी भी प्रकार से विपथन (diversion) नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विस्तार/विपथन के लिये अनुज्ञप्तिधारी से अग्रिम आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर न ली गई हो ।
- 7.23 अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के मध्य विद्यमान अनुबन्ध को यदि संशोधित / परिवर्तित करने की आवश्यकता हो तो ऐसा एक अनुपूरक अनुबन्ध (supplementary agreement) क माध्यम से किया जा सकेगा।
- 7.24 जब किसी उपभोक्ता की स्थापना को शासन अथवा विद्युत निरीक्षक के निर्देशों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से विच्छेदित किया जाता है, तो विद्युत प्रदाय का पुनर्संयोजन शासन, विद्युत निरीक्षक या अन्य किसी उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन, जैसा आवश्यक हो, के उपरांत तथा उपभोक्ता द्वारा पुनर्संयोजन शुल्क के भुगतान के बाद ही किया जा सकेगा। उपभोक्ता के अस्थायी विच्छेदन की अवधि के दौरान उपभोक्ता को स्थाई/न्यूनतम प्रभारों का

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा, सिवाय ऐसी परिस्थितियों में जब यह विच्छेदन जिला कलेक्टर के आदेशों के अन्तर्गत हुआ हो ।

- 7.25 नाम परिवर्तन, परिसर के स्थानांतरण, संयोजित भार में परिवर्तन या टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन के उद्देश्य से किये जाने वाले संशोधन उसी परिस्थिति में सम्पादित किये जायेंगे, जब उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी, दोनों, ऐसे संशोधनों के लिये सहमत हों तथा इन संशोधनों को अनुबन्ध में समाहित करने के लिये अनुपूरक अनुबन्ध का निष्पादन किया जायेगा । अनुपूरक अनुबन्ध के निष्पादन की कोई समय—सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- 7.26 यदि उपभोक्ता को स्वीकृत तथा संयोजित भार से अधिक विद्युत की खपत करते हुए पाया जाता है तो ऐसे उपभोक्ता से विद्युत—दर (टैरिफ) आदेश में दर्शाई गई विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार बिलिंग द्वारा वसूली की जाएगी।

अनुबन्ध का समापन (Termination of Agreement)

- यदि किसी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय बकाया राशि या प्रभारों का भूगतान न करने के कारण या इस संहिता के किसी निर्देश का पालन न करने के कारण साठ दिवस की अवधि तक विच्छेदित रहता हो, तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अनुबन्ध के समापन के लिये पन्द्रह दिवस का नोटिस जारी करेगा। यदि उपभोक्ता विच्छेदन के कारण को दूर करने के लिये या विद्युत प्रदाय पुनर्स्थापित करने के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाता है, तो नोटिस की अवधि समाप्त होने के उपरांत, अनुज्ञप्तिधारी का अनुबन्ध समाप्त हो जाएगा बशर्ते अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि समाप्त हो चुकी हो । संयोजन को भी स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा अन्य उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति को प्रभावित किये बगैर, उक्त विशिष्ट त्रृटिकर्ता उपभोक्ता के संयोजन की विद्युत प्रणाली (नेटवर्क) से हटा लिया जाएगा। अस्थायी विच्छेदन की अवधि के दौरान उपभोक्ता को अनुबन्ध की प्रारंभिक अवधि के अन्तर्गत प्रयोज्य टैरिफ आदेश के अनुसार स्थाई प्रभार अथवा न्यनतम प्रभार का भूगतान अनिवार्य रूप से करना होगा । ऐसे प्रकरणों में, संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा अनुबन्ध का समापन अनुबन्ध की प्रारंभिक अवधि के पश्चात किया जा सकेगा।
- 7.28 घरेलू या एकल फेज़ गैर—घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता 15 दिवस का नोटिस दे कर अनुबन्ध का समापन कर सकते हैं। उपरोक्त दशाई गई श्रेणियों के अलावा अन्य उपभोक्ता अनुबन्ध की दो वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के समाप्त होने के बाद एक महीने का नोटिस दे कर अनुबन्ध का समापन कर सकते हैं। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के अन्तिम बिल को बनाने में सुविधा हेतु आपसी सहमित से निश्चित की गई तिथि को विशेष मापयन्त्र (मीटर) वाचन लेने की व्यवस्था करेगा। अनुबन्ध का समापन बिलिंग माह की अन्तिम तिथि को किया जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी तद्नुसार अन्तिम देयक भुगतान हेतु तैयार करेगा।
- 7.29 अनुबन्ध के समापन के बाद, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर से विद्युत प्रदाय हेतु लगाये गये उपकरण तथा सेवा तन्तुपथ (service line) हटाने के लिये अधिकृत होगा। स्थाई विच्छेदन के बाद यदि उपभोक्ता संयोजन को पुनः चालू करने का इच्छुक हो, तो इसे नवीन संयोजन के आवेदन की ही भांति माना

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

जायेगा तथा इसे उसी दशा में स्वीकार किया जायेगा जब आवेदक द्वारा समस्त बकाया देय राशि का भुगतान कर दिया गया हो ।

संविदा मांग को पुनः चरणबद्ध / अनुसूचीबद्ध करना (Rephasing/Rescheduling of Contract Demand)

- 7.30 यदि उपभोक्ता द्वारा संविदा मांग के बारे में अनुबन्ध का निष्पादन चरणबद्ध रूप से किया गया हो तथा संविदा मांग को पुनः चरणबद्ध / अनुसूचीबद्ध करने का इच्छुक हो, तो इसके लिये उपभोक्ता को अनुमित प्रदान की जा सकती है परन्तु संविदा मांग के इस प्रकार के पुनः चरणबद्ध / अनुसूचीबद्ध किये जाने के फलस्वरूप संविदा मांग में कमी नहीं की जा सकेगी।
- 7.31 उपभोक्ता को पुनरीक्षित वांछित संविदा मांग की प्रस्तावित प्रारंभिक तिथि से कम से कम एक माह पूर्व इस प्रकार की पुनः चरणबद्धता/अनुसूचीबद्धता के लिये आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 7.32 उपभोक्ता को उपरोक्त सुविधा अनुबन्ध की प्रारंभिक अविध के दौरान केवल एक बार ही अनुज्ञेय की जाएगी।

संयोजनों का संविलियन / एकीकरण (Merger/Amalgamation of Connections)

- 7.33 ऐसे प्रकरणों में जहां उपभोक्ता संस्पर्शी भूमि (contiguous land) पर विद्यमान पृथक संयोजनों के संविलियन के लिये विकल्प प्रस्तुत करता हो तथा निम्न निबन्धनों तथा शर्तों की भी तुष्टि करता हो, तो उसे वांछित अभिलेखों के प्रस्तुत करने के उपरांत इस संबंध में नवीन अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने के बाद ऐसा किये जाने की अनुमति इस शर्त के अन्तर्गत प्रदान की जा सकेगी कि संविदा मांग खण्ड 3.4 के अन्तर्गत दर्शाई गई एक विशिष्ट वोल्टेज के अध्यधीन निर्दिष्ट उच्चतम सीमा से अधिक न होगी:
 - (अ) जो एक ही स्थापना तथा पदाधिकारी (staff) धारित करते हों ;
 - (ब) जो एक ही व्यक्ति / कम्पनी के स्वामित्व अथवा पट्टे पर स्थित हों ;
 - (स) किसी प्रयोज्य कानून/संविधि के अन्तर्गत एकल अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के अन्तर्गत आते हों ;
 - (द) जिनका संविलियन के बाद विद्युत प्रदाय का एक सांझा बिन्दु हो जो एक ही स्थान पर स्थित हो ; तथा
 - (ई) इनमें से किसी भी विद्यमान संयोजन के विरूद्ध बकाया राशि का भुगतान लंबित न हो।
- 7.34 ऐसे प्रकरणों में, उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय उपलबधता प्रभारों (supply affording charges), जैसा कि इन्हें मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये सयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है, विद्यमान संयोजनों के अनुबन्धों के अनुसार, कुल संविदा मांग के लिये फिर से इन प्रभारों को भुगतान करने की आवश्यकता न होगी।

अध्याय-8

विद्युत मापन तथा बिलिंग (Metering & Billing)

मापयन्त्रों की आवश्यकता (Requirement of Meters):

- 8.1 कोई भी नवीन संयोजन मापयन्त्र (meter) एवं सुसंगत मानकों के अनुसार उचित मापदण्ड के कट—आउट (cut-out) या मिनीएचर सर्किट ब्रेकर (Miniature Circuit Breaker-MCB) अथवा सर्किट ब्रेकर (Circuit Breaker-CB) के बिना प्रदान नहीं किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीन सेवा संयोजनों, अमीटरीकृत संयोजनों के प्रावधान तथा रूके हुए/त्रुटिपूर्ण मापयन्त्रों/विद्युत मापन उपकरणों को बदले जाने के लिये पर्याप्त मात्रा में उचित मापयंत्रों (मीटरों)/विद्युत—मापन उपकरणों (metering equipments) की अधिप्राप्ति की व्यवस्था की जाएगी।
- 8.2 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्पर्क किये जाने पर समस्त उपभोक्ताओं को उपयुक्त विद्युत मापन उपकरण (metering device), भार-नियन्त्रक (Load Limiter), छेड़-छाड़ रोधी बक्से (tamper proof boxes) या अन्य उपकरणों को स्थापित करना स्वीकार करना होगा एवं उपभोक्ता को मापयन्त्र और संबंधित उपकरणों की स्थापना के लिए अनुज्ञप्तिधारी की संतुष्टि के अनुसार उपयुक्त स्थान भी उपलब्ध कराना होगा।
- 8.3 उच्चदाब (HT) विद्युत प्रदाय के प्रकरण में यदि उच्चदाब विद्युत मापन प्रणाली तत्काल स्थापित नहीं की जा सकती हो तो उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के निम्नदाब पक्ष की ओर निम्नदाब (LT) विद्युत मापन व्यवस्था की जा सकेगी। ऐसे प्रकरणों में बिलिंग के प्रयोजन हेतु विद्युत मात्राओं की गणना, रूपान्तरण हानि (transformation loss) हेतु, निम्नदाब मापयन्त्र में दर्ज खपत में उसका 3 प्रतिशत् जोड़कर की जाएगी। यह व्यवस्था तीन माह से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं रखी जाएगी तथा अनुज्ञप्तिधारी को तीन माह के भीतर ट्रांसफार्मर के उच्चदाब की ओर मापयन्त्र प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था करनी होगी।
- 8.4 यदि उच्चदाब अथवा अति उच्चदाब उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय व्यवस्था एक पृथक स्वतंत्र संभरक (फीडर) पर पूर्णतया उसके उपयोग के लिये की जाती हो तो विद्युत मापन की व्यवस्था उपभोक्ता के परिसर में की जायेगी अथवा यदि इस बारे में परस्पर सहमति हो तो यह व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी के उपकेन्द्र पर भी की जा सकती है।
- 8.5 अनुज्ञप्तिधारी, समुन्नत प्रौद्योगिकी के मापयन्त्रों की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विद्यमान मापयन्त्रों तथा उपभोक्ता के परिसर में मापयन्त्रों को स्थापित करने के स्थान की उपयुक्तता की समीक्षा अधिकारिक तौर पर कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में सुदूर विद्युत मापन यन्त्र (remote metering device) इस यन्त्र की तकनीकी अर्हताओं के अनुसार स्थापित कर सकेगा तथा ऐसी दशा में उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को उसके स्वयं के दूरभाष के माध्यम से इस प्रणाली के वाचन हेतु आवश्यक पहुंच की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में उच्चतम मांग मापयन्त्र (maximum demand meter) जिसमें उच्चतम मांग अभिलेख

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

संबंधी विशिष्टताएं या अन्य अतिरिक्त विशिष्टताएं उपलब्ध हों, स्थापित कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी किसी एक उपभोक्ता के संयोजन अथवा उपभोक्ताओं के संयोजनों के समूह के लिये प्रति—परीक्षण मापयन्त्र (check meter) की स्थापना हेतु भी अधिकृत होगा। यदि प्रति—परीक्षण मापयन्त्र व बिलिंग मापयन्त्र में दर्ज खपत में अंतर स्वीकृत सीमाओं से अधिक हो तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को विधिवत लिखित सूचना देने के उपरान्त, बिलिंग मापयन्त्रों की स्थापना खम्भे (पोल) पर या खम्भे पर स्थापित स्तम्भ वक्सों (pillar boxes) पर कर सकेगा।

मापयन्त्र तथा कट—आऊट/एमसीबी/सीबी का प्रदाय और स्थापना (Supply and Installation of Meters and Cut-outs/MCBs/CBs):

- 8.6 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को नवीन विद्युत संयोजन प्रदान करते समय अथवा आवश्यकतानुसार किसी अन्य समय पर भी मापयन्त्र (मीटर), मापयन्त्र उपकरण (metering equipments) एवं कट—आऊट/एमसीबी/सीबी/भार—नियन्त्रक (load-limiter) उपलब्ध कराये जायेंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मापयन्त्र तथा मापयन्त्र उपकरणों को सही कार्यस्थिति में रखा जाएगा और उपभोक्ता द्वारा इनके मासिक किराये का भुगतान मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट अनुसार किया जाएगा।
- मापयन्त्र (मीटर) सामान्यतः परिसर में सीमा-दीवार (बाउंडीवाल) के अन्दर भवन 8.7 की बाहरी दीवार पर इस प्रकार स्थापित किया जाएगा ताकि यह मौसम संबंधी प्राकृतिक कारकों जैसे कि हवा, पानी, धूप इत्यादि से सुरक्षित रहे तथा मापयन्त्र वाचक (मीटर रीडर) द्वारा इसका वाचन (रीडिंग) बाहर से ही किया जा सके तथा मापयन्त्र वाचन के लिये परिसर, यदि वह विद्यमान है तो उसे ऐसे प्रयोजन हेतू उसका ताला खोलने की आवश्यकता न हो। विशेष परिस्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी मापयन्त्र को उपरोक्त वर्णित स्थान से भिन्न स्थान पर स्थापित कर सकता है तथापि इसकी अनुमित लिखित रूप से सहायक यंत्री या उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। उपभोक्ता, विद्युत प्रदाय के निर्धारित बिन्द से अपनी आंतरिक तन्तुपथ प्रणाली (wiring) की स्थापना करेगा। मापयन्त्र बक्से (meter box) को सामान्यतः ऐसी ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा ताकि मापयन्त्र वाचन फलक / प्रदर्शन वातायन (meter reading/ counter display window) को मापयन्त्र वाचक द्वारा खडे रहकर आसानी से पढा जा सके। निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में मापयन्त्र तथा कट–आऊट / एमसीबी और उच्चदाब / अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में मापयन्त्र. सर्किट ब्रेकर तथा केबल सहित अन्य सहयोगी उपकरण की स्थापना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय बिन्दू पर की जाएगी।
- 8.8 सभी नवीन मापयन्त्रों (meters) की स्थापना छेड़—छाड़ रोधी मापयन्त्र बक्से (tamper proof meter box) में की जाएगी।
- 8.9 अर्द्ध—स्थाई प्रकार के कच्चे मकानों में अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि मापयन्त्र (मीटर) को दीवार पर सुचारू रूप से स्थापित किया जा सके और मापयन्त्र वाचक (मीटर रीडर) की मापयन्त्र तक की पहुंच सुगम हो। यदि उपभोक्ता मापयन्त्र स्थापित करने के लिये अच्छी गुणवत्ता की दीवार उपलब्ध

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

नहीं करा पाता हो तो अनुज्ञप्तिधारी मापयन्त्र को खंभे (पोल) पर या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाये गये स्तम्भ—बक्से (pillar box) में स्थापित कर सकेगा जिसका व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी स्थापना का उचित रूप से भू—योजन (अर्थिंग) किया जाना भी सुनिश्चित करेगा।

- 8.10 ऐसे प्रकरणों में, जहां मापयन्त्र परिसर के भीतर स्थापित किया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी के मापयन्त्र तथा अन्य उपकरण, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करने हेतु स्थापित किये गये तन्तुपथ (लाईन) के परिसर में प्रवेश बिन्दु के निकट स्थापित किये जाएंगे तािक विद्युत मापन इकाई (Metering unit) परिसर के बाहर से दृष्टव्य हो एवं मापयन्त्र तथा विद्युत मापन कक्ष (Metering Cubical) के लिये स्वतंत्र एवं निर्वाध प्रवेश उपलब्ध कराया जा सके। जहां कहीं आवश्यक हो वहां उपभोक्ता अपने स्वयं के व्यय पर अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदित किये गये रूपांकन अनुसार उसके (अनुज्ञप्तिधारी के) टर्मिनल उच्चदाब स्वच गियर तथा उपकरणों को स्थापित करने के लिये मौसम रोधी एवं तालायुक्त कमरा/अहाता उपलब्ध करायेगा एवं इसका रखरखाव भी करेगा।
- 8.11 जब कभी भी कोई नया मापयन्त्र (मीटर) / मापयन्त्र उपकरण (metering equipment) (इसे बदलने या फिर नए संयोजन के प्रयोजन से) स्थापित किया जाए तो दोनों पक्षों, यथा अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता की ओर से उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मापयन्त्र को ठीक प्रकार से सील किया जाएगा। सील लगाये जाने के कार्य के प्रत्यक्षदर्शी दोनों पक्षों के प्रतिनिधि अपना पूरा नाम लिखकर निर्धारित दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करेंगे। इस मापयन्त्र या मापयन्त्र उपकरण की सील, नाम पिट्टकाओं और उनमें खुदे हुए विशिष्ट अंक या चिन्ह किसी भी स्थिति में उपभोक्ता द्वारा या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तोड़े, मिटाए, परिवर्तित या बाधित नहीं किये जाएंगे, जब तक दोनों पक्षों के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित न हों।
- 8.12 मापयन्त्र (मीटर), कट—आउट, एमसीबी / सीबी आदि, जो अनुज्ञप्तिधारी के परिसर में स्थापित किये गये हों, को छोड़कर, उपभोक्ता के परिसर में स्थापित किये गये मापयन्त्रों, कट—आउटों, एमसीबी / सीबी आदि की सुरक्षित अभिरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं उपभोक्ता का होगा।
- 8.13 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके प्रचालन क्षेत्र में स्थापित किये गये मापयन्त्रों (मीटरों) के समस्त प्रकारों की सूची वर्ष में एक बार आयोग को प्रस्तुत की जाएगी। इस जानकारी में प्रत्येक प्रकार के मापयन्त्र के मापदण्ड का विशेष विवरण और कौन से प्रकार के मापयन्त्र कितनी संख्या में उपयोग में लाये जा रहे हैं तथा कितने मापयन्त्र भंडार में विद्यमान हैं, का विवरण भी शामिल किया जाएगा।

मापयन्त्रों का परीक्षण (Testing of Meters) :

8.14 अनुज्ञप्तिधारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि मापयन्त्र (मीटर) की स्थापना के पूर्व इसकी परिशुद्धता से अपने को संतुष्ट कर ले और इस प्रयोजन हेतु वह मापयन्त्र का परीक्षण भी कर सकेगा।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

8.15 अनुज्ञप्तिधारी निम्न अनुसूची के अनुसार मापयन्त्रों का नियतकालिक निरीक्षण / परीक्षण भी करेगाः

- (अ) एकल फेज / तीन फेज मापयन्त्रों (Single Phase/Three Phase Meters) का पांच वर्ष में कम से कम एक बार।
- (ब) उच्चदाब मापयन्त्रों (H.T. Meters) का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार।

जहां कहीं सीटी एवं पीटी स्थापित किये गये हों, का परीक्षण भी मापयन्त्रों के साथ ही किया जाएगा।

यदि आवश्यक हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्यमान मापयन्त्र को परीक्षण हेतु हटाया भी जा सकेगा। तथापि, ऐसी परिस्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि को इस आशय की उपभोक्ता को प्रामाणिक सूचना प्रस्तुत करनी होगी और अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि द्वारा मापयन्त्र निकालने के पूर्व अपना नाम व पद सहित हस्ताक्षर कर उपभोक्ता को पावती देनी होगी। उपभोक्ता, इस प्रकार मापयन्त्र को हटाने पर अपनी आपत्ति प्रकट नहीं करेगा।

दोषपूर्ण मापयन्त्र (Defective Meters) :

- 8.16 किसी मापयन्त्र (मीटर) एवं संबंधित उपकरण की परिशुद्धता के बारे में युक्तियुक्त शंका होने पर अनुज्ञप्तिधारी को उनके परीक्षण करने का अधिकार होगा तथा इस हेतु उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को परीक्षण करने में वांछित सहायता भी उपलब्ध करायेगा। मापयन्त्र परीक्षण के दौरान उपभोक्ता को उपस्थित रहने की अनुमति भी दी जाएगी।
- 8.17 कोई भी उपभोक्ता मापयन्त्र (मीटर) की परिशुद्धता के बारे में शंका होने पर अनुज्ञप्तिधारी को मापयन्त्र का परीक्षण करने के लिए आवश्यक परीक्षण शुल्क के भुगतान द्वारा अनुरोध कर सकता है। आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी मापयन्त्र के परीक्षण की व्यवस्था करेगा। इलेक्ट्रॉनिक मापयन्त्रों की प्राथमिक जांच उपभोक्ताओं के परिसर में इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण के माध्यम से की जा सकगी।
- 8.18 मापयन्त्र (मीटर) के प्रयोगशाला में परीक्षण किये जाने वाले सभी प्रकरणों में उपभोक्ता को परीक्षण की प्रस्तावित दिनांक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व दी जाएगी ताकि उपभोक्ता या उसका अधिकृत प्रतिनिधि परीक्षण के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सके। यदि परीक्षण के समय उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं तो परीक्षण परिणाम—पत्रक (test result sheet) पर उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जाएंगे।
- 8.19 यदि कोई उपभोक्ता अपने मापयन्त्र (मीटर) का परीक्षण अनुज्ञप्तिधारी की प्रयोगशाला के बजाय किसी स्वतंत्र प्रयोगशाला में उसके स्वयं के व्यय पर कराने का इच्छुक हो तो वह ऐसा आयोग द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में आवश्यक प्रभारों के भुगतान द्वारा कर सकेगा।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

मापयन्त्र (अधिकतम मांग संसूचक सहित) जो वाचन दर्ज न कर रहा हो {Meter (Including Maximum Demand Indicator) Not Recording} :

- 8.20 उपभोक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि जैसे ही उसे मापयन्त्र (मीटर) के रूकने/वाचन दर्ज न करने का पता लगे वह अनुज्ञप्तिधारी को इसकी लिखित सूचना दे। उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत सूचना की अभिस्वीकृति उसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान की जाएगी।
- 8.21 समयकालिक या अन्य निरीक्षण के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई मापयन्त्र (मीटर) यदि चालू अवस्था में नहीं पाया जाता है या उपभोक्ता द्वारा इस संबंध में अपनी शिकायत प्रस्तुत की जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी मापयन्त्र का परीक्षण 7 दिवस के भीतर करने की व्यवस्था करेगा। निम्नदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में मापयन्त्र को शहरी क्षेत्रों में 15 दिवस के भीतर सुधार करना / नया मापयन्त्र स्थापित करना होगा जबिक ग्रामीण क्षेत्र में उक्त कार्यवाही उसे 30 दिन के भीतर करनी होगी। उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में मापयन्त्र को सात दिवस के भीतर सुधार करना / बदलना होगा।
- 8.22 उक्त माह के दौरान, जब मापयंत्र/मापयन्त्र उपकरण (Meter/Metering Equipment) शहरी क्षेत्र में 15 दिवस से अधिक अवधि तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिवस से अधिक की अवधि के दौरान त्रुटिपूर्ण अवस्था में रहते हों, तो मापयंत्र/मापयन्त्र उपकरणों के प्रति कोई भी मापयन्त्र प्रभार (metering charges) देय न होंगे।

मापयन्त्रों की स्थापना (Installation of Meters):

8.23 उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित किये जाने वाले मापयन्त्र, संयोजन की अनुबंध मांग के अनुरूप उपयुक्त क्षमता के तथा भारतीय मानक ब्यूरो के सुसंगत मानकों के अनुरूप होंगे। मापयन्त्रों की परिशुद्धता केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मापयन्त्रों की स्थापना तथा संचालन से संबंधित विनियम, यथा Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 जैसा कि इसे समय—समय पर संशोधित किया गया हो, के अनुसार जारी मानदण्डों के अनुरूप होगी। वितरण अनुज्ञप्तिधारी मापयन्त्रों को अनुज्ञप्तिधारी के भण्डार को प्रदाय करने से पूर्व सुसंगत भारतीय मानक मानदण्डों (आईएसएस) के अनुसार इनका परीक्षण किया जाना सुनिश्चित करेगा। उपभोक्ता परिसर में मापयन्त्रों की स्थापना से पूर्व, वितरण अनुज्ञप्तिधारी समस्त मापयन्त्रों का नियत सामान्य परीक्षण सुसंगत भारतीय मानकों तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार मापन की परिशुद्धता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में भी करेगा।

मापयन्त्र वाचन, विद्युत देयक तैयार करना एवं देयकों का वितरण करना (Meter Reading, Bill Generation and Bill Distribution):

8.24 घरेलू उपभोक्ताओं के मापयन्त्रों का वाचन केवल दिन के प्रकाश के समय ही किया जाएगा। विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी के लिये मापयन्त्र वाचन की समयाविध निम्नानुसार दी गई है। तथापि, यदि अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक एवं उपयोगी समझे तो वह इस समयाविध में सुधार भी कर सकेगा।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

उपभोक्ता श्रेणी (Consumer Category)	मापयन्त्र वाचन का अन्तराल	
	(Meter Reading)	
घरेलू – ग्रामीण	तीन माह में एक बार	
घरेलू – शहरी (नगरपालिक निगम शहर,	प्रति माह	
प्रचलित जनगणना प्रतिवेदन के आधार पर		
एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली		
नगरपालिकाएं एवं जिला मुख्यालय नगर)		
अन्य घरेलू–शहरी	दो माह में एक बार	
गैर—घरेलू < 10 किलोवाट — ग्रामीण	तीन माह में एक बार	
गैर-घरेलू – अन्य (शहरी एवं ग्रामीण)	प्रति माह	
निम्नदाब औद्योगिक	प्रति माह	
कृषि – ग्रामीण	तीन माह में एक बार	
कृषि – शहरी	दो माह में एक बार	
पथ—प्रकाश व्यवस्था, जलप्रदाय कार्य,	प्रति माह	
क्ष-किरण (एक्स-रे) संयन्त्र, विद्युत शवदाह		
गृह		
उच्चदाब	प्रति माह	

- 8.25 मापयन्त्र वाचन (मीटर रीडिंग) के दौरान मापयन्त्र वाचक (मीटर रीडर) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी फोटो पहचान—पत्र (Photo Identity Card) जो उनकी वर्दी पर इस प्रकार नत्थी (पिन) किये जाएंगे ताकि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके, अपने साथ धारित करेंगे।
- 8.26 अनुज्ञप्तिधारी हस्तधारित उपकरणों (hand held instruments), मापयन्त्र वाचन उपकरण (Meter Reading Instruments-MRI) अथवा बेतार उपकरण (Wireless equipment) का उपयोग मापयन्त्र वाचन और तत्काल देयक (बिल) जारी करने (Spot Billing) हेतु कर सकेगा। यदि देयक मापयन्त्र वाचन उपकरण (एम.आर.आई.) डाउनलोड प्रक्रिया का उपयोग कर अथवा सुदूर मापयन्त्र वाचन (Remote Meter Reading) व्यवस्था के आधार पर बनाये जाते हैं तथा यदि उपभोक्ता इस प्रकार किये गये वाचन का अभिलेख प्राप्त करने का इच्छुक हो तो वह अधिकारी / कर्मी जो मापयन्त्र वाचन ले रहा है, इसे उपभोक्ता को उपलब्ध करायेगा।
- 8.27 तत्काल देयक तैयार करने (spot billing) संबंधी प्रक्रिया के दौरान यदि अनुज्ञिप्तिधारी का प्रतिनिधि उपभोक्ता की अनुपिस्थिति अथवा पिरसर के बन्द होने की दशा में मापयन्त्र वाचन (मीटर रीडिंग) लेने में असमर्थ रहता हो तो वह उपभोक्ता पिरसर में इस आशय का रूक्का / पत्रक (note) छोड़ सकेगा कि उपभोक्ता अपना चालू मापयन्त्र वाचन दूरभाष के माध्यम से देयक तैयार करने के प्रयोजन हेतु कार्यालय में सूचित कर सकता है। तत्पश्चात्, उपभोक्ता किसी भी सुविधाजनक तिथि पर अपने देयक की प्रति कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। तथापि, दूरभाष पर मापयन्त्र वाचन प्राप्त कर देयक प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया की सुविधा एक अन्तराल के दौरान एक देयक—प्रदाय चक्र (billing cycle) से अधिक अवधि के लिये प्रदान नहीं की जाएगी।

8.28 अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक उपभोक्ता के लिए एक विशिष्ट उपभोक्ता क्रमांक (unique consumer number) आवंटित करे तथा इसे संबंधित उपभोक्ता को संसूचित करे।

- 8.29 अनुज्ञप्तिधारी के लिये यह विकल्प होगा कि वह ऊर्जा के प्रभारों की अग्रिम भुगतान योजना (pre-payment scheme) ऐसे उपभोक्ताओं के लिये लागू करे जो अमीटरीकृत विद्युत प्रदाय प्राप्त कर रहे हैं। इस अग्रिम भुगतान योजना का विवरण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग से अनुमोदित कराना होगा तथा व्यापक प्रचार—प्रसार सुनिश्चित करने के बाद इसे क्रार्यान्वित करना होगा।
- 8.30 प्रत्येक श्रेणी के विद्युत देयक प्रचलित विद्युत—दर आदेश (tariff order) में प्रसारित जानकारी के आधार पर तैयार किये जायेंगे।
- 8.31 यदि किसी नये उपभोक्ता का विद्युत संयोजन किसी माह के मध्य किसी तिथि से प्रारम्भ होता हो तो प्रथम देयक माह के अन्तर्गत स्थाई प्रभार (Fixed Charges) वास्तविक आधार पर प्रभारित किये जाएंगे। तथापि, अन्य प्रभार, जैसे कि न्यूनतम प्रभार आदि की राशि की गणना माह के दौरान विद्युत प्रदाय की गई वास्तविक दिवस संख्या के आधार पर आनुपातिक दर पर की जाएगी। दर्ज की गई विद्युत खपत को भी इसी प्रकार, खपत की विभिन्न निर्धारित श्रेणियों में, आनुपातिक दर पर प्रभारित किया जाएगा। इस कण्डिका के प्रयोजन से माह की अवधि की गणना 30 दिवस के रूप में की जाएगी।
- 8.32 अनुज्ञप्तिधारी देयक पर देयक के वितरक का नाम, रबर मोहर लगाकर दर्शायेगा तथा देयक वितरक उपभोक्ता को देयक जारी करने से पूर्व देयक पर इसके वितरण की दिनांक भी अंकित करेगा।
- 8.33 अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की मांग को छोड़कर, अंकेक्षण (audit) अथवा सतर्कता (vigilance) संबंधी वसूली तथा अन्य बकाया राशि की वसूली के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक देयक मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे जिसके अन्तर्गत ऐसे देयकों के साथ देयक तैयार करने के आधार का विवरण तथा देयक की अवधि इत्यादि लिखित में प्रदान की जाएगी। उपरोक्त देयकों का भुगतान निर्दिष्ट की गई अवधि (जो 15 पूर्ण दिवस से कम न होगी) की बकाया राशि को उपभोक्ता के आगामी देयकों में निरन्तर जोड़ा जाएगा जब तक उपभोक्ता द्वारा देयक का भुगतान नहीं कर दिया जाता है या अन्यथा उसका समायोजन नहीं कर दिया जाता। जहां कहीं मापयन्त्र वाचन उपकरण (Meter Reading Instruments-MRI) डाउनलोड सुविधा उपलब्ध कराई गई हो, वहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समस्त संयोजनों के मापयन्त्र वाचन उपकरण के माध्यम से मासिक मापयन्त्र वाचन प्राप्त करने के सभी संभव प्रयास किये जाएंगे।
- 8.34 यदि किसी कारणवश वाचन के लिये मापयन्त्र (मीटर) तक पहुंच संभव न हो तो अनुज्ञिप्तिधारी उपभोक्ता को मापयन्त्र वाचन के लिये उपलब्ध कराने हेतु लिखित में नोटिस, जिसमें समय एवं दिनांक का उल्लेख होगा, भेजेगा। उपरोक्तानुसार नोटिस दिये जाने के बावजूद यदि वाचन के लिये उपभोक्ता मापयन्त्र उपलब्ध नहीं कराता है तो अनुज्ञिप्तिधारी अधिभार सहित अनन्तिम विद्युत देयक (provisional bill) उपभोक्ता को प्रेषण हेतु स्वतंत्र होगा। अधिभार की राशि प्रचलित विद्युत—दर (टैरिफ) आदेश के अनुसार होगी। अनन्तिम देयक पूर्व वित्तीय वर्ष की औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तैयार किया जायेगा।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

इस प्रकार अनित्तम तैयार किये गये देयक की राशि का समायोजन बाद में अनुवर्ती देयक—चक्र (billing cycle) में वास्तविक मापयन्त्र वाचन (meter reading) के आधार पर बनाये जाने वाले देयक में किया जायेगा। ऐसी अनित्तम देयक प्रक्रिया को एक बार में दो से अधिक मापयन्त्र वाचन चक्रों के लिये जारी नहीं रखा जाएगा। आगामी मापयन्त्र वाचन चक्र के समय भी यदि मापयन्त्र वाचन हेतु उपलब्ध नहीं रहता हो तो अनुज्ञिप्तधारी द्वारा उपभोक्ता को निर्धारित समय एवं दिनांक पर, मापयन्त्र वाचन हेतु अपना परिसर खुला रखने हेतु नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस में निर्धारित किये गये समय पर भी यदि उपभोक्ता द्वारा मापयन्त्र वाचन हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 163(3) के अन्तर्गत 24 घण्टों की सूचना देकर संबंधित उपभोक्ता का विद्युत प्रदाय विच्छेदित किया जा सकेगा।

- 8.35 जिस अवधि में मापयन्त्र (मीटर) कार्यरत नहीं रहता हो, उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा
 - (अ) यदि जांच मापयंत्र (check meter) उपलब्ध हो तो उक्त वाचन (reading) का उपयोग खपत के आकलन हेतु किया जा सकेगा।
 - (ब) ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटिपूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन-चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियां हैं जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ-साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब / उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तृष्ट न हो तो अति उच्चदाब / उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।
 - (स) अनुज्ञप्तिधारी, त्वरित उचित आकलन के अभाव में उपभोक्ता को पिछले तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के औसत मासिक आधार पर अनन्तिम देयक (provisional bill) जारी कर सकेगा जो बाद में किसी अनुवर्ती तिथि को पुनरीक्षण के अध्यधीन होगा।
- 8.36 अनुज्ञप्तिधारी, दोषपूर्ण मापयन्त्रों (मीटरों) के प्रतिस्थापन (replacement) के बारे में पद्धति, प्रक्रिया और उत्तरदायित्व का एक विस्तृत अभिलेख तैयार करेगा।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

8.37 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं को देयक दस्ती से (by hand) अथवा डाक से प्रेषित किये जाएंगे। उपभोक्ता के लिखित आवेदन पर पंजीकृत डाक से भी देयक प्रेषित किये जा सकेंगे, तथापि इस प्रकार के देयक प्रेषण पर होने वाला व्यय उपभोक्ता से वस्ली—योग्य होगा।

8.38 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय देयकों का वितरण, इनकी नगद भुगतान की नियत तिथि से कम से कम 7 (सात) दिवस पूर्व सुनिश्चित करेगा।

घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अधिवास में परिवर्तन/परिसर को खाली करने पर मापयन्त्रों की विशेष वाचन व्यवस्था : (Special Reading of Meters in cases of Change of Occupancy/Vacation of Premises for Domestic Consumers)

- 8.39 विद्युत संयोजन के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह अपने अधिवास में परिवर्तन अथवा परिसर को खाली किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी से संपर्क कर मापयन्त्र का विशेष वाचन किया जाना सुनिश्चित करे।
- 8.40 संयोजन के वर्तमान स्वामी (owner) / प्रयोक्ता (user) को परिसर के खाली किये जाने या अधिवास के परिवर्तित होने की स्थिति में, जैसा प्रकरण में लागू हो, अनुज्ञप्तिधारी को मापयन्त्र के विशेष वाचन (special meter reading) हेतु कम से कम 15 (पन्द्रह) दिवस पूर्व लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- 8.41 उपभोक्ता के उपरोक्त आवेदन पर, अनुज्ञिप्तिधारी विशेष मापयन्त्र वाचन करवाने की व्यवस्था करेगा एवं परिसर के रिक्त होने के कम से कम 7 (सात) दिवस पूर्व, देयक की दिनांक तक की सभी पूर्व बकाया राशियों को सिम्मिलित कर देयक को अद्यतन् करते हुए, उसे अन्तिम देयक प्रदान करेगा। इस अन्तिम देयक में मापयन्त्र के विशेष वाचन की तिथि से परिसर के रिक्त होने की तिथि तक के प्रभारों को आनुपातिक आधार पर भी सिम्मिलित किया जाएगा। मापयन्त्र के विशेष वाचन के प्रभारों की वसूली मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी।
- 8.42 मापयन्त्रयुक्त संयोजनों (metered connections) के देयक में उपभोक्ता के विवरण, मापयन्त्र वाचन, विद्युत खपत, बकाया राशि (यदि कोई हो), देयक तिथि, देयक भुगतान की अन्तिम तिथि संबंधी जानकारी, आदि समाहित की जाएगी। देयक में आयोग के निर्देशानुसार अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, भी शामिल की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को समय—समय पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वांछित जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

अध्याय - 9

भुगतान एवं संयोजन विच्छेद (Payment & Disconnection)

भगतान (Payment):

- 9.1 उपभोक्ताओं से उन्हें जारी किये गये विद्युत आपूर्ति के देयकों का भुगतान नियमित रूप से निर्धारित तिथि तक किये जाने की अपेक्षा की जाती है।
- 9.2 अनुज्ञप्तिधारी, भुगतान संग्रहण केन्द्रों के पते / स्थान तथा कार्यकारी घंटे, जिनमें उन बैंको को भी शामिल किया जायेगा जहां उपभोक्ता भुगतान कर सकता है, का पर्याप्त प्रचार—प्रसार किया जाना सुनिश्चित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी भुगतान की अधिकतम वैकल्पिक विधियों, जैसे कि नगद भुगतान, स्थानीय चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, इलेक्ट्रॉनिक निकासी पद्धति (Electronic Clearing System-ECS), क्रेडिट कार्ड, ड्राप—बॉक्स आदि उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायेगा।
- 9.3 ऐसे दिवसों के दौरान जब संग्रहण केन्द्रों पर अधिक भीड़ हो तो अनुज्ञप्तिधारी विरष्ट नागरिकों, महिलाओं तथा विकलांगों के लिये अलग पंक्ति की व्यवस्था द्वारा भुगतान करने की सुविधा भी प्रदान करेगा तथा देयक राशि संग्रहण के दौरान इन्हें प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिये।
- 9.4 समस्त उपभोक्ताओं के लिये भुगतान की अंतिम तिथि, देयक जारी किये जाने की दिनांक से सामान्यतः 15 (पन्द्रह) दिनों तक की होगी। यदि देयक में वर्णित भुगतान की अंतिम तिथि सार्वजनिक अवकाश हो तो आगामी कार्यदिवस को अंतिम तिथि माना जाएगा।
- 9.5 देयक से संबंधित चेक राशि की वसूली न होने पर, अनुज्ञप्तिधारी को विधि के अनुसार कथित उपभोक्ता के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करने के अलावा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 के अनुसार अनादिरत चेक (dishonoured cheque) से संबंधित प्रभारों की वसूली का भी अधिकार होगा।
- 9.6 देयक प्राप्त होने की निर्धारित समयाविध तक देयक प्राप्त न होने की दशा में उपभोक्ता देयक जारी करने वाले कार्यालय से संपर्क कर देयक की द्वितीय प्रति प्राप्त कर सकता है और इसका भुगतान करने की व्यवस्था कर सकता है। यदि अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को देयक की द्वितीय प्रति प्रदान करने की स्थिति में न हो तो उपभोक्ता पूर्व में जारी देयकों की औसत राशि के आधार पर भुगतान करेगा। अनुज्ञप्तिधारी देयक प्राप्त न होने के कारणों की जांच कर उचित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा तािक तदोपरान्त उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय देयक तत्परता से निर्धारित समयाविध के भीतर प्राप्त हों।
- 9.7 भुगतान प्राप्त होने की पुष्टि हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक पावती प्रत्येक उपभोक्ता को जारी की जाएगी।
- 9.8 उपभोक्ता भविष्यगामी देयकों के भुगतान के लिए अग्रिम राशि भी जमा कर सकेगा जो आगामी महीनों के देयकों में समायोजित की जाएगी। तथापि, अग्रिम

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

भुगतान में से केवल नियमित देयकों की राशि का ही समायोजन किया जाएगा। किन्हीं अन्य प्रभारों की राशि का समायोजन किये जाने से पूर्व उपभोक्ता की सहमति प्राप्त की जाएगी।

- 9.9 जारी किये गये देयकों की राशि के भुगतान में चूक करने वाले समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को, खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश के अनुसार प्रयोज्य दर पर, बकाया राशि पर विलम्बित भुगतान अधिभार का भुगतान करना होगा।
- 9.10 उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई समस्त राशियों का समायोजन प्राथमिकता के निम्नांकित क्रम में किया जाएगा :
 - (क) चालू खपत पर विद्युत शुल्क (Electricity Duty) और उपकर (Cess)
 - (ख) विद्युत शुल्क (Electricity Duty) और उपकर (Cess) की बकाया राशि
 - (ग) विलम्बित भुगतान अधिभार (Delayed Payment Surcharge)
 - (घ) बकाया देय राशि का शेष (Balance of arrears)
 - (ड़) चालू देयक राशि का शेष (Balance of current bill amount)

9.11 विवादित / त्रुटिपूर्ण देयक : (Disputed/Erroneous Bills)

- (अ) जारी किये गये देयक की राशि पर किसी आपित्त के संबंध में उपभोक्ता, विद्युत देयक में दर्शाये गये संबंधित अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन (representation) प्रस्तुत कर सकेगा।यदि ऐसा व्यक्ति सविरोध (under protest) भुगतान करता है तो उपभोक्ता द्वारा निम्नानुसार राशि जमा किये जाने पर उसका विद्युत प्रदाय के संयोजन को विस्कृदित नहीं किया जायेगा
 - (i) उससे मांगी गई राशि के बराबर राशि, अथवा
 - (ii) उपभोक्ता द्वारा भुगतान किये गये पूर्व के 6 माह के औसत प्रभार के आधार पर गणना किये गये प्रत्येक माह के विद्युत प्रभार की राशि इनमें से जो भी कम हो, जब तक अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के बीच विचाराधीन विवाद का निपटान नहीं हो जाता।
- (ब) आवेदक द्वारा अपना अभ्यावेदन सादे कागज पर निम्न विवरणों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है : —
 - (i) उपभोक्ता का नाम और पता, दूरभाष क्रमांक दर्शाते हुए, यदि कोई हो
 - (ii) सेवा संयोजन क्रमांक (Service connection number)
 - (iii) संयोजन की श्रेणी (Category of connection)

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

(iv) प्रकरण की तथ्यात्मक जानकारी एवं चाही गई राहत (relief)

नामोद्दिष्ट अधिकारी विवाद का निपटान लिखित शिकायत की प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 7 (सात) दिवस की कालावधि के भीतर करेगा।

- (स) शिकायत की जांच करने पर यदि देयक त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को देयक भुगतान करने की पुनरीक्षित अंतिम तिथि दर्शांते हुए, जो पुनरीक्षित देयक जारी करने के न्यूनतम 7 (सात) दिवसों से कम न होगी, सही किया गया पुनरीक्षित देयक जारी करेगा। उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई अधिक राशि, यदि कोई हो, का समायोजन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुवर्ती देयकों में किया जाएगा।
- (द) ऐसे प्रकरण में, जहां यह सिद्ध हो जाने पर कि मूल देयक सही था, वहां उपभोक्ता को अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान मूल देयक राशि पर प्रयोज्य अधिभार के साथ 7 (सात) दिवस के भीतर करने हेतु तद्नुसार उपभोक्ता का सूचित किया जाएगा।
- (ई) विवाद पर दिये गये निर्णय से यदि उपभोक्ता संतुष्ट न हो तो वह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम से सम्पर्क कर सकता है।
- 9.12 उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उपभोक्ता का विधिमान्य उत्तराधिकारी, (legal heir) ऐसे उपभोक्ता पर बकाया राशि का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा। विधिमान्य उत्तराधिकारी द्वारा तीन माह के भीतर संयोजन को अपने नाम पर परिवर्तित कराने हेतु भी आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

संयोजन विच्छेद (Disconnection):

- 9.13 उपभोक्ता द्वारा भुगतान में चूक किये जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि वह उपभोक्ता के संयोजन को अस्थाई विच्छेदन के बगैर, अधिकतम 3 (तीन) माह की युक्तियुक्त अविध के अध्यधीन जारी न रखा जाना सुनिश्चित करे। अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी का भी यह दायित्व होगा कि वह भुगतान में चूक करने वाले सभी प्रकरणों का नियमित रूप से अनुवीक्षण (मानीटर) किया जाना सुनिश्चित करे तथा अस्थायी या स्थायी रूप से संयोजन के विच्छेद हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्परता से समयबद्ध कार्यवाही की पहल करे।
- 9.14 यदि कोई उपभोक्ता, प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के बिना, निर्धारित तिथि तक किसी देयक का पूर्ण भुगतान करने में चूक करता है तो उपभोक्ता का सेवा नियोजन अस्थायी रूप से विच्छेदित किया जा सकेगा जिसके लिये उपभोक्ता के सेवा नियोजन का विच्छेद करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसे पूर्ण 15 (पंद्रह) दिवस की लिखित सूचना दी जाएगी। घरेलू संयोजन को विच्छेद करने के पूर्व यह प्रयास किया जाना चाहिये कि परिवार के किसी वयस्क सदस्य को इस बारे में सूचित किया जाए। यदि संयोजन विच्छेद किये जाने के कारण को दूर करने के प्रमाण के प्रस्तुतिकरण द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के विच्छेदन के प्रयोजन

के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी को संतुष्ट कर दिया जाता है तो विद्युत प्रदाय का विच्छेद नहीं किया जायेगा।

- 9.15 अस्थाई संयोजन विच्छेद के पश्चात्, विद्युत प्रदाय उसी दशा में पुनर्स्थापित किया जाएगा जब उपभोक्ता बकाया प्रभारों / देय राशि / निर्धारित की गई किश्त की राशि मय संयोजन विच्छेद तथा उसे जोड़ने के प्रभारों सहित भुगतान कर देता है।
- 9.16 यदि उपभोक्ता अपने संयोजन को अस्थाई रूप से छः माह तक की अवधि हेतु विच्छेदित कराना चाहता है तो उसे अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। संयोजन के अस्थाई विच्छेदन की अवधि के दौरान उपभोक्ता को ऐसे सभी मासिक नियत प्रकार के प्रभारों, जैसे कि स्थायी प्रभार (fixed charge), न्यूनतम प्रभार (minimum charge), मापयन्त्र प्रभार (metering charges) इत्यादि के अग्रिम भुगतान करने होंगे। अस्थाई विच्छेदन की सुविधा की प्राप्ति हेतु उपभोक्ता को विच्छेदन (disconnection)/संयोजन (connection) प्रभारों के भुगतान भी करने होंगे। 'अनुरोध पर अस्थाई विच्छेदन (disconnection on request)' की अवधि, उपभोक्ता से लिखित आवेदन प्राप्त होने पर एवं आवश्यक प्रभारों का अग्रिम भुगतान करने पर बढ़ाई भी जा सकती है।

अध्याय 10-विद्युत की चोरी (Theft of Electricity)

10.1 प्रस्तावना (Introduction) :

- 10 1.1 भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने का.आ. 790 (ई) दिनांक 8 जून, 2005 के माध्यम से शीर्षक ''विद्युत (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2005'' द्वारा आयोग को विद्युत प्रदाय संहिता में निम्न दर्शाये विवरण के अनुसार विद्युत की चोरी पर नियंत्रण करने के लिये उपायों को शामिल किये जाने बाबत् निर्देशित किया है:
 - (1) अधिनियम की धारा 50 के अधीन राज्य आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट विद्युत प्रदाय संहिता में निम्नलिखित भी शामिल होंगे, नामतः —
 - (i) उपयुक्त न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय होने की प्रत्याशा में विद्युत की चोरी के मामले में देय विद्युत प्रभारों के आकलन की विधि;
 - (ii) विद्युत की चोरी अथवा इसके अनिधकृत उपयोग के मामले में विद्युत प्रदाय को विच्छेदित करना और मापयन्त्र (meter), विद्युत तन्तुपथ (electric line), विद्युत संयंत्र और अन्य उपकरणों को हटाना; और
 - (iii) विद्युत के विपथन (diversion), चोरी तथा विद्युत के अनिधकृत प्रयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत तन्तुपथ अथवा मापयन्त्र से छेड़छाड़ करने, खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने को रोकने के लिये उपाय करना।
 - (2) विद्युत प्रदाय संहिता में उपर्युक्त उपबंध अधिनियम अथवा अन्य विधि के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के अन्य अधिकारों को प्रभावित किये बिना अनुज्ञप्तिधारी की परिसंपत्तियों अथवा हितों के संरक्षण के लिये तथा उपभोक्ताओं द्वारा देय राशि वसूली योग्य होंगे।
- 10 1.2 विद्युत की चोरी पर नियन्त्रण हेतु अनुसरण किये जाने वाले विस्तृत दिशा—निर्देश निम्नानुसार हैं :—
- 10.2 अति उच्चदाब / उच्चदाब तथा निम्नदाब, उपभोक्ताओं के प्रकरणों में विद्युत चोरी के विद्युत प्रभारों के आकलन की विधि (Method of assessment of charges in case of theft of electricity by EHT/HT and LT consumers)
- 10 2.1 विद्युत चोरी के प्रकरण में विद्युत प्रभारों के आकलन की विधि (Issue of Assessment order for theft of electricity)
- 10 2.2 विद्युत चोरी के किसी प्रकरण के पता लगने पर प्राधिकृत अधिकारी, एतद् पश्चात् इस अध्याय में निर्दिष्ट किये गये सूत्रों / प्रक्रिया के अनुसार या तो वह सम्पूर्ण अविध जिसके अन्तर्गत ऐसी कोई चोरी होना पाया गया है अथवा निरीक्षण तिथि से ठीक 12 (बारह) माह पूर्व की अविध हेतु, इनमें जो भी कम

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

हों, के अनुसार ऊर्जा की खपत का निर्धारण करेगा। प्राधिकृत अधिकारी निर्धारण आदेश लागू विद्युत—दर से दुगुनी दर पर तैयार करेगा (जिसमें स्थाई प्रभार, ऊर्जा प्रभार तथा अन्य प्रयोज्य प्रभार शामिल होंगे) तथा इसे उक्त व्यक्ति को तामील कर, उससे उचित अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा।

किसी नियमित मीटरीकृत संयोजन के प्रकरण में, जहां विद्युत की चोरी होने का प्रकरण पाया गया हो, विद्युत की चोरी का आकलन निम्नानुसार किया जाएगा :

- (i) ऐसे प्रकरण में जहां श्रेणी / प्रयोजन में परिवर्तन किया जाना न पाया गया हो तथा आकलित खपत न्यूनतम खपत / वास्तविक अभिलेखित खपत से अधिक हो, पूर्व में बिल की गई खपत को विधिवत समायोजित करते हुए, अवशेष खपत का देयक विद्युत—दर (टैरिफ) से दुगुनी दर पर तैयार किया जाएगा।
- (ii) ऐसे प्रकरण में जहां श्रेणी / प्रयोजन में परिवर्तन किया जाना पाया गया हो तथा आकलित खपत न्यूनतम खपत / वास्तविक अभिलेखित खपत से अधिक हो, वहां प्रथमतः सामान्य विद्युत—दर से दुगुनी दर पर देयक तैयार किया जाएगा तथा तत्पश्चात् पूर्व में भुगतान की गई राशि को समायोजित किया जाएगा।
- (iii) शासन द्वारा अधिरोपित शुल्क (duty) तथा उपकर (cess) या अन्य किसी प्रयोज्य प्रभारों / करों का देयक सामान्य दर पर समस्त आकलित यूनिटों पर इस मद के अन्तर्गत पूर्व में बिल की गई राशि का यथोचित समायोजन करते हुए तैयार किया जाएगा।
- (iv) विद्युत चोरी के आकलन के बारे में उपरोक्त किये गये प्रावधान के अलावा, टैरिफ आदेश में प्रावधान किये गये अर्थदण्ड जो ऐसे आकलन के बारे में देय हों, को भी अधिरोपित किया जाएगा। तथापि, चोरी के संबंध में आकलित खपत पर प्रोत्साहन के कारण किसी वृद्धि को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।
- 10 2.3 विद्युत की चोरी के कारण खपत की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :--

10 2.3.1 निर्धारित किये गये यूनिटों की संख्या = LxDxHxF, जहां

- L भार (निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता परिसर में पाया गया संयोजित भार) किलोवाट में
- **D प्रतिमाह कार्य दिवसों की संख्या** तथा भिन्न-भिन्न श्रेणियों हेतु इसका उपयोग, दिवस संख्या के रूप में निम्नानुसार लिया जाएगा :
- (ए) सतत प्रसंस्करण उद्योग 30 दिवस (Continuous Process Industry)
- (बी) असतत प्रसंस्करण उद्योग 25 दिवस (Non-Continuous Process Industry)
- (सी) घरेलू उपयोग
 30 दिवस

 (डी) कृषि
 30 दिवस
- (ई) गैर-घरेलू (निरंतर चलने वाले), जैसे कि अस्पताल, होटल तथा रेस्टॉरेंट, अतिथि-गृह (गेस्ट हाउस), पेट्रोल पंप,

आदि – 30 दिवस

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

(एफ) गैर—घरेलू (सामान्य), अर्थात्,(ई) से अन्य – 25 दिवस (जी) जलप्रदाय कार्य तथा पथ—प्रकाश व्यवस्था – 30 दिवस

H – प्रति दिवस विद्युत प्रदाय घंटों का उपयोग जिसका विभिन्न श्रेणियों हेत् उपयोग निम्नानुसार लिया जाएगा :

(ए) एकल-पाली कार्यरत उद्योग — 8 घंटे (Single Shift Working Industry)

(बी) द्वि—पाली कार्यरत उद्योग — 16 घंटे (Two Shifts Working Industry)

(सी) सतत प्रसंस्करण उद्योग – 24 घंटे

(डी) (i) गैर-घरेलू, रेस्टॉरेंट सम्मिलित करते हुए — 12 घंटे

(ii) होटल, अस्पताल, अतिथि—गृह, पेट्रोल पंप, आदि — 20 घंटे — 8 घंटे

 (ई)
 घरेलू
 - 8 घंटे

 (एफ)
 कृषि
 - 6 घंटे

(जी) जलप्रदाय कार्य – 8 घंटे

(एच) पथ—प्रकाश — 12 घंटे

F — **भार कारक (लोड फेक्टर) है** जिसका विभिन्न श्रेणियों हेतु उपयोग निम्नानुसार लिया जाएगा :

(ए)	औद्योगिक	– 60 प्रतिशत
(बी)	गैर-घरेलू	– 60 प्रतिशत
(सी)	घरेलू	— ४० प्रतिशत
(डी)	कृषि	– १०० प्रतिशत
(ई)	जलप्रदाय कार्य	– १०० प्रतिशत
(एफ)	पथ—प्रकाश	– १०० प्रतिशत
(जी)	प्रत्यक्ष चोरी (i) घरेलू श्रेणी	– 50 प्रतिशत
(ii)	घरेलू श्रेणी को छोड़कर, अन्य उपभोक्ता	– १०० प्रतिशत

10 2.3.2 ऐसे प्रकरणों में, जहां मापयन्त्र (मीटर) से छेड़—छाड़ (tamper) किया जाना पाया गया हो तथा प्रयोगशाला में विधिवत परीक्षण उपरान्त मापयन्त्र

कार्य प्रणाली का धीमा होना पाया जाए, ऐसे प्रकरणों में यूनिटों की संख्या का निर्धारण, इसके परीक्षण परिणामों के अनुसार उक्त मात्रा के आधार के अनुसार जिस सीमा तक मापयन्त्र को धीमा लेख्यांकित किया जाना पाया गया हो, इस शर्त के अध्यधीन होगा कि इस प्रकार का आकलन निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार आकलित की गई यूनिट संख्या के डेढ़ गुना से अधिक न होगा। ऐसे प्रकरणों में, जहां मापयन्त्र (मीटर) से छेड़—छाड़ किया जाना पाया गया हो, परन्तु जहां यह संस्थापित नहीं किया जाना संभव न हो पाये, कि मापयन्त्र की गित धीमी है अथवा वह ठीक प्रतिशत जिसके द्वारा वह कम खपत को लेख्यांकित कर रहा हो, परन्तु साथ ही मापयंत्र के पुर्जों / तन्तुपथ व्यवस्था (wiring) में बाह्य यन्त्रों का अन्तर्स्थापित किया जाना पाया गया हो, तो ऐसी दशा में खपत का आकलन निर्दिष्ट सूत्र के

अनुसार आकलित की गई यूनिट संख्या की डेढ़ गुना मात्रा पर किया जाएगा।

10.2.3.3 यूनिटों के आकलन के प्रयोजन से घरेलू जलपम्प, माइक्रोवेव ओवन, धुलाई मशीन, मिक्सर, विद्युत—प्रेस, लघु घरेलू आटा—चक्की, वेक्यूम—क्लीनर, टोस्टर, जल—शोधक (वाटर प्यूरीफायर) तथा लघु घरेलू उपकरण, केवल बत्ती, पंखे, टेलीविजन, रेफ्रीरेजरेटर आदि को छोड़कर के प्रचालन में, वास्तविक घरेलू प्रयोग के प्रयोजन से विद्युत चोरी के प्रकरणों हेतु खपत की गई यूनिटों की संख्या के कार्यकारी घंटे (अवधि), शत—प्रतिशत भार—कारक (लोड फेक्टर) पर कार्यशील घंटे एक घंटा प्रति दिवस से अधिक नहीं माने जाएंगे। समस्त प्रयोक्ता श्रेणियों हेतु, वातानुकूल संयंत्रों (Air Conditioners), कूलरों तथा गीजरों के प्रकरणों में वर्ष के दौरान प्रयोग की अवधि 6 माह उक्त श्रेणी हेतु निर्दिष्ट भार कारक अनुसार, कार्यशील घंटे प्रति दिवस के अनुसार ली जाएगी।

10 2.3.4 अस्थाई संयोजनों हेतु, विद्युत चोरी के प्रकरणों में ऊर्जा का आकलन (Assesment of Energy in case of theft of electricity for temporary connections):

किसी अस्थाई संयोजन के प्रकरण में, विद्युत की चोरी हेतु खपत किये गये यूनिटों की संख्या का आकलन निम्न सूत्र के अनुसार किया जाएगा :

निर्धारित किये गये यूनिटों की संख्या = L x D x H. जहां

L = भार (निरीक्षण के समय संयोजित पाया गया भार) किलोवाट में,

D = दिवसों की संख्या, जिन हेतु विद्युत प्रदाय का उपयोग किया गया हो, तथा

H = कृषि संयोजनों हेतु 6 घंटे तथा अन्य उपयोग हेतु 12 घंटे लिया जाएगा

- 10 2.4 विद्युत चोरी के पता लगने पर, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, जैसा कि यह लागू हो, का प्राधिकृत अधिकारी ऐसे परिसर के विद्युत प्रदाय को तुरन्त प्रभाव से विच्छेदित कर सकेगा।
- 10 2.5 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, जैसा कि प्रकरण में लागू हो, इस संहिता के विनियमों के उपबंध के अनुसार, आकलित राशि अथवा विद्युत प्रभारों की राशि का भुगतान किये जाने पर बिना किसी भेदभाव के दोषी के विरूद्ध शिकायत दर्ज करने के दायित्व के अध्यधीन ऐसी राशि का भुगतान किये जाने के अड़तालीस (48) घंटे के भीतर, विद्युत प्रदाय लाईन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करेगा।
- 10 2.6 यदि ऐसा व्यक्ति निर्धारित समय अवधि के भीतर भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता ऐसे निर्धारण आदेश के अनुसार अपनी बकाया राशि की वसूली के संबंध में ऐसी कोई आगामी कार्यवाही कर सकेगा, जैसी कि वह सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत अनुज्ञापित की गई हो।
- 10 2.7 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी विद्युत की चोरी संबंधी प्रभारों के आकलन आदेश का क्रियान्वयन किसी समुचित न्यायालय में किसी अधिनिर्णय पर्यन्त विचाराधीन

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

रहेगा। ऐसे समस्त प्रकरणों में, जहां विद्युत की चोरी का पता लगा हो, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता प्रकरण को किसी समुचित न्यायालय में निर्णयार्थ दायर करेगा, बशर्ते अपराध के संबंध में अधिनियम की धारा 152 के अन्तर्गत कोई समझौता (compounded) न कर लिया गया हो।

- 10 2.8 विलंबित भुगतान किये जाने पर ब्याज को अधिरोपित किया जाना : कथित व्यक्ति के द्वारा, आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर, आकलन आदेश जारी होने की तिथि से तीस दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उसे आकलित राशि के भुगतान के अलावा ब्याज की राशि, जिसकी दर प्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी, समुचित न्यायालय में किसी अधिनिर्णय के अध्यधीन, भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
- 10 2.9 ऐसे परिसर में जहां विद्युत चोरी होना पाया गया हो, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा विद्युत चोरी के निमित्त (cause) का तत्काल निराकरण किया जाएगा, जिसके अनुसार उसके द्वारा वितरण प्रसंवाही (distribution mains) तक तन्तुपथ, केबल / संयंत्र अथवा अन्य कोई वस्तु / उपकरण, मापयन्त्र जिन्हें विद्युत की चोरी के प्रयोजन से उपयोग किया जा रहा है अथवा उपयोग किये जाने की शंका हो, को जब्त कर लिया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा तत्पश्चात् विद्युत की और आगे चोरी की संभावना को रोके जाने हेतु उसका तन्तुपथ केबल अथवा विद्युत संयंत्र अथवा यन्त्रों को हटाया जा सकेगा अथवा व्यपवर्तित किया जा सकेगा या परिवर्तित किया जा सकेगा बशर्ते इस प्रकार की गई कार्यवाही अन्य उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त विद्युत प्रदाय दे पाने में अथवा विद्युत प्रदाय में रूकावट के कारण उन्हें किसी असुविधा में परिणत न हो।
- 10 3 विद्युत के विपथन, चोरी अथवा विद्युत के अनिधकृत उपयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत तन्तुपथों अथवा मापयंत्र से छेड़छाड़ करने, खतरे में डालने अथवा क्षिति पहुंचाने को रोकने के उपाय (Measures to prevent diversion of electricity theft or unauthorized use of electricity or tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter)

विद्युत की चोरी अथवा इसके अनिधकृत उपयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत तन्तुपथों अथवा मापयंत्र से छेड़छाड़ करने, उसे खतरे में डालने अथवा क्षिति पहुंचाने की त्रासदी को कम करने तथा रोकथाम किये जाने की दृष्टि से इस हेतु निम्नानुसार प्रतिरोधक उपायों की पहल किया जाना अत्यावश्यक है:

- 10 3.1 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, मापयंत्रों (मीटरों) के नियतकालिक निरीक्षण / परीक्षण की व्यवस्था करेगा।
- 10 3.2 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, मापयन्त्रों (मीटरों) पर चोरी—अवरोधक मापयंत्र बक्से (टेम्पर प्रूफ मीटर बॉक्स) लगाये जाने की व्यवस्था करेगा तािक समस्त व्यक्तियों के परिसरों में चोरी अवरोधक बक्से संस्थापित किया जाना सुनिश्चित हो सके। अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता इसके साथ—साथ ही सेवा लाईनों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा, यह सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से भी करेगा कि यह अच्छे प्रकार से चालू हालत में तथा विसंविहित

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

(insulated) है। जहां–जहां आवश्यक हो, सेवा लाइनों को चोरी रोके जाने की दृष्टि से बदला भी जाएगा।

- 10 3.3 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, उपभोक्ताओं अथवा अन्य व्यक्तियों के पिरसरों के नियमित निरीक्षण हेतु प्रयासों में वृद्धि करेगा तािक विद्युत की चोरी अथवा इसके अनिधकृत उपयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत तन्तुपथों (लाइनों) अथवा मापयंत्र (मीटर) से छेड़छाड़ करने, इन्हें खतरे में डालने अथवा क्षिति पहुंचाने को रोका जाना सुनिश्चित किया जा सके। अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता के सतर्कता दलों द्वारा प्रत्यक्ष विद्युत चोरी के प्रकरणों को, विशेषकर चोरी उन्मुख क्षेत्रों (theft prone areas) में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
 - 10 3.4 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, उच्च मूल्यांकित उपभोक्ताओं की विद्युत खपत के नियमित मासिक अनुवीक्षण (मानिटरिंग) हेतु एक पद्धित को विकसित करेगा जिनमें समस्त उच्चदाब तथा निम्नदाब संयोजन, जिनकी संविदा मांग 50 अश्वशिक्त तथा इससे अधिक हो, को शामिल किया जाएगा। विद्युत खपत में किसी असामान्य प्रकार के उतार—चढ़ाव का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा संदिग्ध प्रकरणों के तत्काल निरीक्षण किये जाने की भी व्यवस्था की जाएगी।
- 10 3.5 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, 33 केवी तथा 11 केवी संभरक संभरकबार (feederwise) तथा 33/11 केवी उपकेन्द्रवार विद्युत हानियों की गणना सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था करेगा। अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा उपरोक्त रीति द्वारा, चिन्हित किये गये क्षेत्रों में हानियां कम किये जाने की दिशा में उचित कदम उठाये जाएंगे।
- 10 3.6 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, समस्त वितरण ट्रांसफार्मरों पर मापयंत्र (मीटर) स्थापित करेगा तथा स्थानीयकृत उच्च हानि क्षेत्रों को चिन्हित किये की दृष्टि से ऊर्जा अंकेक्षण करेगा तथा ऐसे क्षेत्रों में हानियां कम किये जाने हेतु अनुवर्ती उचित कार्यवाही करेगा।
- 10 3.7 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, खपत के अनुवीक्षण तथा विद्युत की चोरी को नियंत्रित किये जाने की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर समस्त उच्च—दाब संयोजनों पर सुदूर मापयंत्र (रीमोट मीटरिंग) जैसे साधन स्थापित किये जाने के प्रयास करेगा। अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता तत्पश्चात् समस्त उच्च मूल्यांकित निम्न—दाब संयोजनों पर भी सुदूर मापयंत्र जैसे साधन स्थापित किये जाने के प्रयास करेगा।
- 10 3.8 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, प्रचार—प्रसार माध्यमों (media), टेलीविजन तथा समाचार—पत्रों के माध्यम से वाणिज्यिक हानियों के स्तर तथा इसके ईमानदार उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के बारे में जागरूकता लाये जाने की दृष्टि से यथोचित प्रचार—प्रसार की व्यवस्था करेगा तथा विद्युत चोरी की रोकथाम अथवा विद्युत के अनधिकृत उपयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत लाइनों अथवा मापयंत्र से छेड़छाड़ करने, इन्हें खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने को रोकने के उपायों हेतु सहयोग प्राप्त करेगा। अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, अपने कार्यालयों पर उपरोक्त से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करने वाले फलक भी स्थापित करेगा।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

10 3.9 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को उनकी सुरक्षा हेतु अपेक्षित सुरक्षा बल प्रदान किये जाने संबंधी व्यवस्था की जाएगी तथा इस उद्देश्य से किये गये व्ययों को उनकी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirement) को अन्तरित किया जाएगा। ऐसे सुरक्षा दल सदैव प्राधिकृत अधिकारियों के साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से उनके साथ चलेंगे।

- 10 3.10 जहां—जहां भी आवश्यकता हो, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, चोरी उन्मुख क्षेत्रों में शिरोपरि अनावृत्त संवाहकों को केबलों द्वारा बदल सकेंगे, तािक अनुज्ञप्तिधारी की लाइनों से सीधे कांटा (हुक) लगाकर चोरी को प्रतिबंधित किया जा सके तथा इस उद्देश्य से किये गये व्ययों को उनकी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता को अन्तरित किया जाएगा।
- 10 3.11 जहां—जहां भी आवश्यकता हो, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, चोरी उन्मुख क्षेत्रों में उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (निम्न—दाब रहित प्रणाली) प्रदान कर सकेगा जिसमें लघु क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों का उपयोग किया जाएगा जिससे सीधे कांटा (हुक) लगाकर चोरी को प्रतिबंधित किया जा सके तथा ऐसे उद्देश्य से किये गये व्यय को उनकी वार्षिक राजस्व आवश्यकता को अन्तरित किया जाएगा।
- 10 3.12 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, विद्यमान उपभोक्ताओं के मापयंत्रों (मीटरों) की पुनर्स्थापना परिसर की सीमा—दीवार के भीतर किसी उपयुक्त स्थल पर किये जाने हेतु प्राधिकृत होगा तािक इसका स्पष्टतः अवलोकन किया जा सके तथा इसका वाचन परिसर में बाहर से परन्तु अहाते के अन्दर से पढ़ा जा सके तथा इस स्थान पर वाचन, परीक्षण / जांच तथा संबंधित कार्यों हेतु आसानी से पहुंचा जा सके। ऐसे संदिग्ध प्रकरणों में जहां निरन्तर सतर्कता किया जाना संभव न हो, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता अपने खंभों (पोल), संभरक स्तंभों (feeder pillars) पर जांच मापयंत्र (चेक मीटर) स्थापित कर सकेगा। विद्युत की चोरी का पता लगने पर चोरी के बाद उपाय किये जाने के बावजूद जहां अनुवर्ती चोरी की रोकथाम संभव न हो पाई हो अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता अपने खम्भों / संभरक स्तंभों पर ऐसे संयोजनों हेतु देयक—मापयंत्र (billing meters) स्थापित कर सकेंगे।
- 10 3.13 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता उनके विद्युत प्रदाय तन्तुपथों (electric line), संयंत्रों, मापयंत्रों अथवा ऐसे अन्य उपकरणों की क्षति अथवा आपदा—ग्रस्त होने की रोकथाम हेतु पर्याप्त संरक्षण तथा सुरक्षा प्रदान कर समस्त सावधानियां बरतेंगे। अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अन्तर्गत उनके अनेक तन्तुपथों / संयंत्रों अथवा मापयंत्रों अथवा ऐसे अन्य उपकरणों के क्षतिग्रस्त अथवा आपदाग्रस्त पाये जाने पर त्विरत समुचित कार्यवाही करेंगे, तािक इस प्रकार की प्रवृत्तियों का निराकरण / रोकथाम की जा सके।

अध्याय-11-विविध मामले (Miscellaneous)

आकिस्मक विशेष परिस्थितियाँ (Force Majeure)

- 11.1 विद्युत प्रदाय व्यवस्था के विफल हो जाने पर उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की हानि, क्षिति, अथवा क्षितिपूर्ति के लिये किये गये दावे के प्रति अनुज्ञिष्तिधारी उत्तरदायी नहीं होगा यदि विद्युत प्रदाय व्यवस्था प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध, सैनिक विद्रोह, गृहयुद्ध, दंगे, आतंकवादी हमले, बाढ़, अग्निकाण्ड, हड़ताल, तालाबंदी, तूफान, झंझावत (tempest), तिड़त, भूकंप या दैवीय प्रकोप या केन्द्र / राज्य सरकार की किसी कार्यवाही के कारण घटित हुई हो।
- यदि अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के मध्य किये गये किसी अनुबंध के चालू रहते 11.2 किसी भी समय, उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग, किसी भी समय विशेष आकरिमक परिस्थितियों, जैसे कि युद्ध, सैनिक विद्रोह, गृहयुद्ध, दंगे, आतंकवादी हमले, बाढ़, अग्निकाण्ड, हड़ताल (श्रम आयुक्त द्वारा प्रमाणित किये जाने के अध्यधीन), तालाबंदी (श्रम आयुक्त द्वारा प्रमाणित किये जाने के अध्यधीन), तूफान, झंझावत, तिड्त, भूकंप या दैवीय प्रकोप, केन्द्र / राज्य सरकार की कतिपय कार्यवाही, आदि जो उपभोक्ताओं के नियंत्रण में नहीं है, के कारण पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संभव न हो पाये तो उपभोक्ता ऐसी परिस्थिति के बारे में अनुज्ञप्तिधारी को 7 पूर्ण दिवस की लिखित सूचना देकर, सूसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर संविदा मांग की आवश्यक एवं शक्य अनुमत सीमा में घटाई गयी मात्रा में विद्युत प्रदाय प्राप्त कर सकेगा। ऐसे समस्त प्रकरणों में जहां उपभोक्ता विशेष आकरिमक परिस्थितियों से संबंधित कोई दावा करता हो, वहां अनुज्ञप्तिधारी का प्राधिकृत प्रतिनिधि इसका सत्यापन करेगा। उपभोक्ता को इस प्रकार की स्विधा केवल उसी दशा में उपलब्ध होगी यदि घटाई गई विद्युत प्रदाय की मात्रा न्यूनतम दस निरन्तर दिवस तथा अधिकतम छः माह के लिये हो। उपरोक्त घटायी गई विद्युत प्रदाय की अवधि को किसी अनुबंध हेत् उपभोक्ता के प्रारंभिक अनुबंधकाल में शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि अनुबंध को इस कम मात्रा की कालावधि की बराबर अवधि के लिये आगे बढा दिया जाएगा। इस प्रकार की सुविधा के बारे में जिसका उपभोक्ता द्वारा लाभ उठाया जाएगा, की संख्या के बारें में कोई प्रतिबन्ध नहीं है परन्तू इसकी कालावधि ऐसे समस्त अवसरों के लिये अधिकतम कुल छः माह के अध्यधीन होगी।
- 11.3 ऐसा उपभोक्ता, जो एक कैलेण्डर माह के दौरान दस दिवस की निरन्तर अवधि के लिये (जिसमें विद्युत प्रदाय में 00 से 2400 बजे तक की कटौती की गई हो) या इससे अधिक अवधि हेतु किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत, अन्यथा, चूककर्ता न हो तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से निम्नानुसार विद्युत प्रभार वसूल करेगा :--
 - (अ) ऊर्जा प्रभारों की वसूली मापयन्त्र (मीटर) में अंकित वास्तविक खपत के आधार पर की जाएगी।
 - (ब) अन्य प्रभारों (विद्युत शुल्क और उपकर को छोड़कर) की वसूली उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय दिवस संख्या के आधार पर आनुपातिक दर के अनुसार की जाएगी।

यह सुविधा केवल ऐसे उपभोक्ताओं को ही प्रदान की जाएगी जिनके संयोजन मापयन्त्रों से युक्त (metered connections) हैं।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

विद्युत संयत्र, तन्तुपथ अथवा मापयन्त्र से छेड़—छाड़ करना, उसे क्षति पहुँचाना या उसका क्षतिग्रस्त होना पाया जाना (Tampering, distress of damage to electrical plant, lines or meter)

11.4 ऐसे प्रकरण में जहां उपभोक्ता के परिसर में स्थापित किये गये विद्युत संयंत्र, तन्तुपथ (लाईन) या मापयन्त्र (मीटर) या अन्य किसी उपकरण से छेड़—छाड़ किया जाना पाया जाता है, उन्हें क्षिति पहुँचाई जाती है या क्षितिग्रस्त होने से खराब होना पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे उपकरण, तन्तुपथ, मापयन्त्र, संयंत्र या उपकरण को सुधार कर चालू करने या बदलकर चालू करने में आई लागत की वसूली उपभोक्ता से करने हेतु अधिकृत होगा जो अनुज्ञप्तिधारी के अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले होंगे, जिनमें सुधार कार्य एवं उपकरण बदलने की लागत को उपभोक्ता द्वारा भुगतान न करने की स्थिति में विद्युत प्रदाय के विच्छेदन का अधिकार, विद्युत चोरी की दशा में कार्यवाही तथा अनधिकृत उपयोग पाये जाने की दशा में आकलन का अधिकार, जैसा कि प्रकरण में लागू हो, भी सम्मिलित होगा। कृत्रिम साधनों (जैसे कि फेज़ स्प्लिटर) का उपयोग जिसके द्वारा विद्युत प्रदाय को तीन फेज में परिवर्तित किया जा सकता है, के उपयोग को ऊर्जा का अनधिकृत उपयोग माना जाएगा।

फ्रेंचायज़ी की प्राधिकृति (Authorisation of Franchisees)

11.5 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, अनुज्ञप्तिधारी अपने विद्युत प्रदाय के क्षेत्र के किसी भी भाग में अनुज्ञप्तिधारी की ओर से विद्युत वितरण के कार्य के लिए किसी व्यावसायिक प्रतिनिधि (फ्रेंचायज़ी) को प्राधिकृत कर सकेगा। तथापि, उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय देयक, केवल अनुज्ञप्तिधारी के नाम से तथा स्वत्वाधिकार (title) के अन्तर्गत जारी किये जाएंगे।

अन्य संहिताएं और विनियम (Other Codes and Regulations)

11.6 उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करना होगा कि नवीन भवनों, संरचनाओं, तथा अतिरिक्त निर्माण कार्य, सुधार कार्य और अन्य निर्माण परियोजनाओं की, अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान विद्युत प्रदाय तन्तुपथों (supply lines) से न्यूनतम दूरी बनायी रखी जाय। इन न्यूनतम दूरियों के मानदण्ड केन्द्रीय प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत प्रदाय संबंधी उपाय) विनियम, 2010 में विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

नोटिस की तामील (Service of Notice)

11.7 अनुज्ञिप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को संबोधित कोई भी पत्र, आदेश अथवा अभिलेख यथोचित दिया गया मान लिया जायेगा यदि इसे लिखित में उपभोक्ता के पते पर प्रेषित किया जाता है या दस्ती से (by hand) सौंपा जाता है अथवा डाक / कोरियर द्वारा उस पते पर प्रेषित किया जाता है जो उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय की मांग के समय आवेदन पत्र या अनुबंध (यदि निष्पादित किया गया हो), में दर्शाया गया हो या उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञिप्तिधारी को इसे बाद में संसूचित किया गया हो। यदि परिसर में कोई ऐसा व्यक्ति उपलब्ध नहीं है जिसे युक्तियुक्त तत्परता से उपरोक्त पत्र सौंपा जा सके तब इसे उपभोक्ता के परिसर में सुगमता से दृष्टव्य भाग पर चस्पा दिया जाएगा।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

- 11.8 अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत—भार विनियमन, उपायों, नवीन विद्युत—दर (टैरिफ) की प्रयोज्यता अथवा देयक भुगतान की तिथि में परिवर्तन जैसी सामान्य सूचनाओं, आदि को बहुप्रसारित दैनिक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकेगा।
- 11.9 अनुज्ञप्तिधारी को प्रेषित किये जाने वाले समस्त पत्र—व्यवहार को निम्नांकित पते पर प्रेषित किया जाएगा :
 - (अ) उच्चदाब तथा अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी कंपनी के कार्पोरेट कार्यालय के सचिव अथवा इस हेतु प्राधिकृत या नामोदिष्ट किसी अन्य अधिकारी को।
 - (ब) निम्नदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में, अनुज्ञप्तिधारी के कार्यपालन यंत्री अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत या नामोद्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को।

अप्रत्याशित परिस्थितियां (Unforeseen Circumstances)

- 11.10 विद्युत प्रदाय संहिता में निहित् प्रावधानों के अतिरिक्त अप्रत्याशित् रूप से कोई स्थिति निर्मित होने पर, अनुज्ञप्तिधारी को तुरंत प्रभावित होने वाले समस्त पक्षकारों से सद्भावनापूर्वक व्यावहारिक आधार पर परामर्श कर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में किसी समझौते के द्वारा यथोचित निर्णय लेना होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी और प्रभावित पक्षकारों के मध्य उपलब्ध समय—सीमा में समझौता नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी अपने सर्वोत्तम सामर्थ्य के अनसार प्रकरण में निर्णय लेगा।
- 11.11 जहां कहीं अनुज्ञप्तिधारी किसी निर्णय पर पहुंचता है वहां उसे यह भी ध्यान में रखना होगा कि प्रभावित् होने वाले पक्षकारों द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण पर यथासंभव ध्यान दिया गया है और किसी भी परिस्थिति में समस्त पहलूओं को ध्यान में रखते हुए ही युक्तियुक्तपूर्ण निर्णय लिया गया है। प्रत्येक पक्षकार को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लिये गये निर्णय को मान्य करते हुए उन्हें दिये गये निर्देशों का परिपालन करना होगा, बशर्ते लिया गया निर्णय प्रचलित संहिताओं और विनियमों तथा अधिनियम के अनुरूप हो। अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां एवम् इस बाबत किये गये सभी निर्णयों को अनुज्ञप्तिधारी तत्परतापूर्वक आयोग को विचारार्थ प्रेषित करेगा।

व्याख्या (Interpretation)

11.12 इस संहिता में निहित शर्तों को, वर्तमान में प्रचलित एवं समय—समय पर यथासंशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) तथा इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण रूप से पढ़ा एवं समझा जाएगा। इस संहिता में निहित कोई शर्त अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के, केन्द्र या राज्य के किसी अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों को कम या प्रभावित नहीं करेगी।

11.13 इस संहिता की व्याख्या में या अर्थ में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में, आयोग की व्याख्या अंतिम होगी एवं सभी संबंधितों के लिये बाध्यकारी होगी ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति (Power to remove difficulties)

11.14 इस संहिता के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कितनाई के उत्पन्न होने पर मामला आयोग को संदर्भित किया जा सकता है, जो प्रभावित पक्षों से विचार—विमर्श करके कितनाई दूर करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक या समीचीन सामान्य अथवा विशेष आदेश पारित करेगा, और यह आदेश अधिनियम या तत्समय में प्रचलित विद्युत प्रदाय से संबंधित अन्य किसी विधि के प्रावधानों के विरोधाभासी नहीं होगा।

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction of Court)

11.15 इस संहिता के क्रियान्वयन और तद्नुसार निष्पादित किये अनुबंध से उत्पन्न सभी विवादों को केवल उसी न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में अनुबंध निष्पादित किया गया है जो समग्र रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अध्यधीन होंगे।

निरसन तथा व्यावृत्ति (Repeal and Savings)

- 11.16 संहिता नामत ''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (जी–1, वर्ष 2004)'' जो मप्र राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 16.4.2004 द्वारा संशोधनों के साथ सहपठित है, जैसा कि वह संहिता की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य है, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- 11.17 इस संहिता की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी भी आदेश को पारित करने हेतु प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो।
- 11.18 इस संहिता में किया गया कोई भी उल्लेख आयोग, को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूपता में, मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इस संहिता के किन्हीं भी प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग, मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो।
- 11.19 इस संहिता में किया गया कोई भी उल्लेख, स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गयी हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है।

आयोग के आदेशानुसार,

(पी.के. चतुर्वेदी) आयोग सचिव

परिशिष्ट-1

आवेदन प्ररूप – घरेलू / गैर घरेलू निम्न दाब विद्युत सेवा संयोजन हेतु

नवीन विद्युत संयोजन / में परिवर्तन / उपभोक्ता		नान्तरण / संविदा मांग में परिवर्तन,	/ टैरिफ श्रेणी ————
प्रति, ————————————————————————————————————		तम (नामास्तरण) हो, उसे कृपया काट दें)	पासपोर्ट आकार का फोटो यहां चिपकाएं
महोदय,			
मैं / हम, मेरे / ह आवश्यक जानकारी निम् 1. उपभोक्ता (अ)आवेदक / संस्था का (ब) पिता / पति / संचाल भागीदार / न्यासी क	नानुसार प्रस्तुत है नाम : ाक /	विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करता है: 	हूं / करते हैं।
(स) परिसर का पूर्ण पत जहां नवीन विद्युत संयोजन के आवेदन किया जा जहां विद्यमान संयो स्थानान्तरण किया प्रस्तावित है।	लिए रहा है / जन का	ए) : :	
दूरभाष क्रमांक		:	
(i) कारखाना / परि	सर	:	
(ii) पंजीकृत कार्यात (डाक पता सहित		:	
(iii) निवास (डाक प	ाता)	:	
ई–मेल पता		:	
बैंक खाता क्रमांक तथा नाम (ऐच्छिक)	बैंक का	:	

8.	जहां विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दिया गया है, उसके	
	संबंध में क्या इस परिसर के विरूद्ध कोई विद्युत बकाया	
	राशि देय है :	हां / नहीं

9.	भागीदा है, के रि विद्युत (क्रमांक	स्था / कंपनी, जिसके साथ आवेदक स्वामी, र संचालक या प्रबन्ध संचालक के रूप में संबद्ध वेरूद्ध अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत क्या कोई बकाया राशि देय है :हां / नहीं र ७, ८ एवं ९ के लिए यदि उत्तर "हां" में हो या विवरण दें)				
10.	संबंध मे	रेसर के नक्शे (मानचित्र) में विद्युत की खपत के i परिसर की सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया :हां / नहीं				
11.	मैं / हम	एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं / करते हैं कि :				
	(अ)	उपरोक्त प्ररुप में दिया गया विवरण मेरी / हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है।				
	(ब)	मैं / हम ने म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता की विषयवस्तु को पढ़ लिया है एवं उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं / हैं।				
	(स)	मैं / हम प्रयोज्य विद्युत टैरिफ व अन्य प्रभारों के आधार पर विद्युत देयकों की राशि का भुगतान प्रति माह करूंगा / करेंगे।				
	(द)	मैं / हम मापयन्त्र (मीटर), कट—आउट एवं संलग्न स्थापना की सुरक्षा एवं संरक्षण का उत्तरदायित्व लेता हूं / लेते हैं।				
	(ई)	मैं / हम ने आवेदन प्ररुप के साथ सूची के अनुसार सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर दिये हैं। (यदि ऐसा नहीं किया गया हो तो कृपया कारण सहित विवरण संलग्न करें)				
	दिनांक	: आवेदक / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर				
	स्थान :					
नोट :-	- आवेदन	के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किये जाएं :				
शहरी ध	क्षेत्र में घ	रेलू तथा गैर–घरेलू संयोजन हेतु :				
1. आ	आवेदन पंजीयन शुल्क					
2. आ	विदक का पासपोर्ट आकार का फोटो					
संब	ांधी अनु	रेसर संबंधी अभिलेख की छायाप्रति (किरायेदार होने पर किरायेदारी बंध पत्र / किराए की रसीद / आवेदक का किराएदार होने संबंधी संलग्न करें)				

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

- 4. मकान का नक्शा (आवेदक द्वारा यथाप्रमाणित)
- 5. स्थानीय सांविधिक निकाय / प्राधिकरण, आदि (सचिव, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका का प्राधिकृत अधिकारी) का अनापत्ति प्रमाण-पत्र
- 6. घरेलू संयोजन हेतु गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) राशन कार्ड / बी.पी.एल. (Below Poverty line) सूची का पंजीयन प्रमाण—पत्र (अगर आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा हो और संयोजन प्रभारों के भुगतान से छूट प्राप्त करने का इच्छुक हो)
- 7. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होने संबंधी प्रमाण–पत्र (ऐसे प्रकरण में जहां आवेदक ऊर्जा प्रभारों के भुगतान से छूट प्राप्त करने का इच्छुक हो)

ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू तथा गैर-घरेलू संयोजन हेतु :

- 1. आवेदन पंजीयन शुल्क
- 2. आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो
- 3. सरपंच / पंचायत सचिव का अनापित्त प्रमाण पत्र (केवल गैर—घरेलू संयोजन के लिये)
- 4. घरेलू संयोजन हेतु गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) राशन कार्ड / बी.पी.एल. (Below Poverty line) सूची का पंजीयन प्रमाण—पत्र (अगर आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करता हो और संयोजन प्रभार के भुगतान से छूट प्राप्त करने का इच्छुक हो)
- 5. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होने संबंधी प्रमाण–पत्र (ऐसे प्रकरण में जहां आवेदक ऊर्जा प्रभारों के भुगतान से छूट प्राप्त करने का इच्छुक हो)

परिशिष्ट-2

आवेदन	प्ररूप–अति	उच्चदाब /	′ उच्चदाब /	⁄ अन्य	निम्नदाब	विद्युत	सेवा	संयोजन	हेत्
- -		/	,		-	· · · · · · ·			~ 3

में परिवर्तन / उपभोक्ता व			חויו יו אולאנוי	न/ धारक श्रेणा
•		हो, उसे कृपया	पासपोर्ट आका का फोटो यहां चिपकाएं	
——————				
मैं / हम, मेरे / हम आवश्यक जानकारी निम्न 1. उपभोक्ता (अ) आवेदक / संस्था का	गनुसार प्रस्तुत ह) .	हेतु आवेदन कर 	ता हूं / करते हैं।
(ब) पिता / पति / संचालव भागीदार / न्यासी का		:		
(स) परिसर का पूर्ण पता जहां नवीन विद्युत संयोजन के रि आवेदन किया जा र जहां विद्यमान संयोज स्थानान्तरण किया उ प्रस्तावित है।	लेए हा है / जन का	(y) :		
दूरभाष क्रमांक		:		
(i) कारखाना / परिस	ार	:		
(ii) पंजीकृत कार्याल (डाक पता सहित) (iii) निवास (डाक पत)	:		
ई–मेल पता		:		
बैंक खाता क्रमांक तथा है नाम (ऐच्छिक)	बेंक का	:		

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

स्थाई तक	विद्युत-	–प्रदाय से अतिरिक्त के लिए अवधि	निर्दिष्ट करे : दिनांक	से
9. (अ)	आवे कदग	उठाये गये		
(ভা)		••		
(₁) (स)				
(·· <i>)</i> (द)				
('/				
10.		दित संविदा मांग के प्रक्षेपण का आधा माना गया विविधता कारक (Diversio		
	(ब)	कुल संयोजित भार मशीनों की सूची संलग्न करें		
11.		संयोजन की प्राप्ति विभिन्न ों में वांछित है		_
12.	संवि	दा मांग (Contract Demand) की चर	णबद्धता	
क्रम	ांक	वांछित संविदा मांग (के.व्ही.ए. में)	संभावित दिनांक जब से आवश्यकता है	अभ्युक्ति
		वेदा मांग के चरणों की संभावित ति की दिनांक के उपरांत नहीं होनी चारि		उ अवधि के
13.	स्थाप	पना (Installation) का प्रयोजन	:	
14.		क की चयनित श्रेणी फ आदेश के अनुसार)	:	
15.	उत्प	ादन प्रारंभ होने की संभावित तिथि	:	
16.		ाग की श्रेणी हो उसे काट दें और जो लागू हो उस	:लघु / मध्यम / वृहद् (SSI/M <i>पर सही चिन्ह (√)</i> लगायें]	
17.		के अधिग्रहण की अद्यतन स्थिति मित्व तथा वैधानिक स्वीकृतियों	: :	

समस्त उपभोक्ताओं हेतु :

20. क्या अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत आवेदक के नाम पर कोई विद्युत बकाया राशि देय है : हां/नहीं

21. जहां विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दिया गया है उसके संबंध में क्या इस परिसर के विरूद्ध कोई विद्युत बकाया राशि देय है : हां/नहीं

22. कोई संस्था / कंपनी, जिसके साथ आवेदक स्वामी, भागीदार संचालक या प्रबन्ध संचालक के रूप में संबद्ध है, के विरूद्ध अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत क्या कोई विद्युत बकाया राशि देय है : हां / नहीं

> (क्रमांक 20, 21, एवं 22 के लिए यदि उत्तर ''हां'' में हो तो कृपया विवरण संलग्न करें)

- 23. क्या परिसर के नक्शे (मानचित्र) में, विद्युत की खपत के संबंध में परिसर की सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है : हां/नहीं
- 24. मैं / हम एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं / करते हैं कि
 - (अ) उपरोक्त प्ररूप में दिया गया विवरण मेरी / हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है।
 - (ब) मैं / हम ने म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता की विषयवस्तु को पढ़ लिया है एवं उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं / हैं।
 - (स) मैं / हम प्रयोज्य विद्युत टैरिफ व अन्य प्रभारों के आधार पर विद्युत देयकों की राशि का भुगतान प्रति माह करूंगा / करेंगे।
 - (द) मैं / हम मापयन्त्र (मीटर), कट आउट एवं संलग्न स्थापना की सुरक्षा एवं संरक्षण उत्तरदायित्व लेता हूं / लेते हैं।
 - (ई) मैं / हम ने आवेदन प्ररुप के साथ सूची के अनुसार सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर दिये हैं : हां / नहीं

(यदि ऐसा नहीं किया गया है तो कृपया कारण सहित विवरण संलग्न करें)

दिनांक :	आवेदक / प्राधिकृत	हस्ताक्षरकर्ता	के	हस्ताक्षर
स्थान :				

टीप :- आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करें :-

- 1. परिसर के स्वामित्व / कानूनी अधिभोग (occupancy) संबंधी प्रमाण।
- 2. संयंत्र (प्लांट) / कार्यालय के प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित विद्युत प्रदाय के बिन्दु को दर्शाता हुआ मानचित्र। उच्चदाब संयोजन हेतु मानचित्र का माप सामान्यतः 1 से.मी. =1200 से.मी. के अनुपात को प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए।
- 3. यदि आवश्यक हो तो वैधानिक अधिकारी से अनुज्ञप्ति (लायसेंस)/अनापित्ति प्रमाण–पत्र या आवेदक का घोषणा–पत्र कि उसके संयोजन के लिये किसी प्रकार की वैधानिक अनुमित की आवश्यकता नहीं है।
- 4. आवेदक यदि स्वयं की संस्था के लिये विद्युत संयोजन चाहता हो तो एक शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि उक्त संस्था का वह स्वयं स्वामी है।
- 5. भागीदारी संस्था के मामले में भागीदारी संबंधी अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि।
- 6. मर्यादित (लिमिटेड) कंपनी के मामले में संस्था की ज्ञापन—पत्र आदि नियमावली एवं स्थापना प्रमाण—पत्र की प्रति (Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation)
- 7. कृषि उपभोक्ताओं के मामले में खसरा / बही की नकल संलग्न की जाए।
- 8. आवेदक / उपभोक्ता के स्थायी निवास के पते का प्रमाण एवं आवेदक / उपभोक्ता का आयकर विभाग का स्थायी लेखा क्रमांक (पैन), यदि कोई हो। भविष्य में स्थायी निवास के पते में परिवर्तन होने पर आवेदक / उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को तत्काल इसके बारे में सूचना देनी होगी।
- 9. औद्योगिक संयोजन हेतु, उत्पादन / उत्पादन में वृद्धि के लिए आशय-पत्र (Letter of Intent)।
- 10. प्रस्तावित उपकरणों की सूची, अपेक्षित भार दर्शाते हुए।
- 11. जहां संयोजन फर्म, लिमिटेड / प्रायवेट लिमिटेड फर्म, कम्पनी आदि के नाम से चाहा गया हो, के प्राधिकार के संबंध में संकल्प पत्र (रेसोल्यूशन)
- 12. उद्योग विभाग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, जहां यह लागू हो।

13. परियोजना प्रतिवेदन का वह भाग, जो उद्योग की विद्युत आवश्यकताओं तथा प्रसंस्करण की प्रक्रिया से संबंधित हो (उद्योगों के प्रकरण में)।

14. चालू टैरिफ आदेश के सुसंबद्ध उद्धरण की प्रतिलिपि जो उपभोक्ता द्वारा चयनित विद्युत—दर श्रेणी का विवरण दर्शाती हो, को यथाहस्ताक्षरित संलग्न किया जाए। औपचारिकताएं पूर्ण होने पर इसे अनुबंध का भाग मानते हुए अनुबंध के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जाएगा।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

परिशिष्ट - 3

निम्नदाब के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु मानक अनुबन्ध प्ररूप

यह अनुबंध आज दिनांक	माह	सन्	दो हजार	
को किया गया जिसमें एक	ओर			
(अनुज्ञप्तिधारी का नाम) जिसे एतद	पश्चात ''	अनुज्ञप्तिधारी''	कहा जाएग	ा, जो
अभिव्यक्ति जब तक कि वह विषय				
में उसके उत्तराधिकारी तथा अभिहर	तांकिती समि	मलित होंगे तथ	ग्रा दूसरी ओ	र
			C\	

का नाम तथा विस्तृत पते का उल्लेख किया जाए । एक पंजीकृत भागीदार संस्था के प्रकरण में संस्था के प्रबंधक भागीदार अथवा भागीदार, जो अनुबंध का निष्पादन कर रहा हो, का नाम तथा उसके पते का उल्लेख किया जाए । एक कंपनी के प्रकरण में, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अन्तर्गत निगमित की गई है, कंपनी का पंजीकृत पता तथा प्रबंध संचालक का नाम अथवा उस अधिकारी का नाम, जिसे अनुबंध के निष्पादन हेतु सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया है, उल्लेखित किया जाए) (जिसे एतद् पश्चात ''उपभोक्ता'' कहा जाएगा जो विषय या संदर्भ विपरीत न होने की परिस्थिति में, उसके वारिस, निष्पादन—कर्ता, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) ।

सभी उपस्थित इसके साक्षी हैं कि उपभोक्ता द्वारा एतद् पश्चात यथावर्णित किये जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में, एतद् द्वारा निम्नांकित शर्तों के संबंध में सहमित हुई है कि:

- 1. अनुबंध की अवधि : यह अनुबंध विद्युत प्रदाय की दिनांक से या अनुज्ञिप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को अनुबंध के अधीन विद्युत ऊर्जा के प्रदाय उपलब्ध होने संबंधी दी गई सूचना, के 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात् की दिनांक से इनमें जो भी पहले हो, से प्रारंभ होगा । यह अनुबंध, अनुबंध के प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति तक लागू रहेगा तथा तत्पश्चात वर्ष—प्रति—वर्ष तब तक चालू माना जाएगा, जब तक इस अनुबंध की कण्डिका 4 के अनुसार इस अनुबंध को समाप्त नहीं कर दिया जाता है । घरेलू तथा एकल फेस गैर—घरेलू उपभोक्ता हेतु, अनुबंध की कोई प्रारंभिक अवधि नहीं होगी।
- 2. विद्युत प्रदाय संहिता : उपभोक्ता द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 तथा इसके संशोधनों की एक प्रति प्राप्त कर ली गई है तथा इसका अवलोकन कर इसकी विषयवस्तु को समझ लिया गया है तथा इसमें विनिर्दिष्ट समस्त निबंधनों एवं शर्तों को, उस सीमा तक, जो उस पर लागू होती हैं, का

अनुसरण तथा पालन करने का वचन देता है । कथित संहिता के निर्बन्धन, जैसे कि वे, समय—समय पर संशोधित किये जाएं तथा उस सीमा तक जहां तक कि वे लागू हों, इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे । आयोग द्वारा विद्युत प्रदाय से संबंधित संरचित कोई विनियम इस अनुबंध का भाग माना जाएगा ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे एतद् पश्चात् आयोग कहा जावेगा) द्वारा निर्धारित अन्य प्रयोज्य विनियमों के प्रावधानों तथा कोई संशोधन जैसे कि वे समय—समय पर प्रयोज्य हों, को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को प्रदाय कर दिया गया है तथा उपभोक्ता द्वारा इसको समझ लिया गया है तथा ऐसे सभी निबंधनों एवं शर्तों के पालन की सहमति दे दी है ।

द्युत कि
हो,

- 5. प्रतिभूति निक्षेप : उपभोक्ता आयोग द्वारा विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित 'प्रतिभूति' निक्षेप' का भुगतान करेगा। उपभोक्ता आयोग द्वारा जारी विनियमों के अन्तर्गत, जैसे तथा जब भी, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की मांग की जाती है, भुगतान करने का वचन देता है । प्रतिभूति निक्षेप की शेष अतिरिक्त राशि जमा न किये जाने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता को शेष अतिरिक्त राशि को जमा किये जाने के परिपालन हेतु पूरे 15 दिवसों की सूचना देकर, विद्युत प्रदाय विच्छेद करने का अधिकार होगा ।
- 6. <u>मीटरिंग</u> : उपभोक्ता द्वारा इस अनुबंध के अधीन प्राप्त की गई विद्युत ऊर्जा के पंजीकरण के उद्देश्य से, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयुक्त मीटर (मापयंत्र) तथा मीटरिंग (मापयंत्रों) उपकरण प्रदाय तथा संधारित किये जाएंगे ।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

। अनुबंध के प्रारंभ हो जाने के पश्चात्, समय—समय पर आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट विकल्प के अतिरिक्त, प्रारंभिक अनुबंध की 2 वर्ष की समयाविध में केवल एक बार को छोड़कर वैकल्पिक टैरिफ के चयन के विकल्प की अनुमित नहीं दी जाएंगी ।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपभोक्ता को मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013, टैरिफ, विविध प्रभारों की अनुसूची तथा अन्य प्रभार, जैसा कि वे आयोग द्वारा समय—समय पर अनुमोदित किये जाएं, के अतिरिक्त विद्युत शुल्क, उपकर के अतिरिक्त, अन्य किसी विधि के अधीन निर्धारित किये गये अन्य कोई लेव्ही, कर अथवा शुल्क का भुगतान भी करना होगा ।

- 8. विच्छेदन : उपभोक्ता द्वारा इस अनुबंध की शर्तों या किसी भी शर्त के पालन न करने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी प्रयोज्य नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत, उपभोक्ता का विद्युत प्रदाय विच्छेद किये जाने बाबत् स्वतंत्र होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को इस प्रकार हुई किसी हानि तथा क्षति के फलस्वरूप किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने हेतु बाध्य न होगा, तथापि इससे अनुज्ञप्तिधारी के बकाया राशि या ऐसी विच्छेदन अविध के दौरान लागू मांग / न्यूनतम प्रभारों की वसूली के अधिकार प्रभावित न होंगे ।
- 9. अनुज्ञिप्तिधारी अथवा उपमोक्ता में से किसी के द्वारा अनुबंध का समापनः घरेलू एवं एकल फेज के गैर—घरेलू उपमोक्ता श्रेणी के उपमोक्ता अनुबंध को 15 दिवस की सूचना पश्चात् समाप्त कर सकते हैं। अन्य उपमोक्ता दो वर्ष की प्रारंभिक अविध के समाप्त होने के पश्चात्, एक माह की सूचना देकर अनुबंध का समापन कर सकते हैं। अनुज्ञिप्तिधारी भी इसी प्रकार की सूचना देकर, लिखित कारण दर्शाते हुए, अनुबंध का समापन कर सकता है। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि बकाया राशि के भुगतान न होने के कारण या मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के अधीन जारी निर्देशों के गैर—अनुपालन के कारण, 60 दिवस की अविध के लिये विच्छेदित रहती है तथा अनुज्ञिप्तिधारी द्वारा दी गई कारण बताओ सूचना के बाद भी, उपभोक्ता द्वारा विच्छेदन के निमित्तों को दूर करने हेतु और सूचना की विनिर्दिष्ट अविध में विद्युत प्रदाय बहाल करने हेतु उपभोक्ता द्वारा कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया जाता है, तो ऐसी दशा में अनुज्ञिप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता से किया गया अनुबंध सूचना में विनिर्दिष्ट की गई अविध के समापन उपरान्त, स्वयेंव समाप्त हो गया, समझा जाएगा। 'कारण बताओ सूचना' की अविध सात दिवस होगी।

तथापि, घरेलू तथा एकल फेज गैर—घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के अलावा अन्य उपभोक्ता श्रेणियों के अनुबंध की प्रारंभिक अवधि से पूर्व अनुबंध को समाप्त किया जाना हो, तो उपभोक्ता को अनुबंध की शेष अवधि हेतु टैरिफ अनुसार प्रभारों के भुगतान का देनदार होगा ।

- 10. विशेष शर्तें : (प्रपत्र के अन्त में टीप देखें)
- 11. पत्र व्यवहार :
- (क) उपभोक्ता को सम्बोधित किये गये किसी पत्र, आदेश या अभिलेख की तामीली, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 171 में निर्धारित की गई रीति अनुसार इस अनुबंध में प्रस्तावना में दर्शाये गये पते पर डाक द्वारा या उसे सुपूर्व कर की जाएगी ।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

(ख)	अनुज्ञप्तिधारी को समस्त पत्र व्यवहार को अथवा इस संबंध में प्राधिकृत अथवा नामांकित किये गये कार्यालय को, संबोधित किये जाएंगे ।				
12.	मुद्रांक शुल्क : उपभोक्ता मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) की लागत इस अनुबंध के पूर्ण निष्पादन से संबंधित समस्त आनुषंगिक व्यय वहन करने की सहमति देता है ।				
13.	किया गया माना जाएगा त तथा दावे, यदि कोई हों, स्थानीय कार्यालय जो उपभ् दिशा—निर्देशों में उल्लेखि	प्तधारी के स्थानीय पंजीकृत कार्यालय में तथा इस अनुबंध से संबंधित समस्त विवाद तो इनका निराकरण अनुज्ञप्तिधारी के ऐसे गोक्ता की शिकायत निवारण प्रक्रिया संबंधी त है, में निराकृत किया जाएगा अथवा त्र के अन्तर्गत स्थित किसी सक्षम न्यायालय			
	उभय पक्षक , माह	गरों द्वारा निम्न साक्षियों के समक्ष दिनांक सन दो हजार ——————— को			
	हस्ताक्षर किये गये तथा मुद्र	ांकित की गई ।			
उपभ	क्ता के हस्ताक्षर, नाम एवं पता	अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, नाम एवं पता			
निष्पाद	क्ता द्वारा किये गये इन के साक्षीगणों के पर एवं पते	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये निष्पादन के साक्षीगणों के हस्ताक्षर एवं पते।			
निष्पाद					
निष्पाद हस्ताक्ष	न के साक्षीगणों के	साक्षीगणों के हस्ताक्षर एवं पते।			
निष्पाद हस्ताक्ष 1. 2.	रन के साक्षीगणों के ार एवं पते	साक्षीगणों के हस्ताक्षर एवं पते। 1.			
निष्पाद हस्ताक्ष 1. 2. गमान्य इ. कंपनिय	रन के साक्षीगणों के ार एवं पते मुद्रा (कॉमन सील) निम्न स	साक्षीगणों के हस्ताक्षर एवं पते। 1. 2.			

• ऐसी अन्य या विशेष शर्तें जिन पर अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता के बीच सहमति हो और जो विद्यमान नियमों / विनियमों के अनुरूप हो ।

 इस निम्नदाब विद्युत प्रदाय के अनुबंध पत्र के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास या भ्रांति होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा ।

परिशिष्ट–4

मध्यप्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
अति उच्चदाब/उँच्च दाब विद्युत प्रदाय का अनुबंध
यह अनुबंध आज दिनांक माह, वर्ष 20 क
एक ओर मध्यप्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ज
कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा के अन्तर्गत एक निगमित कंपनी है
तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के तात्पर्य के अन्तर्गत एव
शासकीय कंपनी है (वह अभिव्यक्ति, जहां संदर्भ इसे अनुज्ञेय करता है, र
सम्मिलित होंगे कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती) तथ
दूसरी ओर
जिसे एतद् पश्चात् उपभोक्ता कहा जाएगा, वह अभिव्यक्ति जहां संदर्भ इर
जहां तक अनुज्ञेय करता हो में सम्मिलित होंगे इसके वारिस, निष्पादनकर्ता
प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, व्यवसाय में उसके उत्तराधिकारी तथ
अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित किया जाता है ।
जैसा कि उपभोक्ता ने मध्यप्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
(जिसे इसके बाद क्षेत्र वितरण कंपनी कहा जाएगा) को
रिथत परिसर में थोक (बल्क
विद्युत ऊर्जा प्रदाय हेतु अनुरोध किया है तथा जिसे संलग्न नक्शे में अधिक
सुरपष्ट रूप से दर्शायेनुसार चिन्हित कर रंग से अंकित किया गया है तथा
क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता को ऐसी विद्युत ऊर्जा प्रदाय हेतु एतव
पश्चात लिखित निबंधन तथा शर्तों के अधीन स्वीकृति दी है ।
एतद् द्वारा निम्नानुसार घोषणा तथा सहमित दी जाती है कि :— 1. (क) एतद् पश्चात् वर्णित प्रावधानों के अध्यधीन तथा अनुबंध के चाल रहने की अविध के दौरान, क्षेत्र वितरण कंपनी उपभोक्ता को विद्युद प्रदाय करेगी तथा उपभोक्ता क्षेत्र वितरण कंपनी से ऐसी समस्त विद्युद ऊर्जा स्वयं के परिसर में प्राप्त करेगा जिसे उपभोक्ता को स्वयं के उपयोग उपरोक्त दर्शाये प्रयोजन हेतु आवश्यकता होगी, जिसकी उच्चतम सीमा निम्नदर्शायेनुसार होगी :—
से केवीप
से
केवी
(जिसे एतद् पश्चात संविदा मांग कहा जाएगा) तथा एतद्नुसार कण्डिका 13 वें प्रावधानों के अध्यधीन होगी । (ख) उपभोक्ता उप—कण्डिका (क) के अन्तर्गत प्राप्त की गई विद्युत ऊर्जा क विक्रय अथवा अन्तरण अथवा पुनर्वितरण, विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे इसके बाद मप्रविनिआ, कहा गया है की लिखित अभिस्वीकृति के बगैर नहीं करेगा ।
2. (क) इस अनुबंध के अन्तर्गत इस अनुबंध के प्रारंभ होने की तिथि य तो उपभोक्ता द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्राप्त किये जाने की वास्तविक तिथि से लाग होगी अथवा प्रयोज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 तथा जिसे समय—समय पर संशोधित अनुसार विनिर्दिष्ट दिवस की सूचना अवधि की समाप्ति व तुरंत पश्चात की सूचना की तिथि से क्षेत्र वितरण कंपनी के कार्यपालन

यंत्री द्वारा उपभोक्ता को इस आशय से दी गयी हो कि इस अनुबंध के अन्तर्गत विद्युत ऊर्जा उपलब्ध है, जो भी पहले हो, के अन्तर्गत होगी । (ख) उपरोक्त उप—कण्डिका (क) के अध्यधीन, उपभोक्ता इस अनुबंध की शर्तों के अर्न्तगत उपरोक्त उप कण्डिका (क) में उल्लेखित विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति प्रारंभ कर देगा; तथा यह भी कि वह उसके परिसर में विद्युतीकरण कार्य युक्तियुक्त समय में पूर्ण करेगा । उपभोक्ता द्वारा उपरोक्त दर्शायी गई शर्तों के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय का उपभोग न करने की दशा में उसे समय—समय पर प्रचलित टैरिफ में विनिर्दिष्ट किये गये न्यूनतम प्रभारों का भुगतान करना अनिवार्य होगा ।

(क) क्षेत्र वितरण कंपनी आवश्यकवोल्ट लाईन प्रदाय किये जाने हेतू अपनी सहमति देती है; यह प्रदाय इस अनुबंध के अन्तर्गत क्षेत्र वितरण कंपनी के प्रसंवाही (मेंस) से उपभोक्ता के परिसर में उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय हेत् प्रदाय बिन्दु तक मय फ्यूजों, आईसोलेटरों अथवा आईल-सर्किट ब्रेकरों जैसा कि वे क्षेत्र वितरण कंपनी की मानक कार्य प्रणालियों के अंतर्गत प्रदाय बिन्द पर आवश्यक हों, किया जाएगा तथा उपभोक्ता क्षेत्र वितरण कंपनी को प्रदाय लाईन तथा संयंत्र(iं) की लागत जैसी कि वह मप्रविनिआ द्वारा अधिसूचित सूसंगत विनियमों के अंतर्गत क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित की गई हो । क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा स्थापित किया गया मापयंत्र उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट) और / या उपभोक्ता के अनुरोध पर स्थापित किये गये अन्य किसी उपकरण का किराया मप्रविनिआ द्वारा जारी विनियमों / आदेशों तथा समय-समय पर जारी संशोधनों के अनुसार वसूल किया जाएगा । (ख) भले ही प्रदाय लाईन तथा संयत्र(iं) की लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की गई हो, सम्पूर्ण प्रदाय लाईन तथा संयंत्र(ों), जिनका भूगतान उपभोक्ता द्वारा किया गया हो, का स्वामित्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में वेष्ठित

होगा तथा इसका संधारण क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा उसके स्वयं के

..... क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता को ऊर्जा का प्रदाय 3 फेज, 50 चक्र (साईकल), आल्टरनेंटिंग करंट प्रणाली पर वोल्ट के सामान्य दबाव पर किया जाएगा । उपभोक्ता के संभरक (फीडरों) के प्रदाय बिन्दु पर विद्युत ऊर्जा की आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) तथा दबाव (प्रेशर) उन उतारों-चढावों (फलकच्ऐशंस) के अध्यधीन होंगे जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन तथा पारेषण के अर्न्तगत साधारण, सामान्य तथा आनुषंगिक हैं, परन्तु ऐसे उतार-चढ़ाव वितरण कंपनी के नियंत्रण के बाहर परिस्थितियों की दशा के अलावा, आवृत्ति पर 3 प्रतिशत से अधिक तथा (i) उच्च वोल्टेज के प्रकरण उच्च पक्ष में 6 प्रतिशत या निम्न पक्ष में 9 प्रतिशत, तथा (ii) अतिरिक्त उच्च वोल्टेज प्रकरण में. उच्च पक्ष में 10 प्रतिशत अथवा निम्न पक्ष में 12.5 प्रतिशत होंगे । उपभोक्ता यह सुनिश्चित किये जाने की सहमति भी व्यक्त करता है कि उसके समस्त वोल्ट के स्टेप-डाऊन ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज पक्ष पर डेल्टा संयोजित रहेंगे, परन्तु क्षेत्र वितरण कंपनी के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण होने वाले कोई भी विचलन (डेविऐशन) से किसी प्रकार की क्षति होने पर उपभोक्ता किसी प्रकार की हानि की क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा ।

व्यय पर किया जाएगा ।

- 5 (क) उपभोक्ता क्षेत्र वितरण कंपनी के टर्मिनल उच्च दाब स्विचिगयर तथा उपकरणों को स्थापित किये जाने के प्रयोजन से अपने स्वयं के व्यय पर क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा अनुमोदित रूपांकन के अनुसार एक तालायुक्त (लाक्ड), मौसम—अवरोधक (वेदर प्रुफ) सुरक्षित परिसर प्रदान करेगा तथा उसका संधारण करेगा ।

- 6. विद्युत प्रदाय का बिन्दु क्षेत्र वितरण कंपनी के कट—आऊट के बर्हिगामी टर्मिनल पर होगा जो कण्डिका 3 के अन्तर्गत स्थापित किया जाएगा अथवा कण्डिका 5 के अन्तर्गत परिसर के अन्दर प्रदान किया जाएंगा तथा विद्युत प्रदाय को निर्दिष्ट बिन्दु तक लाया जाएंगा ।
- 7 (क) उपभोक्ता द्वारा प्राप्त की गई विद्युत ऊर्जा का मापन किये जाने के प्रयोजन से, उपभोक्ता के संभरक (फीडर) पर एक वोल्ट मापयंत्र (मीटरिंग) उपकरण (जिसे एतद् पश्चात मुख्य मापयन्त्र कहा जाएगा) प्रदान किया जाएगा जो क्षेत्र वितरण कंपनी की सम्पत्ति होगी तथा उसी के द्वारा इसे अच्छी हालत में रखा जाएगा, उसकी मरम्मत की जाएगी तथा अंशांकित (केलीब्रेट) किया जाएगा ।
- (ख) जहां पर मापयंत्र व्यवस्था (मीटरिंग) विद्युत प्रदाय के निम्न—वोल्टेज पक्ष की ओर या तो मितव्ययिता के आधार पर अथवा उच्च वोल्टेज मापयंत्रण (मीटरिंग) उपकरण के उपलब्ध न होने अथवा अन्य किसी कारण से किया जाएगा, ऐसे प्रकरणों में किसी भी माह में उच्च वोल्टेज पर बिलिंग के प्रयोजन से किये गये विद्युत उपभोग की मात्रा मापयन्त्र द्वारा निम्न—वोल्टेज स्तर में दर्ज

की गई मासिक मात्रा में इसका 3 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) उच्चदाब से निम्नदाब में परिवर्तन के कारण हुई हानि के एवज् में जोड़कर, जैसा कि वह विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 अथवा प्रचलित टैरिफ के अनुसार समय—समय पर प्रयोज्य हो, की जाएगी ।

- 8. उपभोक्ता, उसके स्वयं के व्यय पर, उसके परिसर में संभरकों (फीडरों) पर जांच मापयन्त्र (चेक—मीटर) स्थापित कर सकेगा । तथापि, विद्युत ऊर्जा की मात्रा तथा मांग जैसी कि वे कण्डिका ७ के अन्तर्गतक्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा स्थापित मुख्य मापयन्त्र में अभिलिखित की गई हो को सदैव क्षेत्र वितरण कंपनी की प्रणाली से (तद्नुसार कण्डिका १४ के उपबंधों के अध्यधीन) वास्तविक रूप से प्रदाय की गई तथा मांग की गई विद्युत ऊर्जा माना जाएगा ।
- 9. मापयन्त्रों (मीटरों) को दोनों पक्षकारों की ओर से उचित रूप से मुद्रांकित (सील) किया जाएगा तथा इन दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, जब तक वहां पर उनका अन्य विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित न हो।

- 12. (क) उपभोक्ता इस अनुबंध के अन्तर्गत उसे प्रदाय की जा रही विद्युत ऊर्जा की खपत को शीर्ष घंटों (पीक आवर्स) में तथा ऐसे अन्य किसी समय पर भी परिसीमित अथवा विनियमित किये जाने हेतु अपनी सहमति देता है जैसा कि उसे क्षेत्र वितरण कंपनी के क्षेत्रीय अभियंता द्वारा लिखित में निर्देशित किया जाए यदि विद्युत प्रदाय की स्थिति अथवा विद्युत प्रणाली में अन्य कोई आकस्मिक परिस्थिति के अर्न्तगत ऐसा किया जाना अनिवार्य हो ।
- (ख) उपभोक्ता इस अनुबंध के अन्तर्गत क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा विद्युत प्रदाय में कटौती किये जाने, इसकी अवधि को पुनर्व्यवस्थित करने अथवा पूर्ण रूप से अवरुद्ध किये जाने हेतु अपनी सहमति देता है यदि विद्युत प्रदाय

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

की स्थिति अथवा विद्युत प्रणाली में अन्य किसी आकस्मिक परिस्थिति के कारण ऐसा किया जाना अनिवार्य हो ।

- 13. (क) उपभोक्ता द्वारा लिखित रूप से इस संबंध में अनुबंध मांग परिवर्तित किये जाने हेतु विधिवत सूचना दिये जाने पर, उपभोक्ता को ऐसी अतिरिक्त विद्युत प्रदाय, **इसके उपलब्ध होने की परिस्थिति में**, इसकी मांग अनुबंध मांग से अधिक होने पर, ऐसे अतिरिक्त विद्युत प्रदाय हेतु अनुज्ञेय किया जा सकेंगा जिसके लिये क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा उपभोक्ता द्वारा परस्पर सहमति व्यक्त की जाए ।
- (ख) क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा ऐसी अतिरिक्त विद्युत प्रदाय हेतु सहमित दिये जाने पर, उपभोक्ता को ऐसा अंशदान ऐसी अतिरिक्त विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराये जाने पर इसकी लागत का भुगतान करेगा, जैसा कि क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा उसे सूचित किया जाए।
- (ग) यदि ऐसा अतिरिक्त विद्युत प्रदाय क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा उसे उपलब्ध करा दिया जाता है तो इस संबंध में क्षेत्र वितरण कंपनी कण्डिका 1 (क) में विनिर्दिष्ट अनुबंध मांग में उसी समान मात्रा की सीमा तक इसमें अभिवृद्धि करेगी ।
- (घ) अनुबंध की प्रारंभिक अविध के समापन पर उपभोक्ता अनुबंधित मांग को जैसा कि विद्युत प्रदाय संहिता 2013, जैसी कि वह समय—समय पर लागू हो, में निहित उपबंधों के अनुसार घटाने के लिये अधिकृत होगा। अनुबंध मांग में इस प्रकार की गई कमी, इसके बारे में किण्डिका 21 (ए) में उल्लेखित उक्त सीमा तक उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम प्रत्याभूति राशि का भुगतान किये जाने संबंधी दायित्व को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी।
- मापयन्त्र / मापयन्त्र वाचन उपकरण (एमआरआई) का वाचन, जैसा कि कण्डिका ७ में इसका उल्लेख किया गया है, उपभोक्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि तथा क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा, जैसा कि इसे समय-समय पर लागू की गई विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में निर्धारित किया गया हो तथा इस प्रकार किया गया वाचन उपभोक्ता को प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा के बारे में उपभोक्ता तथा क्षेत्र वितरण कंपनी के मध्य बाध्यकारी तथा अन्तिम होगा । मुख्य मापयन्त्र अथवा उसका सहायक उपकरण, जो उसका एक अंगभूत हो, दोषयुक्त पाये जाने की दशा में, प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का अवधारण क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा स्थापित किये गये जांच मापयन्त्र (चेक मीटर) में किये गये वाचन के अनुसार किया जाएगा । तथापि, यदि ऐसी अवधि में जब मुख्य मीटर (मापयंत्र) त्रुटियुक्त हो तथा जांच मीटर को स्थापित न किया गया हो अथवा इसे भी त्रुटियुक्त पाया गया हो, तो ऐसी दशा में प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का अवधारण पिछले तीन माह की औसत खपत के आधार पर किया जाएगा या अन्यथा जैसा कि इसके बारे में मप्रविनिआ द्वारा युक्तियुक्त विनियम में उपबंधित किया गया हो: परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि क्षेत्र वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री के मत में, माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना की परिस्थितियां उपभोक्ता अथवाक्षेत्र वितरण के प्रति न्यायसम्मत न थीं. ऐसी अवधि में. प्रदाय की गई विद्यत मात्रा का अवधारण अधीक्षण यंत्री द्वारा किया जाएगा तथा उपभोक्ता द्वारा इस प्रकार किये गये अवधारण से संतृष्ट न होने की दशा में वह क्षेत्र वितरण कंपनी के संबंधित मुख्य अभियंता को अपील कर सकेगा जिसका इस विषय पर निर्णय अन्तिम होगा ।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

इस अनुबंध के अन्तर्गत, उपभोक्ता को सदैव क्षेत्र वितरण कंपनी के किसी भी पदाधिकारी अथवा उसके किसी कर्मचारी को जिसे मुख्य अभियंता द्वारा सामान्य रूप से अथवा विशेष रूप से इस संबंध में उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा प्रदाय किये जाने के प्रयोजन से उपभोक्ता के विद्युत उपकरण का निरीक्षण करने हेत् समस्त अथवा इनमें से किसी भी एक प्रयोजन से प्राधिकृत किया जाए, अनमति प्रदान करनी होगी। दोनों पक्षकारों द्वारा चाहे जाने पर, मीटरों (मापयंत्रों) का पुन:-अंशांकन (रिकैलीब्रेशन) तथा मानकीकरण क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा मानक उपकरणों की सहायता से, उपभोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाएगा; बशर्तें, तथापि यह भी कि क्षेत्र वितरण कंपनी मापयंत्र उपकरणों की परीक्षण जांच छः माह के अन्तराल से अथवा ऐसी अन्य अवधि जैसा कि इसे समय-समय पर लागू की गई विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 में निर्दिष्ट किया जाए. संचालित कर सकेगी । उपभोक्ता द्वारा क्षेत्र वितरण कंपनी अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर, वह मापयन्त्रों (मीटरों) का विशेष परीक्षण कराने हेत् प्राधिकृत होगा तथा इस प्रकार किये गये परीक्षण का व्यय ऐसे परीक्षण के परिणामस्वरूप इसके त्रुटियुक्त अथवा शुद्ध पाये जाने के अनुसार क्रमशः क्षेत्र वितरण कंपनी अथवा उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा । ऐसे मापयन्त्र सही माने जाएंगे, यदि इनमें पाई गई अशुद्धि की परिसीमाएं, भारतीय विद्युत नियम 1956, जैसा कि इन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया हो, में निर्धारित की गई सीमाओं से अधिक न हों । इस अनुबंध के प्रयोजनार्थ, उपभोक्ता के ऐसे प्रदाय बिन्दू पर उपभोक्ता को प्रतिमाह प्रदाय की अधिकतम मांग परिसर में, प्रदाय किलोवॉट ऑवर (केडब्लुएच) / किलोवोल्ट एम्पीअर ऑवर (केवीएएच) में की गई मांग का मापन, विसर्पी-वातायन (स्लाईडिंग विण्डो) सिद्वान्त के आधार पर उक्त माह में किन्हीं निरन्तर पंद्रह मिनटों के दौरान, चार गुना के बराबर के आधार पर किया जाएगा। उपभोक्ता प्रतिमाह क्षेत्र वितरण कंपनी को, पिछले माह में उपभोक्ता को प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा के प्रभारों का भुगतान समय-समय पर उक्त प्रदाय सेवा की श्रेणी को लागू की गई प्रयोज्य विद्युत-दर (टैरिफ) के अनुसार वितरण कंपनी को करेगा । उपभोक्ता को लागू मप्रविनिआ द्वारा जारी चालू उच्च-दाब टैरिफ आदेश क्र..... दिनांक की प्रतिलिपि, यथासंशोधित, इस अनुबंध के साथ अनुसूची अनुसार संलग्न की जा (क) विद्युत–दर (टैरिफ), परिवर्तनीय लागत समायोजन प्रभार 20. (वेरियेबल कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्ज), यदि वह लागू हो, के अध्यधीन होगी। (ख) परिवर्तनीय लागत समायोजन प्रभार कण्डिका 19 के अन्तर्गत निर्धारित

विशेष शर्तें और/या प्रभार

21.

किये गये न्यूनतम प्रभारों अथवा कण्डिका 21 में संलग्न विशेष प्रतिभूति की

वसूली किसी न्यूनतम अधिरोपित राशि के अतिरिक्त भारित किया जाएगा।

(क)

(ख)

(ग)

(ਬ)

आदि

यदि अनज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता के मध्य किये गये चाल अनुबंध के अर्न्तगत किसी भी समय, विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 जैसी कि वह समय–समय पर लागू की गई हो, में उल्लेखित विशेष आकरिमक परिस्थितियों के कारण, उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपभोग आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संभव न हो, उपभोक्ता क्षेत्र वितरण कंपनी को ऐसी परिस्थिति के संबंध में लिखित में, 7 दिवसों की सूचना देकर, मय तत्संबंधी अपेक्षित आवश्यकता दर्शाई जाकर कर ऐसा सकेगा तथा उसे घटी हुई विद्युत प्रदाय की मात्रा अनुज्ञेय की जाएगी जितनी कि वह अत्यावश्यक तथा संभव हो पायेगी । ऐसे समस्त प्रकरणों में जहां कि उपभोक्ता विशेष आकरिमक परिस्थितियों संबंधी दावे प्रस्तृत करता हो, क्षेत्र वितरण कंपनी का प्राधिकृत प्रतिनिधि इसका सत्यापन करेगा । उपभोक्ता को ऐसी कोई सुविधा केवल उसी दशा में उपलब्ध होगी, यदि घटाई गई विद्युत प्रदाय की अवधि, न्यूनतम 30 दिवस तथा अधिकतम छः माह हो, जैसी कि वह विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 में विनिर्दिष्ट की गई है । उपरोक्त उल्लेखित विद्युत प्रदाय की घटाई गई अवधि की गणना अनुबंध में निर्धारित की गई प्रारंभिक अवधि के अन्तर्गत नहीं की जाएगी तथा अनुबंध की अवधि में उक्त घटाई गई विद्युत प्रदाय की अवधि के बराबर और वृद्धि हो जाएगी । परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि, तथापि इस अनुबंध की कण्डिका 27 के संदर्भ अनुसार, यह अनुबंध अवधि की समाप्ति के बावजूद भी आगे समकक्ष अवधि हेत् निरंतर लागू रहेगा जैसा कि वह इस कण्डिका के अन्तर्गत घटी हुई विद्युत प्रदाय अवधि हेतू जारी रहता तथा प्रतिबन्ध यह भी है कि उपभोक्ता कथित

घटाई गई विद्युत प्रदाय हेतु ऐसी दर पर भुगतान करेगा जैसा कि वह क्षेत्र हेतु क्षेत्र वितरण कंपनी विद्युत—दर (टैरिफ) पर, उपभोक्ता को लागू हो। (ख) क्षेत्र वितरण कंपनी अथवा उपभोक्ता किसी भी प्रकार से वहन की गई हानि, क्षिति अथवा मुआवजे के भुगतान हेतु बाध्य न होंगे जो विद्युत प्रदाय के अवरूद्ध हो जाने के कारण हो तथा जब ऐसा अवरोध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध, विद्रोह, गृहयुद्ध, दंगों, आतंकवादी हमले, बाढ़, अग्नि, हड़ताल (श्रम आयुक्त द्वारा प्रमाणीकरण के अध्यधीन), तालाबंदी (श्रम आयुक्त द्वारा प्रमाणीकरण के अध्यधीन), तालाबंदी (श्रम आयुक्त द्वारा प्रमाणीकरण के अध्यधीन), चक्रवात, आंधी—तूफान, तड़ित, भूकम्प अथवा देवीय घटना के कारण निहित हो। परन्तु ऐसी किसी परिस्थिति के अन्तर्गत, उपभोक्ता ऐसी किसी विद्युत ऊर्जा के भुगतान हेतु बाध्य न होगा जो क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा वास्तविक प्रदाय न की गई हो तथा न ही विद्युत अवरोध अवधि को कथित अनुबंध अवधि में इसे किसी भी प्रकार से जोड़ा जाएगा।

23. उपभोक्ता की स्थापना में औसत मासिक ऊर्जा—कारक (पॉवर—फेक्टर) 90 प्रतिशत से कम न होगा । तथापि, यदि किसी भी प्रकार गिरकर यह 90 प्रतिशत से कम हो जाए अथवा जैसा इसे विद्युत—दर (टैरिफ) में निर्धारित किया जाए, उपभोक्ता को इस बाबत् ऐसे अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान करना होगा, जैसा कि इसे विद्युत—दर में निर्धारित किया जाए। यदि औसत ऊर्जा—कारक

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

- 24 (क) क्षेत्र वितरण कंपनी, यथासंभव, प्रत्येक कलेण्डर माह की समाप्ति पश्चात्, 15 दिवस के अन्दर अथवा उपभोक्ता के मीटर वाचन (रीडिंग) के पश्चात, प्रभारों का एक देयक (बिल), कथित मीटरों द्वारा दर्शाये गये वाचन के अनुसार, उपभोक्ता को प्रदाय किये गये यूनिटों की संख्या दर्शाते हुए तथा तद्नुसार उपभोक्ता को क्षेत्र वितरण कंपनी की प्रयोज्य विद्युत—दर (टैरिफ) के अनुसार देय राशि तथा अन्य प्रभार दर्शाते हुए उसे प्रेषित करेगी तथा उपभोक्ता को देयक जारी किये जाने की तिथि से पंद्रह दिवस के भीतर इसका भुगतान करना होगा। ईंधन लागत समायोजन प्रभार, जैसा कि वे विद्युत—दर के अन्तर्गत प्रयोज्य हैं एवं जैसा कि वे मप्रविनिआ द्वारा समय—समय पर निर्धारित किये गये हों, के अनुसार इनकी गणना की जाएगी तथा इन्हें देयक के एक भाग के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।
- (ख) प्रत्येक माह हेतु, बिल की गई राशि, या तो उपरोक्त कण्डिका 24 (क) के अन्तर्गत प्रगणित किया गया प्रभार अथवा कण्डिका 21 के अधीन प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम राशि का एक बटा बारहवां (1/12) भाग इनमें से जो भी अधिक हो, होगा, जो मासिक आवश्यक समायोजन के अध्यधीन होगा तथा इससे कण्डिका 20 के प्रावधान प्रभावित नहीं होंगे ।
- (ख) यदि कोई उपभोक्ता कण्डिका 24 के उपबंधों के अनुसार किन्हीं देयकों का भुगतान करने में चूक करता हो तो उसे समय—समय पर प्रभावशील विद्युत—दर (टैरिफ) आदेश द्वारा निर्धारित अधिभार देयक जारी किये जाने की

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

- (क) उपभोक्ता कोक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मांग किये जाने पर, नगद में अथवा अन्य किसी रूप में जैसा इसे मप्रविनिआ द्वारा निर्धारित किया जाए, एक ऐसी प्रतिभूति निक्षेप के रूप में, जो डेढ़ माह की खपत के समतुल्य विद्युत बिल की राशि से कम न होगी के बराबर, एतद पश्चात दर्शाये प्रयोजन हेत् जमा किया जाना अनिवार्य होगा तथा मप्रविनिआ द्वारा अधिस्चित प्रतिभृति निक्षेप विनियम, 2009 तथा समय–समय पर इसके संशोधनों के अनुसार उसे समय-समय पर ऐसी प्रतिभृति निक्षेप राशि का पुनर्भरण, इसके समाप्त हो जाने पर अथवा इसके अपर्याप्त होने पर अथवा अन्यथा इसे कम पाये जाने पर इस हेतू इसकी भरपाई किये जाने संबंधी ऐसी किसी मांग किये जाने पर वांछित आवश्यक राशि का भूगतान करना होगा । नगद में जमा की गई इस राशि पर क्षेत्र वितरण कंपनी, मप्रविनिआ द्वारा जारी प्रतिभृति निक्षेप विनियम, 2009, जैसा कि इसे समय-समय पर लागू किया गया हो, में निर्धारित की गई दर पर ब्याज का भूगतान करेगी । क्षेत्र वितरण कंपनी किसी भी समय तथा समय-समय पर उपरोक्त दर्शायेनुसार इस प्रकार से जमा की गई किसी प्रतिभृति का उपयोग करने अथवा विनियोजित करने तथा उस राशि के भूगतान हेत् अथवा समस्त की तृष्टि हेत्, इस अनुबंध के अन्तर्गत विद्युत ऊर्जा प्रदाय के संबंध में अथवा अन्यथा कोई राशियां जो उपभोक्ता द्वारा क्षेत्र वितरण कंपनी को देय अथवा ऋणबद्ध हो जाएंगी, की वसूली हेत् स्वतंत्र होगा, परन्तु इस कण्डिका में निहित प्रावधान उसे अन्य कोई उपाय जो इस अनुबंध के अनुसार उसे वसूली हेतु प्रदत्त है को प्रभावित किये बिना, करने से नहीं रोकेगी जिस हेतु क्षेत्र वितरण कंपनी इस प्रकार की राशियों की वसली हेत अधिकृत होगी ।
- (ख) यदि कोई उपभोक्ता, उसे सूचना दिये जाने पर तीस दिवस के भीतर अथवा अन्य कोई निर्दिष्ट की गई अविध में लिखित में प्रत्येक प्रकरण में उसे प्रसारित की गई ऐसी किसी सूचना के निबंधन के परिपालन हेतु, जो उसे कोई प्रतिभूति निक्षेप, अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप सिम्मिलित करते हुए, अथवा उपरोक्त दर्शाई गई उप—किण्डका (क) के अनुसार उसे प्रसारित की गई कोई सूचना इसे नवीनीकरण अथवा पुनर्भरण किये जाने, उसके समाप्त हो जाने अथवा अपर्याप्त होने के कारण, अर्हता रखती हो, तो ऐसी दशा में क्षेत्र वितरण कंपनी अन्य कोई उपाय, जिस हेतु क्षेत्र वितरण कंपनी अधिकृत होगी, उसे प्रभावित किये बिना, उसे विद्युत प्रदाय हेतु मना किये जाने अथवा उसे बन्द करने हेतु अधिकृत होगी जब तक कि उसके द्वारा यह अवहेलना जारी रहे।
- 27. (क) यह अनुबंध, निश्चित रूप से, उपरोक्त कण्डिका 2 के अन्तर्गत इसके प्रारंभ होने की तिथि से **दो** वर्षों की अवधि हेतू प्रभावशील रहेगा

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

। इस कण्डिका के बाद दिया गया कोई भी वर्णन इस अवधि को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा ।

- (ख) उपरोक्त उप—कण्डिका में उल्लेखित की गई <u>दो</u> वर्षों की अवधि के उपरान्त, यह अनुबंध, जब तक कि इसे समाप्त न कर दिया गया हो, जैसा कि इसके संबंध में एतद् पश्चात् आदिष्ट किया गया हो, उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों के अन्तर्गत वर्ष—प्रति—वर्ष लागू किया गया माना जाएगा, किन्तु यह कि उपरोक्त उप—कण्डिका (क) में उल्लेखित की गई अवधि के उपरान्त, उपरोक्त अनुबंध दोनों पक्षकारों द्वारा कम से कम एक माह का नोटिस, जो ऐसी अवधि (जो किसी कलेण्डर माह के अन्त में समाप्त होगी) के समाप्त होने से पूर्व लिखित में दिया जाकर, समाप्त किया जा सकेगा।
- (ग) ऐसी नोटिस अवधि की समाप्ति पर, इस अनुबंध, के अन्तर्गत वे अधिकार जो दोनों पक्षकारों द्वारा उपार्जित किये जाते है, को प्रभावित किये बगैर, अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा।
- 28. (क) एतद् द्वारा कण्डिका 19 में संदर्भित अनुसूची में निर्धारित की गई दर तथा अन्य प्रभार मप्रविनिआ द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट किये गये विविध प्रभार वे होंगे जो अनुबंध के निष्पादन / प्रारंभ होने के समय प्रभावशील होंगे । उपभोक्ता मप्रविनिआ द्वारा स्वीकृत की गई इन दरों में / अथवा प्रभारों में की गई किसी भी प्रकार से की गई कमी अथवा छूट की प्राप्ति हेतु अर्हता रखेगा तथा मप्रविनिआ द्वारा प्रभारित किसी भी प्रकार के अधिभार तथा उन पर की गई किसी वृद्धि से संबंधित भुगतान अथवा उसे किसी भी नई दर अथवा विद्युत—दर (टैरिफ) राशि, जो मप्रविनिआ द्वारा प्रभारित किये जाने हेतु इस अनुबंध के अन्तर्गत भुगतानयोग्य निर्धारित की गई राशि के बदले में उचित समझे, के भुगतान का देनदार होगा।
- (ख) अनुसूची में निर्धारित की गई विद्युत—दर (टैरिफ) में विद्युत ऊर्जा पर किसी भी प्रकार के देय कर, शुल्क अथवा अन्य प्रभार सम्मिलित नहीं हैं जो प्रचलित कानून के अनुसार भुगतान देय होंगे। उपभोक्ता को ऐसे प्रभारों का भुगतान विद्युत—दर प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।
- 29. जहां पर उपभोग की गई विद्युत को प्रभारित किये जाने के संबंध में सेवा श्रेणी को प्रयोज्य टैरिफ दरों में एक से अधिक विधियां विद्यमान हों, वहां उपभोक्ता इस अनुबंध के प्रारंभ होने पर, कण्डिका 2 (क) में एतद् अनुसार परिभाषित, उनमें से स्वयं द्वारा एक विकल्प का प्रयोग कर सकेगा । अनुबंध के प्रारंभ हो जाने के पश्चात्, टैरिफ की वैकल्पिक दरों के विकल्प के प्रयोग को आगे किसी भी प्रकार से अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा, सिवाय अनुबंध की चालू अवधि में रहते, दो बार के । श्रेणी में किया गया स्वयेंव कोई परिवर्तन, जो टैरिफ अवधारण किये जाने पर लागू किया गया हो, को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प नहीं माना जाएगा ।
- 30. क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा लिखित में दी गई किसी पूर्व सम्मति के बिना, उपभोक्ता इस अनुबंध के अर्न्तगत उसके द्वारा प्राप्त किये जा रहे किसी लाभ को, किसी भी अन्य व्यक्ति के पक्ष में पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से अभिहस्तांकित, अंतरित अथवा विभाजित नहीं कर सकेगा ।
- 31. उपभोक्ता द्वारा इस अनुबंध के निबंधनों अथवा इनमें से किसी भी एक के परिपालन न किये जाने की दशा में, क्षेत्र वितरण कंपनी कण्डिका 36 में एतद द्वारा किये गये उल्लेख अनुसार, अधिनियमों, नियमों तथा

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

विनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा उचित दिवसों की सूचना लिखित में दिये जाने के पश्चात उपभोक्ता को प्रदाय की जा रही विद्युत ऊर्जा को बन्द किया जाना विधिसम्मत होगा तथापि ऐसे प्रकरणों में जहां विधि, नियम अथवा विनियमों के तहत प्रदत्त हो, विद्युत प्रदाय तत्काल विच्छेद किया जा सकता है । क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा, तथापि उक्त कारण जिसके द्वारा वह विद्युत प्रदाय बन्द किये जाने हेतु अधिकृत थी. की समाप्ति पर तथा उपभोक्ता द्वारा अद्यतन प्रदाय की गई विद्यत मात्रा तथा अनुबंध के अन्तर्गत उसके द्वारा भूगतानयोग्य अन्य समस्त राशियों एवम् क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा विद्युत प्रदाय के विच्छेदन तथा पुनर्संयोजन से संबंधित किये गये व्ययों सहित, प्रभारों की राशि का भगतान किये जाने पर विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना, समस्त प्रकार से युक्तिसंगत गति से करेगा । आगे यह भी स्पष्ट रूप से सहमति की जाती है तथा यह घोषित किया जाता है कि विद्युत प्रदाय का इस प्रकार किया गया अवरोध, अनुबंध की असमापित अवधि हेतू, उस अवधि को सम्मिलत करते हुए, जिसके अर्न्तगत विद्युत प्रदाय विच्छेदित रहा हो, उपभोक्ता को निबंधन की शर्तों के अन्तर्गत उसके न्यूनतम प्रभारों का भुगतान किये जाने अथवा न्यूनतम प्रत्याभूत राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, का भूगतान किये जाने से मुक्त नहीं करेगा ।

- उपभोक्ता द्वारा उसके द्वारा दायित्व के किसी किसी उल्लंघन किये 32. जाने पर अथवा उसके दोषी पाये जाने के फलस्वरूप जो एतद अनुसार क्षेत्र वितरण कंपनी को कण्डिका 38 में संदर्भित किये गये अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों के उपबंध उसे प्रदाय की जा रही विद्युत को बन्द किये जाने हेतू उसे अधिकृत करते हों, उसे अद्यतन रूप से प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा हेतू प्रभारों की राशि तथा उक्त समय में भूगतानयोग्य अन्य समस्त राशियां बकाया राशियां मानी जाएंगी तथा वे तत्काल रूप से वसूलीयोग्य हो जाएंगी; परन्तु प्रतिबंध यह है कि सदैव तथा एतद द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है तथा यह घोषणा की जाती है कि इस प्रकार की अनिरंतरता अवधि में, उपभोक्ता न्यूनतम प्रभारों अथवा न्यूनतम प्रत्याभूत राशि, इनमें जो भी अधिक हो, एतद् अनुसार भुगतान करेगा । तथापि, क्षेत्र वितरण कंपनी, उक्त कार्यवाही जिसके द्वारा वह विद्युत प्रदाय बन्द किये जाने हेत् अधिकृत थी, की समाप्ति पर तथा उपभोक्ता द्वारा समस्त प्रभारों की राशि का भुगतान किये जाने पर, विद्युत प्रदाय को सभी प्रकार से युक्तिसंगत गति से पुनर्संयोजित करेगी ।
- 33. इस अनुबंध के जारी रहते हुए, यदि किसी समय, उपभोक्ता (क) एक लिमिटेड कंपनी होते हुए, इसका कार्य समापित किये जाने हेतु एक प्रस्ताव पारित करती है अथवा सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय के आदेशानुसार समापित कर दी जाती है या कोई एक व्यक्ति—विशेष अथवा व्यक्ति—समूह स्वयं को दिवालिया घोषित कर दें अथवा न्यायालय—निर्णय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिये जाएं ।
- (ख) किसी प्रकार का गिरवी प्रभार का निष्पादन अथवा सृजन करे, अथवा उपभोक्ता की किसी सम्पित्त अथवा परिसम्पित्त पर ऋणग्रस्तता हो जिससे क्षेत्र वितरण कंपनी के अधिकार तथा हित उपरोक्त परिसर स्थित विद्युत मापयन्त्रों (मीटरों) संयंत्र, यंत्र, उपकरण अथवा उनका कोई भाग विपरीतात्मक प्रभावित हों अथवा क्षेत्र वितरण कंपनी के कथित विद्युत संयंत्र, यंत्र तथा उपकरण से संबंधित प्रयोक्तव्य अधिकार प्रभावित हों; ऐसी दशा में

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

क्षेत्र वितरण कंपनी उपभोक्ता को सात दिवस का नोटिस लिखित में देकर अनुबंध समाप्त किये जाने हेत् स्वतंत्र होगी तथा अनुबंध के समापन के पश्चात्, उपभोक्ता क्षेत्र वितरण कंपनी को अविलंब उक्त समय पर इस अनुबंध के अन्तर्गत देय राशियों के साथ-साथ आगे वह असमापित विद्युत-दर (टैरिफ) न्युनतम विद्युत प्रदाय अनुबंध की अवधि हेत् विद्युत-दर के अनुसार या न्युनतम प्रभारों की राशि या न्यूनतम अथवा विशेष प्रत्याभूत राशि इनमें से जो भी अधिक हो. परिसमापन क्षतिपर्ति (लिक्वीडेटेड डैमेजिज) के बतौर तथा के रूप में करेगा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेत् यह अनुबंध, परिसर को विद्युत ऊर्जा प्रदाय संबंधी पूर्व के समस्त अनुबंधों को जो क्षेत्र वितरण कंपनी तथा उपभोक्ता के मध्य, निष्पादित किये गये हों निरस्त करता है, यथा:-(i) अनुबंध दि..... (ii) अनुबंध दि..... (iii) अन्बंध दि..... इस अनुबंध के पूर्व के विवादों या/और देनदारियों का निराकरण पूर्व के तदनसार अनुबंधों के नियमों व शर्तों के आधार पर किया जाएगा। इस तथ्य के बावजूद कि क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता के किसी पूर्व कृत्य के अन्तर्गत किसी प्रकार के उल्लंघनों, चूकों अथवा इसी प्रकार की किन्हीं घटनाओं पर कार्यवाही न की गई हो, क्षेत्र वितरण कंपनी को इन अभिलेखों की निबंधन तथा शर्तों को, आगे किसी संभावित किसी उल्लंघन, चूक अथवा इसी प्रकार की किसी घटना की पुनरावृत्ति को रोके जाने हेत्, के संबंध में लागू करना विधिसम्मत होगा । (क) उपभोक्ता मप्रविनिआ द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई विद्युत प्रदाय की शर्तों का अनुपालन करेगा जैसी कि वे विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों तथा इनमें किये गये कतिपय संशोधन अथवा पुर्न-अधिनियमन, जो कि विद्यमान में लागू होंगे अथवा समय-समय पर लागू किये जाएंगे तथा विद्यमान में लागू किये गये तत्संबंधी नियम तथा विनियम यथाक्रम पृथक-पृथक क्तप से अथवा समय-समय पर लागू किये जाएंगे, प्रयोज्य होंगे । क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा ''विद्युत प्रदाय संहिता, 2013'' के विनियमन संबंधी एक प्रति उपभोक्ता को प्रदान कर दी गई है तथा उपभोक्ता इसकी एक प्रति की प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रदान करता है । इस अनुबंध में अथवा इसमें किये गये किसी भी संशोधन में कुछ भी निहित क्षेत्र वितरण कंपनी अथवा उपभोक्ता को उनके ऐसे अधिकारों, दायित्वों अथवा स्वविवेक के अधिकारों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा जो उनके द्वारा कानून के अन्तर्गत उपार्जित किये गये हों तथा क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा इस अनुबंध की अवधि के दौरान विद्युत प्रदाय तथा उपभोग के संबंध में अधिनियमित किये गये किसी विधान के द्वारा प्राप्त हों। उपभोक्ता को सम्बोधित किये गये किसी पत्र, आदेश या अभिलेख की तामीली, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 में निर्धारित की गई रीति अनुसार इस अनुबंध में प्रस्तावना में दर्शाये गये पते पर डाक द्वारा या उसके पते पर स्पूर्द कर की जाएगी । (ख) क्षेत्र वितरण कंपनी को किया गया समस्त पत्र व्यवहार क्षेत्र वितरण कंपनी के सचिव को क्षेत्र वितरण कंपनी के निगमित

कार्यालय अथवा इस संबंध में अन्य किसी प्राधिकृत अथवा न के पक्ष में किया जाएगा ।	नामांकित कार्यालय
38. जहां इस अनुबंध में प्रयोग की गई कोई अभिव्य विद्युत अधिनियम, 2003, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा त संबंधी उपाय) विनियम, 2010, म प्र विद्युत सुधार अधिनियम, अन्तर्गत विरचित विनियमों अथवा साधारण खण्ड अधिनियम, न की गई हो वहां प्रयोग की गई अभिव्यक्तियां वही अर्थ विद्युत प्रदाय उद्योग में इन हेतु सामान्य रूप से नियत की गई	तथा विद्युत आपूर्ति 2000 तथा इनके 1897 में परिभाषित रखेंगी जैसा कि
39. यह अनुबंध (स्थान का नाम) में निष्माना जाएगा तथा इस अनुबंध के अन्तर्गत समस्त विवाद ए (स्थान का नाम) पर निराकृत किये जाएंगे तथा वे न्यायालय में ही निराकृत करने योग्य होंगे ।	वं दावे,
टीप: इस उच्च दाब विद्युत प्रदाय के अनुबंध पत्र के हिन्दी रूपांतर विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा ।	या भ्रांति होने पर
इसके पक्षकारों द्वारा निम्न साक्षियों के समक्ष दिवस को हस्ताक्षर तथा मुद्रांकित किये गये । मुख्य अभियंता (क्षेत्र / वाणिज्यिक), मध्यप्रदेश कंपनी लिमिटेड के आदेशानुसार मध्यप्रदेश क्षेत्र वितरण कंपनी लिमिटेड उपभोक्ता	क्षेत्र विद्युत वितरण तथा निर्देशानुसार
द्वारा प्रथम रूप से उपरोक्त लिखित अनुसार उनके हस्ताक्षर के अन्तर्गत हस्ताक्षर किये गये । उपरोक्त नामांकित द्वारा निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये : (1) (नाम तथा पता) ——	तथा सामान्य मुद्रा
(2) (नाम तथा पता) —	
(प्राधिकृत हस्ताक्षरव मध्यप्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कं	
सामान्य मुद्रा निम्न की उपस्थिति में लगाई गई :	
(1) (नाम तथा पता) —	
(2) (नाम तथा पता) — क्षेत्र वितर की सील	ण कंपनी
उपरोक्त नामांकित द्वारा निम्न की उपस्थिति में	

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

हस्ताक्षर किये गये :

- (1) (नाम तथा पता) ---
- (2) (नाम तथा पता) उपभोक्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

सामान्य मुद्रा एतद् अनुसार निम्न की उपस्थिति में लगाई गई

(1) (नाम तथा पता) ---

(उपभोक्ता की रबर/सामान्य मुद्रा)

(केवल लिमिटेड कम्पनी के प्रकरण में)

(2) (नाम तथा पता) ---

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

अनुसूची

(देखें कण्डिका 19)

नोट: अनुबन्ध के निष्पादन के समय प्रयोज्य विद्युत—दर (टैरिफ) आदेश के सुसंबद्ध भागों को अनुसूची का भाग माना जाना चाहिए। आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न की गई अनुसूची तथा परिसर का मानचित्र (नक्शा) तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापित, परिसर तथा विद्युत प्रदाय का बिन्दु दर्शाते हुए, जिन्हें इस अनुबन्ध के साथ संलग्न किया गया है, इस अनुबन्ध का भाग होंगे।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013